सोमवार,
१७ अगस्त, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

सोमवार, १७ अगस्त १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पोस्टल फ्रेंकिंग मशीन

*५३८. **श्री बंसल:** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पोस्टल फ्रेंकिंग मशीनों की बिक्री के लिये सरकार ने जिन पक्षकों से करार किये हैं उन के नाम तथा करारों की शर्तें और निबन्धन ?

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये कि इन मशीनों का मूल्य और विक्रेताओं तथा उनके अभिकर्त्ताओं द्वारा उक्त मशीनों के निर्वाह के लिये वसूल किया गया शुल्क उचित है सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त मशीनों को भारत में निर्मित करने की सम्भावना की जांच की है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) १. मेसर्स होअर मिलर अण्ड कम्पनी लि० कलकत्ता

२. मेसर्स किलबर्न अण्ड कं० लि० कलकत्ता शर्तें तथा दशाएं सदन पटल पर रखी करार की प्रतिलिपियों में बतलाई गई हैं। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १६]

(ख) यह निश्चित करने के लिये कि मशीन का मूल्य उचित है टेंडर आमंत्रित किये गये हैं।

(ग) अभी नहीं।

श्री बंसल : क्या यह सच है कि मेसर्स होअर मिलर अण्ड कं० और मेसर्स किलबर्न अण्ड कं० एक ही समवाय की दो शाखाएं हैं ?

श्री राज बहादुर : मैं उन कम्पनियों के आन्तरिक इतिहास के विषय में अधिक नहीं जानता हूं। किन्तु दीर्घ अवधि से उन से हमारा करार है; पहला करार १९२४ से और दूसरा १९४६ से।

श्री बंसल: सदन के लिये इस बात की जानकारी महत्वपूर्ण है कि क्या यह एकाधिकार है।

श्री राज बहादुर: यह वैसा ही है किन्तु हमारा इरादा यह नहीं है। हम अन्य उद्योगों से करार करने में स्वतंत्र हैं :

श्री वी० पी० नायर: माननीय सदस्य ने कहा कि उक्त दोनों समवाय भारत में निगमित हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री को उक्त दोनों समवायों में मेसर्स होअर मिलर अण्ड कं० और मेसर्स किलबर्न अण्ड कं० में विदेशी पूंजी के हिस्से का ज्ञान है?

श्री राज बहादुर: क्या मैं माननीय सदस्य को सुझाव दे सकता हूं कि वह इस प्रश्न को वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री से पूछें।

श्री वी० पी० नायर: मैंने केवल इतना ही पूछा था कि क्या माननीय मंत्री को कुछ ज्ञान है।

श्री ए० एम० टामस: यह बताया गया था कि कुछ विशेषज्ञ सामान्यतया मशीनीकरण के प्रश्न की जांच कर रहे हैं। क्या उन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है? उनकी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं?

श्री राज बहादुर: उन्होंने अभी अपनी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं की हैं।

श्री टी० एन० सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि जब सरकार एक अथवा दो समवायों से संविदा करती है तब क्या वह उक्त समवायों के पूर्व वृत्तान्त जानने का प्रयत्न करती है?

श्री राज बहादुर: वर्तमान मामले में हम ने किया था। इन का पूर्ववृत्तान्त यह है कि दोनों समवाय इसी कार्या के लिये क्रमश: १९२४ और १९४६ से कार्य कर रही हैं।

श्री वेलायुधन: क्या मैं जान सकता हूं. कि सरकार ने इन उद्योगों से अभी तक कितनी मशीनें खरीदी हैं?

श्री राज बहादुर: लगभग २४९९.

कुमारी एनी मस्करीन: क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार ने विज्ञापन प्रकाशित कराया था और क्या सरकार को अन्य किसी समवाय से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे?

श्री राज बहादुर: टेंडर्स आमंत्रित करने के लिये चार या पांच प्रमुख दैनिक पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किये थे। ये विज्ञापन मद्रास के 'हिन्दू', 'अमृत बाजार पत्रिका' 'बम्बई क्रानिकल', 'हिन्दुस्तान टाइम्स' आदि थे। केवल दो टेंडर प्राप्त हुए।

सेठ गोविन्द दास: क्या यह बात सही है कि इन दोनों कम्पनियों में कोई भारतीय पूंजी नहीं है और जब यह टेंडर मांगे गये उस वक्त क्या किसी ऐसी कम्पनी ने भी टेन्डर दिये थे जो भारतीय पूंजी की कम्पनी है।

श्री राज बहादुर: इन दोनों कम्पनियों के अलावा किसी दूसरी कम्पनी ने टेंडर नहीं दिया। प्रश्न के पहले भाग का उत्तर मैं दे चुका हूं।

श्री बंसल: क्या यह सच है कि हाल ही में इन समवायों ने अपने ग्राहकों से उक्त मशीनों की मरम्मत से सम्बन्धित शर्तों में परिवर्तन करने के लिये कहा है और वे ४०रु० वार्षिक एकत्रित राशि वसूल कर रहे हैं?

श्री राज बहादुर: उन की कार्यप्रणाली भारत सरकार से किये गये संविदे की शर्तों से शासित है। इन व्यक्तियों द्वारा किन्हीं विशेष खरीदारों को ये मशीनें बेचने के पूर्व उक्त खरीदारों को भी अभिज्ञप्तियां प्राप्त करनी पड़ती हैं। इस तरह मैं नहीं सोचता कि ऐसा कोई दावा किया जा सकता है। तब भी यदि माननीय सदस्य मुझे विस्तृत जानकारी दें तो मैं इस प्रश्न को देखूंगा।

बेतार योजना तथा सहयोगी शाखा

***५३९. श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा:** (क) क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बेतार योजना तथा सहयोगी शाखा ने भारत में रेडियो योजना का कार्य आरम्भ कर दिया है?

(ख) यदि यह सत्य है तो उसके कार्य का क्या स्वरूप है?

(ग) इस शाखा के सदस्य कौन हैं और उनकी विशेष तथा टेकनिकल योग्ताएं क्या हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां ।

(ख) (१) भारत में सम्पूर्ण बेतार संचालन का समन्वय तथा वारंवारता का प्रतिभाजन ;

(२) भारत में रेडियो मूर्तिमता और वारंवारता की रीति का नियंत्रण, योजना और व्यवस्था ;

(३) बेतार से सम्बन्धित सम्मेलन और संविदे और इन सम्मेलनों में किये गये निर्णय तथा उनसे सम्बन्धित कार्य ;

(४) अन्य देशों से बेतार संचार तथा तत्सम्बन्धी विषयों पर वार्त्ता ;

(५) ब्राडकास्ट रिसीवरों के अतिरिक्त बेतार के क्षेत्र में अभिज्ञप्ति, विनियमन और सम्बन्धित विषय ;

(६) स्वतंत्र प्रणाली के लिये वायुमण्डल का अनुसंधान, टेकनीकल अध्ययन और गवेषणा तथा इन कार्यों के लिये आवश्यक मोनीटरिंग ; और

(७) देश की केन्द्रीय समन्वयकारी तथा विनियमन प्राधिकारी के रूप में बेतार संचरण से सम्बन्धित समस्त विषयों पर संचरण मंत्रालय के समस्त कार्यों की पूर्ति ।

(ग) सदन पटल पर प्रतिवेदन रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १७]**

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि यह कार्य कब आरम्भ किया गया था ?

श्री राज बहादुर : इस संस्था का जन्म पहली जुलाई, १९५२ को हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए—

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को शीघ्रत करनी चाहिये । दूसरा प्रश्न ।

चिकित्सालयों का आठवां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

*५४०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने को कृपा करेंगे कि क्या चिकित्सालयों का आठवां अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन लन्दन में हुआ था ?

(ख) यदि यह सच है तो उक्त सम्मेलन में स्वीकृत किये गये महत्वपूर्ण संकल्प कौन से हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) हां, मई १९५३ में ।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सालय फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सालय कांग्रेस में कोई संकल्प स्वीकृत नहीं करता है । कांग्रेस में अध्ययन का मुख्य विषय था—"चिकित्सालय का मुख्य कार्य निरोधात्मक औषधि और उसके निष्कर्ष।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्मेलन मे किन विषयों पर बहस की गई थी ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : केवल एक ही विषय पर बहस की गई थी । विभागीय समुदायों द्वारा समग्र अधिवेशन में निम्न चार दृष्टिकोणों से इसका अध्ययन किया गया था—प्रक्रम, योजना और निर्माण, द्वितीय, प्रशासन, तीसरे, औषधि और चतुर्थ, समाज सुधार सेवाएं ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत उक्त अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का सदस्य कब से है ?

श्रीमती चन्द्र शेखर : भारत १९५१ से इसका सदस्य है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि विश्व में विशूचिका (कालरा) फैलने के सम्बन्ध म विश्व स्वास्थ्य संगठन

द्वारा संग्रहीत आंकड़ों पर उक्त अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बहस की गई थी ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि उक्त कांग्रेस में अध्ययन का प्रमुख विषय चिकित्सालय का मुख्य कार्य निरोधात्मक औषधि और उसके निष्कर्ष पर था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विषय में यदि माननीय सदस्य अलग प्रश्न पूछें तो मैं उत्तर दूंगी।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि उक्त सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किन व्यक्तियों ने किया था ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : भारत सरकार की ओर से लंदन स्थित उच्च आयुक्त के मेडिकल सलाहकार, श्री परीश्चा ने प्रतिनिधित्व किया था।

श्री बी० एस० मूर्ति : उक्त सम्मेलन द्वारा कौन सी सिफारिशें की गई हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : पूर्ण प्रतिवेदन की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

रेल प्रयोक्ताओं की परामर्शदात्री समिति

***५४१. श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उनके बजट भाषण में प्रतिपादित रेल प्रयोक्ताओं की राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, प्रादेशिक अथवा विभागीय परामर्शदात्री समितियों का निर्माण कर दिया गया है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : हां।

श्रीमती ए० काले : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या इन समितियों के लिये नामों का निर्देशन किया गया है अथवा उन का निर्वाचन हुआ है ?

श्री शाहनवाज खां : उनका प्रधानतः नाम निर्देशन किया गया है।

श्रीमती ए० काले : इस समिति के सम्बन्ध में संसद् सदस्यों की क्या स्थिति रहेगी ?

श्री शाहनवाज खां : वे केवल मंत्रणा प्रदान करेंगे।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या मैं जान सकता हूं कि इन समितियों और रेल मंत्रणा समिति में क्या अन्तर है ?

श्री शाहनवाज खां : इन समितियों का स्वरूप

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया मेरी ओर देखें।

श्री शाहनवाज खां : मुझे खेद है। इन नवीन समितियों का स्वरूप लगभग पुरानी मंत्रणा समितियों के समान ही है, अन्तर इतना है कि रेल विभाग और इन समितियों के सहयोग से हम उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिये उन्हें अधिक प्रभावशाली रूप देना चाहते हैं।

श्रीमती ए० काले : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या संसद् सदस्य नाम निर्देशन से वंचित रखे गये हैं ?

श्री शाहनवाज खां : उक्त समितियों में उन्हें बहुत अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है।

श्री दाभी : उक्त प्रत्येक समिति में इस सदन के कितने सदस्यों को नियत किया गया है ?

श्री शाहनवाज खां : राष्ट्रीय मंत्रणा समिति में संसद् के अठारह सदस्यों को लेने का इरादा है। प्रत्येक क्षेत्रीय समिति में भी कुछ संसद् सदस्य हैं।

श्री रघुरामय्या : मंत्री जी ने कहा था कि इस समिति की रचना लगभग पहले की मंत्रणा समिति के समान ही है और वे इसे अधिक प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। मैं

जानना चाहता हूं कि इसे अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये क्या केवल उसके नाम में ही परिवर्तन किया गया है अथवा कुछ और भी किया गया है ताकि यथार्थ रूप में यह अधिक प्रभावपूर्ण सिद्ध हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय: आप बहस कर रहे हैं।

श्री रघुरामय्या: मैं जानना चाहता हूं कि इसे प्रभावशाली बनाने के सम्बन्ध में क्या प्रस्ताव हैं। मैं प्रश्न को अधिक बोधगम्य कर देता हूं।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): माननीय सदस्य कुछ समय ठहर कर जान सकते हैं कि यह कितनी प्रभावशाली है।

श्री एस० एन० दास: क्या मैं वे महत्वपूर्ण विषय जान सकता हूं जिन पर राष्ट्रीय मंत्रणा समिति से परामर्श लिया गया है?

श्री अलगेशन: सितम्बर की पहली बैठक के पश्चात समिति की आज तक कोई बैठक नहीं हुई है।

श्री एल० एन० मिश्र: श्रीमान्, क्या मैं राष्ट्रीय मंत्रणा समिति के सदस्यों के नाम जान सकता हूं।

श्री शाहनवाज खां: यह विस्तृत वक्तव्य है जिसे सदन पटल पर रख दिया जाये गा।

श्री हेडा: क्या सरकार का यह विचार कि अभी तक कोई बैठक न करने से समिति अधिक प्रभावशाली बनेगी।

उपाध्यक्ष महोदय: इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सारंगधर दास: क्या मैं जान सकता हूं कि ये समितियां कब बनाई गई थीं?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): प्रादेशिक समितियां दो महीने पूर्व बनाई गई थीं। क्षेत्रीय समिति और प्रादेशिक समिति दोनों की बैठक हो चुकी हैं। राष्ट्रीय समिति की बैठक सितम्बर में किसी समय होगी।

श्री पुन्नूस: श्रीमान् क्या मैं जान सकता हूं कि इन क्षेत्र समितियों में सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है अथवा इन में केवल कांग्रेस का ही एकाधिकार है?

श्री अलगेशन: इन समितियों में सब दलों को प्रतिनिधित्व दिया गया है।

श्री एम० एल० द्विवेदी: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पहले जो सलाहकार समितियां थीं क्या वे इतनी असरदार नहीं थीं कि उनको खत्म करके ये नई समितियां बनाई गईं और अब जो बनाई गई हैं उन में कौन मेम्बरान हैं?

श्री एल० बी० शास्त्री: जैसा अभी बतलाया गया है इन कमेटियों के बनाने में यह इरादा है कि इन से ज्यादा काम लिया जा सके। फर्क पुरानी और इन कमेटियों में यह है कि पहले उन पर पार्लियमेंट के मेम्बर थे, अब उन पर दूसरे लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। एक अरसे से यह मांग थी कि और लोगों को भी मौका दिया जाय इन कमेटियों पर आने का और इसलिये और लोग भी इन में अब शामिल किये गये हैं। उम्मीद यह है कि सब के सलाह मशवरे से अब इन कमेटियों का काम पहले से ज्यादा फायदेमंद होगा।

श्री पुन्नूस: श्रीमान् क्या मैं दक्षिण रेलवे क्षेत्रीय समिति के सदस्यों के नाम जान सकता हूं?

श्री अलगेशन: इस में संसद् के तीन सदस्य हैं। वे श्री पी० नेटसन, श्री ए० एम० टामस और राज्य परिषद् के श्री गोविन्द राजन हैं।

बाबू रामनारायण सिंह: इस कमेटी की पूरी संख्या क्या है और दूसरे दल के कितने लोग हैं और कौन कौन हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय: कौन सी कमेटी ?

बाबू रामनारायण सिंह: वही कमेटी, वही रेलवे कमेटी जो बनी है और जिस के बारे में बातचीत हो रही है ।

श्री शाहनवाज खां : आनरेबिल मेम्बर का मतलब नशनल कनसलटेटिव कमेटी से है तो इसके मेम्बरों की एक लम्बी फेहरिस्त है जो कि टेबल पर रखी जायगी ।

श्री वी० पी० नायर: पहले के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया गया है । क्या यह सच नहीं है कि उन्होंने जिन तीनों सदस्यों के नामों का उल्लेख किया है वे तीनों कांग्रेस दल के हैं और अत: अन्य दलों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है ।

श्री अलगेशन: नामों की पूरी सूची सदन पर रखी जायेगी । माननीय सदस्य स्वयं जान सकते हैं कि क्या वे नाम सब दलों से सम्बन्धित हैं ।

श्री मुनिस्वामी: मैं जानना चाहता हूं कि समितियों के लिये उन सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया गया है ?

श्री अलगेशन: उन के नाम मंत्री महोदय द्वारा निर्देशित हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय: सदन में यह कहना अन्याय है ।

गुड़ उत्पादन

***५४२. श्री के० पी० सिन्हा:** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ में गुड़ का कुल उत्पादन राज्यवार कितना है ?

(ख) गत वर्ष की तुलना में इस की स्थिति कैसी है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): (क) और (ख). १९५२-५३ के गुड़ उत्पादन के अन्तिम आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं किन्तु अनुमान है कि वह १९५१-५२ से पन्द्रह प्रतिशत कम हैं ।

श्री के० पी० सिन्हा: क्या मैं जान सकता हूं कि मूल्य के भुगतान से गुड़ का उत्पादन कहां तक प्रभावित हुआ है ।

श्री किदवई: एक का दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

लाला अचिन्त राम: क्या माननीय मंत्री जी बतलावेंगे कि गांव में बढ़ती हुई बेकारी का ख्याल करते हुए गवर्नमेंट क्या कदम उठा रही है कि ज्यादा लोग गुड़ बनाने के काम में लग सकें ?

श्री किदवई: जब ज्यादा लोग गन्ना बोना शुरू करेंगे तो जाहिर है कि ज्यादा गुड़ बनावेंगे ।

लाला अचिन्त राम: मेरी गुजारिश यह है कि क्या गवर्नमेंट ऐसे कदम उठा रही है कि जो लोग गुड़ बना रहे हैं उन को आसानियां मिलें, जैसे पैन (कढ़ाइयां) सस्ते दामों में मिल सकें, और सामान सस्ते दामों में मिल सके, क्या गवर्नमेंट इस तरह के कोई कदम उठा रही है कि जिस से उन को ज्यादा आसानी हो ?

श्री किदवई: आप के सवाल का जो मतलब है वह मैं स्टेट्स गवर्नमेंट को भेज दूंगा ताकि वह इस पर तवज्जह दे सकें ।

लाला अचिन्त राम: सवाल भेजने के अलावा आप क्या और कदम भी उठा सकते हैं ?

श्री के० पी० सिन्हा: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष के गुड़ के मूल्य क्या हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : तुलनात्मक आंकड़े मैं नीचे दे रहा हूं :—

जनवरी १९५२ में गुड़ का मूल्य १३ रुपए प्रति मन था ।

जनवरी १९५३ में गुड़ का मूल्य १३ रुपए ४ आने प्रति मन था ।

फरवरी १९५२ में गुड़ का मूल्य १० रुपए १२ आने प्रति मन था ।

फरवरी १९५३ में गुड़ का मूल्य १३ रुपए ९ आने प्रति मन था ।

जून १९५२ में गुड़ का मूल्य १० रुपए प्रति मन था ।

जून १९५३ में गुड़ का मूल्य १९ रुपए ८ आन प्रति मन था ।

जुलाई १९५१ में गुड़ का मूल्य १२ रुपए प्रति मन था ।

जुलाई १९३३ में गुड़ का मूल्य २१ रुपए २ आने प्रति मन था ।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह बात सही है कि इस वर्ष गुड़ की कीमतों में बहुत घटा बढ़ी हुई है और यह एक वजह है जिस के सबब से गुड़ का उद्योग इस देश में जितना बढ़ना चाहिये उतना नहीं बढ़ रहा है ?

श्री किदवई : मुमकिन है कि आनरेबिल मैम्बर की राय सही हो ।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह बात सही नहीं है कि अभी जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि कुछ दिनों के पहले गुड़ की कीमत १३ रुपये थी और अब वह २० रुपये है और इस घटा बढ़ी की वजह से इस उद्योग की तरक्की नहीं हो रही है ?

श्री किदवई : २० रुपये तो कुछ जगहों पर है, जेसे कि जबलपुर में, लेकिन कोल्हापुर में ३२ रुपये और २८ रुपये है । तो इस की वजह यह है कि गुड़ इस साल १५ फी सदी कम पैदा हुआ और जब पैदावार कम हो और खरीदार ज्यादा हों तो दाम बढ़ जाते हैं ।

श्री शिवनंजप्पा : क्या मैं १९५२ में गन्ने की गुड़-निर्माण के लिये प्रयोग की जाने वाली कुल मात्रा जान सकता हूं ?

श्री किदवई : १९५२ के अन्तिम आंकड़े अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ।

श्री नानादास : राज्यों के गुड़-उत्पादकों को क्या सुविधायें दी गई हैं ?

श्री किदवई : यदि राज्य कोई सुविधायें चाहते हैं, तो हम उन्हें देने का प्रयत्न करेंगे ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उत्पादन में कमी होने के कोई कारण हैं ?

श्री किदवई : सब से अधिक उपजाऊ क्षेत्र मेरठ है और इस वर्ष फसल में कीड़े लग गये थे और इसी लिये उस से प्राप्त होने वाले गुड़ और चीनी में कमी हो गई थी ।

श्री हेडा : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि गुड़ का उत्पादन गन्ने के मूल्य के निर्धारण पर निर्भर होता है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है , क्या सरकार मामले के इस पहलू पर विचार कर के सरकारी नीति निश्चित करती है ?

श्री किदवई : माननीय सदस्य ने पहले जो कुछ कहा उसी का अब उन्होंने स्वयं प्रतिवाद किया है ; यदि फैक्ट्री के लिये गन्ने का मूल्य कम निश्चित किया जाय, तो गुड़ का उत्पादन अधिक होना चाहिये । चूंकि अनेक वर्षों के बाद इस वर्ष पहली बार गुड़ के मूल्य अधिक थे इस लिये गन्ने का मूल्य फिर एक रुपया पांच आना रखा गया था । इस लिये गुड़ का उत्पादन अधिक होना चाहिये किन्तु वास्तव में वह घट गया है ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या त्रावनकोर कोचीन के मूल्य के कम निर्धारण ने उपज के क्षेत्र को और प्रति एकड़ पैदावार को भी प्रभावित किया है ?

श्री किदवई : यह सच हो सकता है, किन्तु इस वर्ष मैं ने गन्ने की खेती में कमी नहीं पाई है। हो सकता है कि वह बढ़ गई हो। मैं ने बार बार यह कहा है कि अन्य वैकल्पिक उत्पादों के तुलनात्मक मूल्य उत्पादन को सदा प्रभावित करते हैं। उस दिन मैं ने कहा था कि जब गन्ने का मूल्य दो रुपये प्रति मन निर्धारित किया गया था तो अगले वर्ष गन्ने की उपज कम हो गई क्योंकि गेहूं तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य कहीं अधिक थे। अतः मूल्य का कोई महत्व नहीं होता बल्कि तुलनात्मक मूल्य का महत्व होता है।

सेठ गोविन्द दास : माननीय मंत्री जी ने अभी यह कहा कि फलां फलां जगह पर गुड़ की कीमत इतनी है और फलां जगह इतनी है और उस के दामों में घटा बढ़ी बहुत हुई है, क्या गवर्नमेंट इस बारे में कुछ सोच रही है कि कीमतों की इतनी ज्यादा घटा बढ़ी को रोका जा सके और एक जगह से दूसरी जगह गुड़ की कीमतों में इतना ज्यादा फर्क न रहे ?

श्री किदवई : आज कल गुड़ के इधर से उधर जाने में कोई रोक नहीं है, लिहाजा जहां पर जैसी सप्लाई होती है और जितनी ज्यादा उस की डिमांड होती है, उसी हिसाब से वहां पर गुड़ का दाम होता है, और अगर हम वहां पर कुछ आर्टिफिशियल कंट्रोल कीमत का करना भी चाहें जैसे अगर हम चाहें कि कोल्हापुर में १२ रुपये मन गुड़ मिल जाये जब कि वहां बाजार में २८ रुपये उस के दाम हैं तो सिवाय इस के कि ब्लैक मार्केटियर्स को कुछ और ज्यादा फायदा कर दें और दूसरा कोई फायदा उस से नहीं होने वाला है।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि गुड़ के कम उत्पादन के कारण आज कल बाजार से चीनी गायब हो गई है ?

श्री किदवई : बाजार से चीनी गायब नहीं हो गई है, किन्तु गुड़ के अधिक मूल्य के कारण गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष चीनी की खपत अधिक हुई है। पहले यह सोचा गया था कि कदाचित चीनी को छपा रखा गया हो, किन्तु बैंकों के द्वारा की गई जांचों से यह पता चलता है कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष चीनी पर अधिक पूंजी नहीं लगाई गई है। अतः हम यह मान सकते हैं कि इस वर्ष खपत लगभग ५० प्रतिशत बढ़ गई है।

तिलहन का परिमाप

*५४३. **श्री हेडा :** (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कम महत्व वाले तिलहन का परिमाप पूरा हो गया है ?

(ख) यदि हो गया है तो उस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

(ग) यदि नहीं, तो उस के पूरे होने की आशा कब तक है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) मद्रास राज्य को छोड़ कर, अभी तक नहीं।

(ख) मद्रास के सम्बन्ध में मुख्य सिफारिशें ये हैं :—

(१) कि तेल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के हेतु नीम के तेल के और औद्योगिक उपयोग ढूंढे जाने चाहियें। और साबुन बनाने के लिये इस की अधिक मात्रा का प्रयोग करना चाहिये।

(२) कि पुंगम, महुआ तथा पिन्नाई तेलों के नये उपयोगों का पता लगाने के लिये अनुसन्धान कार्य को प्रोत्साहित किया जाये; और

(३) कि तम्बाकू के बीज के तेल की उद्योगों में उपयोग की सम्भावनायें देखी जानी चाहियें और यह कि तम्बाकू के बीज की

टिकियों के निर्यात की अनुमति दी जानी चाहिये ।

(ग) अन्य राज्यों में शुरू किये गये परिमापों की एक वर्ष के अन्दर पूरे होने की आशा है ।

श्री हेडा: उत्तर से यह प्रतीत होता है कि सरकार समझाने बुझाने के उपायों के सफल होने की प्रतीक्षा कर रही है । उस के अतिरिक्त, महत्वपूर्ण तिलहनों पर पड़ने वाले भार को कम करने के उद्देश्य से अन्य कम महत्व वाले तिलहनों को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार क्या ठोस कार्यवाही कर रही है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: केवल मद्रास राज्य से ही हमें समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, और उस प्रतिवेदन में बहुत सी आश्चर्यजनक चीजें सामने आई हैं । उस प्रतिवेदन के फलस्वरूप हम ने निम्नलिखित कार्यवाही की है । समिति द्वारा स्वीकृत योजनाओं के आधीन हारकोर्ट बटलर टेकनोलाजिकल इंस्टीट्यूट कानपुर और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पूना में नीम के तेल पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है । महुआ के तेल और तम्बाकू के बीज के तेल के उपयोग करने के सम्बन्ध में अनुसन्धान जारी हैं . . . .पहले प्रकार के तेल के लिये हारकोर्ट बटलर टेकनोलाजिकल इंस्टीट्यूट कानपुर और बम्बई विश्वविद्यालय के रासायनिक टेकनोलाजी विभाग में, और दूसरे प्रकार के तेल के लिये राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पूना में । अभी हाल ही में अन्य राज्यों से भी योजनायें प्राप्त हुई हैं । वे विचाराधीन हैं ।

श्री वी० पी० नायर: भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति के प्रतिवेदन से पता चलता है कि उस समिति ने त्रावनकोर-कोचीन राज्य में नीम, पुंगम, महुआ, नरोट्टी और पिन्नाई की संभावनाओं का अनुमान लगाने के लिये एक योजना की सिफारिश की है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने समिति के सुझाव के अनुसार योजना का कार्य आरम्भ कर दिया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: कौन सी समिति ?

श्री वी० पी० नायर: १९४६ के अधिनियम के आधीन बनाई गई भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: केन्द्रीय तिलहन समिति के आधीन मद्रास के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी, और मद्रास से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मैं ने आंकड़े दे दिये हैं । वह केवल मद्रास के सम्बन्ध में हैं, त्रावनकोर-कोचीन के सम्बन्ध में नहीं ।

श्री वी० पी० नायर: मैं यह नहीं जानना चाहता ।

उपाध्यक्ष महोदय: किस वर्ष की सिफारिश ?

श्री वी० पी० नायर: १९५२ की । मैं भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति के प्रतिवेदन का हवाला दे रहा हूं । श्रीमान्, मेरे पास प्रतिवेदन यहां पर है ।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है । क्या तिलहन समिति द्वारा रखी गई सिफारिश पर कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: तिलहन समिति ने मद्रास के लिये एक समिति नियुक्त की थी और उस समिति ने सारी चीजों की जांच की थी, और उन की सिफारिशें केवल मद्रास के सम्बन्ध में हैं, त्रावनकोर-कोचीन के नहीं ।

श्री वी० पी० नायर: श्रीमान्, बात यह नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय: त्रावनकोर-कोचीन के लिये कोई समिति नियुक्त नहीं की गई है ।

श्री वी० पी० नायर: समिति के प्रति-वेदनों में यह बताया गया है कि १९४२ रुपयों की लागत की एक योजना की सिफारिश की गई है, जिस में केन्द्रीय सरकार की समिति और राज्य सरकार बराबर बराबर हिस्सा बंटायेंगी । मैं यह जानना चाहता था कि क्या वह योजना बना ली गई है, और यदि बना ली गई है तो, योजना में हिसाब लगाया गया कम महत्व वाले तिलहनों से प्राप्त होने वाला तेल का अनुमानित उत्पादन ।

उपाध्यक्ष महोदय: निश्चित उत्तर दीजिये कि वह किया गया है अथवा नहीं ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: मैं उस के लिये पूर्व सूचना चाहूंगा ।

श्री वी० पी० नायर: ऐसा कहिये ।

लाला अचिन्त राम: क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जितना आयल सीड्स देश में पैदा होता है, उस में से कितनी मिकदार एसी है जो कोल्हू के जरिये से तेल निकालने में काम आती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): हर चीज कोल्हू से निकलती है ।

श्री सारंगधर दास: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या नीम के तेल के सम्बन्ध में सरकार को यह पता है कि कलकत्ता में कलकत्ता रासायनिक कम्पनी है जो गत २५ वर्षों से नीम के तेल से साबुन तथा अन्य वस्तुयें निर्मित कर रही है ? क्या हारकोर्ट बटलर इंस्टीट्यूट में काम करने वालों को इस बात का ज्ञान है ?

श्री किदवई: मैं समझता हूं कि हम सभी को माननीय सदस्य द्वारा दी गई जानकारी के लिय कृतज्ञ होना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न ।

श्री हेडा: श्रीमान्, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय: नीम के तेल के विषय में काफी हो चुका ।

गन्ना (उपज)

*५४४. **श्री हेडा:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गन्ने की प्रति एकड़ सब से अधिक उपज;

(ख) किन क्षेत्रों में ३० टन प्रति एकड़ से अधिक औसत उपज होती है;

(ग) गन्ने के अधिक बोये जाने के लिये सरकार क्या उपाय करने का विचार करती है;

(घ) कोयम्बटूर की नस्ल सुधारने की संस्था द्वारा तैयार की गई गन्ने की सब से अच्छी नस्ल; और

(ङ) उस की विशेषतायें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): (क) बम्बई में १२८ टन प्रति एकड़ ।

(ख) भारत का वह भाग जो प्रायद्वीप है, विशेषकर बम्बई, मद्रास, मैसूर और हैदराबाद के राज्य ।

(ग) मुख्य गन्ना उत्पादक राज्यों में भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति द्वारा वित्त-पोषित विकास योजनाओं के अधीन गन्ने को अधिक बोये जाने का कार्य चालू है ।

(घ) और (ङ) एक विवरण सदन पटल रखा गया है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १८**]

श्री हेडा: इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हैदराबाद और कोल्हापुर में पैदा की जाने वाली गन्ने की किस्म संख्या ४१९

से सब से अधिक चीनी आदि का उत्पादन होता है, क्या सरकार इस किस्म के बारे में कोई अनुसन्धान करने और उस को और अधिक सुधारने का विचार करती है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह वही गन्ना है जो अधिकतम १२८ टन प्रति एकड़ पैदा होता है, और यह भारत के प्रायद्वीप वाले भाग में बोया जा रहा है ।

श्री हेडा : लेकिन उस से सम्बन्धित अनुसन्धान कार्य एक ऐसी जगह किया जा रहा है जहां वह पैदा नहीं किया जाता ।

श्री गाडगील : यही सामान्य प्रथा है ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : इस का क्या महत्व है कि कोई विशेष अनुसंधान कहां पर किया जा रहा है ?

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि गन्ने की वह काश्त जिस में, कृत्रिम रूप से सुधारी गई गन्ने की छलनियों का प्रयोग किया जा रहा है, कितनी एकड़ भूमि में होती है ?

श्री किदवई : इस बृहत जानकारी के लिये माननीय सदस्य को पूर्व सूचना देनी होगी ।

श्री वी० पी० नायर : बृहत्त जानकारी ? यह तो एक छोटी सी जानकारी है ?

श्री गोपाल राव : क्या सरकार को पता है कि उन्होंने जो नीतियां अपनाई हैं उन का गन्ने की विस्तृत क्षेत्र में तथा गन्ना काश्त पर हतोत्साहित करने वाला और हानिकारक प्रभाव पड़ा है ?

श्री किदवई : यह माननीय सदस्य का विचार हो सकता है ?

श्री नम्बियार : आप का क्या विचार है ?

उपाध्यक्ष महोदय : विचार के अतिरिक्त क्या उस का कोई हानिकारक प्रभाव पड़ा है ?

श्री किदवई : यदि सरकार को यह सन्देह होता कि उन की नीति का बुरा प्रभाव पड़ेगा तो उन्होंने उस को बदल दिया होता ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं विभिन्न राज्यों के विकास क्षेत्रों में गन्ने की उपज की प्रतिशत वृद्धि के नवीनतम आंकड़े जान सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : २७ राज्यों का एक तालिकाबद्ध विवरण ? मैं ऐसे प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा

श्री किदवई खड़े हुए—

उपाध्यक्ष महोदय : हम २७ राज्यों के लिये एक विवरण कैसे दे सकते हैं ? मानों और कोई काम नहीं है ।

श्री किदवई : मैं एक विशेष किसान का अनुभव बता सकता हूं । उस के सम्बन्ध में मेरे पास आंकड़े हैं । १९४९ में वह ८६ एकड़ भूमि में गन्ने की खेती करता था, और उत्पादन १८,०४९ मन था । अगले वर्ष भूमि ९० एकड़ थी, किन्तु उत्पादन २२,६५७ मन था । उसके अगले वर्ष भूमि घट कर ८७ एकड़ हो गई और उत्पादन २५,९२३ मन तक बढ़ गया । और इस के अगले वर्ष अर्थात् १९५२-५३ में यद्यपि गन्ने की काश्त की भूमि ९० एकड़ से कम थी पर उत्पादन ३२,९०३ मन था । इस से यह पता चलता है, कि, जैसा कि तटकर-आयोग ने अनुमान किया है, प्रति एकड़ उपज लगातार बढ़ती जायेगी और इसलिये गन्ने का मूल्य घटाया जा सकता है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : यह किसान कहां का है ?

श्री किदवई : वह पंजाब का है जहां पर चीनी सब से कम बनती है :

श्री टी० के० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस किसान को 'कृषि पंडित' की उपाधि दिये जाने की सिफारिश की गई है?

श्री किदवई : नहीं, क्योंकि कुछ अन्य लोग उस से भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसा कि मैं ने बताया, दक्षिण भारत में एक काश्त के विषय में उत्पाद १२० मन प्रति एकड़ था ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार, इस विशेष किसान द्वारा किये गये उत्पादन के आधार पर, गन्ने का मूल्य घटाने जा रही है ?

श्री किदवई : मैं समझता हूं कि लोग तटकर बोर्ड के प्रतिवेदन अथवा उस की सिफारिशों पर भरोसा कर रहे हैं। तटकर बोर्ड ने यह सिफारिश की थी कि जैसे जैसे वर्ष बीतेंगे, प्रति एकड़ उपज बढ़ेगी और इस लिये मूल्य कम किया जाना चाहिये। यदि हम ने बोर्ड की सिफारिश अक्षरशः स्वीकार कर लिया होता तो आज गन्ने का मूल्य एक रुपया दो आना होना चाहिये था, लेकिन अभी भी हम एक रुपया पांच आना दे रहे हैं ।

सरदार लाल सिंह : माननीय मंत्री ने पंजाब के बारे में जो ये आंकड़े दिये हैं क्या वे दूसरे प्रान्तों के साथ भी लागू हैं ? क्या यह तथ्य नहीं है कि दूसरे प्रान्तों के गन्ना विशेषज्ञों ने यह नहीं कहा है कि गन्ने का मूल्य इतना थोड़ा है कि गन्ना उत्पादक कोटाणुनाशक, फफूंदीनाशक तथा कृषि सार का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें इतना पैसा नहीं मिलता कि वे इन का प्रयोग भी कर सके ।

श्री किदवई : जैसा कि मैं ने कहा है कि एक वर्ष हम दो रुपया प्रति मन की दर से देते रहे हैं। मैं एक बार फिर से उस विशेष किसान का उदाहरण लूंगा। एक वर्ष दो रुपया प्रति मन के भाव से मूल्य निश्चित कर दिया गया था। मैं ने देखा कि अगले वर्ष इस का उत्पादन बहुत कम हो गया है। २१ हजार मन से घट कर आठ हजार मन रह गया क्योंकि अन्य दूसरी चीजों का मूल्य चोर बाजार में बहुत ऊंचा था ।

सरदार लाल सिंह : क्या मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकता हूं कि उन के आंकड़े ठीक नहीं हैं क्योंकि १९४७-४८ में .....

श्री राज बहादुर : एक वैधानिक प्रश्न है .....

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्यों को भली भांति ज्ञात होगा कि यह प्रश्नकाल नहीं है जब कि वे माननीय मंत्री को कोई सूचना दें। यहां सदन में कोई प्रति परीक्षा नहीं होनी चाहिये। प्रति परीक्षा के रूप में मैं कोई प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा । बात तो यह है कि यदि किसी प्रकाशित पुस्तक, प्रलेख, साहित्य, प्रशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन में से कोई आंकड़े तथा कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो उस की प्राप्ति के लिये वे माननीय मंत्री से प्रश्न कर सकते हैं। किन्तु माननीय मंत्री की भूल बताने का यह समय नहीं है । यह भूल सुधार बाद को भी किया जा सकता है ।

सरदार लाल सिंह : केवल जानकारी के लिये ही मैं यह प्रश्न कर रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि, जब माननीय मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर ठीक न हो तो क्या एक माननीय सदस्य यह नहीं कह सकता कि जानकारी गलत है अथवा भ्रमात्मक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कैसे है कि माननीय सदस्य कहते हैं कि अमुक प्रतिवेदन में अमुक अमुक आंकड़े दिये गये हैं। माननीय सदस्य यह जानते हैं कि प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है ।

श्री नामधारी : एक वैधानिक प्रश्न है . .

उपाध्यक्ष महोदय : वैधानिक प्रश्न के सम्बन्ध में मैं अपना निर्णय दे चुका हूं ।

श्री मेघनाद साहा : क्या सरकार ने श्री टी० एस० वेंकटारमन के वैज्ञानिक कार्यों को मान्यता देने के बारे में कोई पग उठायें हैं जिन के अनुसन्धानों के कारण गन्ने की विभिन्न किस्मों में उन्नति होगी और जिन के परिणाम स्वरूप गन्ना उद्योग को धराशायी होने से बचाया गया है ?

श्री किदवई : मैं समझता हूं कि यहां केवल उस के नाम लेने मात्र से ही उन की सेवाओं को मान्यता मिल गई है ।

कुमायूं एक्सप्रेस का पटरी पर से उतरना

*५४५. **सरदार ए० एस० सहगल :** (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि उत्तर पूर्व रेलवे के काठगोदाम-बरेली भाग में २५ मई १९५३ को अथवा उस के आस पास कुमायूं एक्सप्रैस को पटरी पर से उतारने का प्रयत्न किया गया था ?

(ख) इस का पता किस प्रकार लगा ?

(ग) क्या घटना स्थान पर जो कि किच्चर पुल के समीप घने जंगल में है, वहां गश्त लगाया गया था ?

(घ) क्या जांच सम्बन्धी कार्यवाही शुरू हो गई है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख) : २५ मई १९५३ को लगभग ७ बज कर ३ मिनट पर सांयकाल को जब कि उत्तर पूर्व रेलवे के कासगंज काठगोदाम भाग में किच्छा तथा बाहेरी स्टेशनों के बीच २१२ डाउन कुमायूं एक्सप्रेस जा रही थी तो ड्राइवर को जोर का झटका लगा और उस ने गाड़ी रोक दी । रेल मार्ग की जांच करने पर ज्ञात हुआ कि रेल की पटरियों के बीज में एक लम्बी कील लगी हुई है ।

(ग) नहीं । इस घटना के बाद आंशिक रूप से गश्त शुरू कर दिया गया है ।

(घ) सरकारी रेलवे पूलिस इस की जांच कर रही है ।

सरदार ए० एस० सहगल : ऐसे घने जंगलों में पड़ने वाले क्षेत्रों में गश्त लगाने में वृद्धि करनी चाहिये क्या इस सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है ।

श्री शाहनवाज खां : रेलवे लाइन की सुरक्षा के सम्बन्ध में सरकार सदैव ही बहुत ध्यान देती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ए० एम० टामस :

सरदार ए० एस० सहगल : क्या इस घटना के उपरान्त सरकार गश्त की संख्या में वृद्धि करेगी . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैंने श्री ए० एम० टामस का नाम पुकारा है ।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस घटना के बारे में जांच हुई है, यदि हां तो क्या उन्हों ने यह बताया है कि यह एक आम विनाशकारी योजना का एक भाग है अथवा एक आकस्मिक घटना है ?

श्री शाहनवाज खां : इस घटना के सम्बन्ध में कोई नियमित जांच नहीं हुई है । किन्तु हमारे ज़िला पदाधिकारी के प्रतिवेदन से प्रकट होता है कि यह विध्वंस का मामला है ।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसे मामलों में क्या रेलवे कर्मचारियों द्वारा गश्त लगाया जाता है अथवा पुलिस और रेलवे कर्मचारी दोनों द्वारा ?

श्री शाहनवाज़ खां: रेलवे कर्मचारी ट्रोलियों (रेल की पटरियों पर ढकेल कर चलाने वाले छोटे ठेले) पर गश्त लगाते हैं, तथा कभी कभी स्थानीय असैनिक पुलिस भी गश्त लगाती है ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ का उत्पादन सम्बन्धी प्रतिनिधि मंडल

*५४६. **श्री ए० एन० विद्यालंकार:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के उत्पादन सम्बन्धी प्रतिनिधि मंडल की जो दिसम्बर, १९५२ से यहां काम कर रहा है, अवधि बढ़ा दी है ?

(ख) इस प्रतिनिधिमंडल ने किस प्रकार का कार्य किया है ?

(ग) भारतवर्ष में इस प्रतिनिधिमंडल ने अब तक कितना कार्य किया है ?

(घ) उद्योगों मे होने वाली बृहद् कमी को रोकने के सम्बन्ध में भी क्या इस प्रतिनिधि मंडल ने कोई सिफ़ारिश की है ?

(ङ) इस प्रतिनिधि मंडल पर भारत सरकार ने अब तक कितना व्यय किया है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) जी हां। इस प्रतिनिधि मंडल की अवधि नवम्बर, १९५३ के पहिले सप्ताह तक बढ़ा दी गई है ।

(ख) इस प्रतिनिधिमंडल का कार्य ऐसे प्रदर्शन करता है जिनमें यह दिखाया जाता है कि नवीनतम कार्यप्रणाली तथा मशीनों के प्रयोग से कपड़ा तथा इंजीनियरिंग उद्योगों में कर्मचारियों की आय तथा उत्पादन किस प्रकार बढ़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप उन के वेतन की वृद्धि हो सकती है ।

(ग) प्रतिनिधि मंडल का कार्य वर्तमान नवीनतम क्रिया प्रणाली को क्रियान्वित करके उत्पादन को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है इसके अध्ययन और प्रदर्शनमात्र तक ही सीमित रहा है । इस अध्ययन काल में प्रदन्धकों तथा मज़दूर संघों की ओर से भेजे गये व्यक्तियों को प्रणाली के सम्बन्ध में प्रशिक्षा दी जाती है । ताकि वह अध्ययन काल में कारख़ानों में भी वैसा ही कार्य कर सके। इस प्रकार प्रदर्शित मामलों में उत्पादन वृद्धि में बारह प्रतिशत से ११६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

(घ) इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह प्रदर्शन करना था कि वर्तमान मशीनें तथा जनशक्ति का प्रयोग उत्पादन में चहुंमुखी वृद्धि के लिये किस प्रकार किया जा सकता है ? छंटनी तथा अभिनवीकरण का कोई प्रश्न नहीं था ।

(ङ) जुलाई, १९५३ के अन्त तक ३८ हज़ार रुपया व्यय किया गया है ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार: क्या मैं जान सकता हूं कि किन किन राज्यों में यह अध्ययन का कार्य हुआ है ?

श्री वी० वी० गिरि: कपड़ा उद्योग के सम्बन्ध में वास्तविक जानकारी बम्बई और अहमदाबाद में की जा रही है ; तथा इंजीनियरिंग उद्योग के सम्बन्ध में कलकत्ता में ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार: क्या प्रतिनिधि मंडल ने कोई प्रतिवेदन दिया है ?

श्री वी० वी० गिरि: प्रतिनिधि मंडल तो अभी काम कर रहा है ।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या मैं जान सकता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ से १९५१ में हुए समझौते के आधार पर यह प्रतिनिधि मंडल यहां आया है अथवा अन्य किसी पीछे किये गये समझौते के आधार पर ।

श्री वी० वी० गिरि: मेरा विचार है कि यह पहले समझौते के आधार पर यहां आया है । पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने भी ऐसी इच्छा प्रकट की थी कि इसकी जांच की जाय तथा अध्ययन भी किया जाय ।

श्री के० के० बसु: क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रतिनिधि मंडल द्वारा किये गये अध्ययन के आधार पर की गई सिफ़ारिशों का प्रभाव किसी न किसी प्रकार देश की बेकारी की स्थिति पर भी पड़ेगा ?

श्री वी० वी० गिरि: नहीं बिल्कुल नहीं ।

श्री बी० एस० मूर्ति: कितने मुख्य केन्द्र इसके लिये चुने गये हैं क्या इन सभी के हों में भी एक ही सा कार्य किया गया है ?

श्री वी० वी० गिरि: तीन केन्द्र हैं । बम्बई, अहमदाबाद, तथा कलकत्ता जहां कि यह मुख्य कार्य चल रहा है ।

श्री नम्बियार: क्या मैं जान सकता हूं कि यह प्रतिनिधिमंडल क्या समय और गति के सम्बन्ध में भी कार्य करेगा जिसमें बेकारी तथा छंटनी का प्रश्न भी सम्मिलित है ।

श्री वी० वी० गिरि: मैं तो ऐसा नहीं समझता ।

श्री वेलायुधन: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग में अभिनवीकरण करने के बारे में भी सुझाव दिया है ? क्या इस प्रकार का यह अभिनवीकरण कारखानों में और छंटनी नहीं करायेगा ?

श्री वी० वी० गिरि: यह प्रतिनिधि-मंडल अधिनवीकरण के प्रश्न पर नहीं विचार करेगा ।

श्री के० पी० त्रिपाठी: क्या ऐसा प्रस्ताव किया गया है कि इन केन्द्रों को स्थायी बना दिया जाय जहां समय और गति की वृद्धि हो सके ।

श्री वी० वी० गिरि : यह तो इससे एकदम अलग की बात है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: क्या मैं यह समझूं कि इस प्रतिनिधि मंडल का उद्देश्य कार्य के सम्बन्ध में अच्छी प्रक्रियायें उत्पन्न करना है ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह प्रतिनिधि मंडल कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा ताकि इसकी सिफ़ारिशों को देश भर के सभी उद्योगों में लागू किया जा सके ?

श्री वी० वी० गिरि: यह प्रतिनिधि मंडल अपना कार्य नवम्बर में समाप्त करेगा और वह कार्य इस देश में एक संघ द्वारा चालू रहेगा ।

श्री घुन्नूस: क्या मैं माननीय मंत्री से ऐसा आश्वासन पा सकता हूं कि इसकी सिफ़ारिशों को सम्बन्धित कर्मचारी संघों से परामर्श किये बिना लागू नहीं किया जा सकेगा ?

श्री वी० वी० गिरि: निश्चय ही, श्रीमान् ।

प्रशिक्षा के लिये विदेशों को भेजे गये पदाधिकारी

*५४७. **श्री एम० आर० कृष्ण:** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ में कृषि तथा तत्सम्बन्धी विषयों में प्रशिक्षा पाने के लिये विदेशों को भेजे गये पदाधिकारियों की संख्या कितनी है ?

(ख) प्रशिक्षा पाने के बाद भी कितने पदाधिकारी खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में ही हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) बीस ।

(ख) वे ग्यारह पदाधिकारी जिन्होंने विदेशी प्रशिक्षा प्राप्त की है खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत काम कर रहे हैं । पांच अभी भी प्रशिक्षा पा रहे हैं, एक तो प्रशिक्षा पाने के समय में ही मर गया और तीन को एक और मंत्रालय में स्थानान्तरित किया गया है ।

श्री एम० आर० कृष्ण : उन सभी पदाधिकारियों पर कुल कितना धन व्यय किया जा चुका है, और उन के वर्तमान पदों पर किस रूप में उनकी प्रशिक्षा तथा उनके अनुभव से लाभ उठाया जा रहा है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : श्रीमान्, पहली बात यह है कि हम उन की प्रशिक्षा पर धन व्यय नहीं करते । दूसरे यह कि जभी उनकी सेवायें उपयोगी समझा जाती हैं, तभी उन्हें विदेशों को भेजा जाता है, और उनके लौटने के बाद उन्हें उसी विशेष विभाग में काम पर लगाया जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : विदेश भेजे जाने से पहले ही वे काम में लगे हुए थे ।

श्री रघुरामय्या : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वे तीन पदाधिकारी जो अन्य विभागों में भेजे गये हैं, इसी प्रकार का काम करने के लिये भेजे गये हैं जिस प्रकार उन्होंने प्रशिक्षा प्राप्त की है, अथवा क्या इस का उस कार्य के साथ जिस के लिये उन्होंने विदेशों में प्रशिक्षा प्राप्त की, कोई भी सम्बन्ध नहीं है ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : उन्हें इस अर्थ में अन्य विभागों में भेजा गया था कि स्वयं उनका वह विभाग और किसी मंत्रालय को स्थानान्तरित किया गया था । हमारे मंत्रालय का एक भाग फसल काटने के प्रयोगों के लिये योजनाओं का सहयोजन कर रहा था । और बाद में हम ने उसे वित्त मंत्रालय की स्थानान्तरित किया । अतः इस अर्थ में इन्हें स्थानान्तरित किया जा चुका है, किन्तु उन्हें किसी भी रूप में काम से विस्थापित नहीं किया गया है ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह भाग जो वित्त मंत्रालय को स्थानान्तरित हुआ है, अभी भी वही काम कर रहा है, अथवा इसने वह काम बन्द किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : पहले वह भाग आंकड़ा-सम्बन्धी कार्य कर रहा था, और अब भी वह यही काम कर रहा है ।

डा० सुरेश चन्द्र : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने मंत्रालय के इस भाग को खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से वित्त मंत्रालय को स्थानान्तरित करना क्यों पसन्द किया ?

श्री किदवई : क्योंकि इस प्रकार का निश्चय हुआ था कि एक ही स्थान पर आंकड़ा-सम्बन्धी कार्य होना चाहिये । इसीलिये, ऐसा काम किया गया ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या मैं जान सकती हूं कि ये पदाधिकारी किन किन देशों को भेजे जाते हैं, और प्रशिक्षा की अवधि कितनी होती है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : उन्हें आठ या दस भिन्न भिन्न देशों को भेजा गया था । हमने दो आस्ट्रेलिया भेजे, एक न्यूज़ीलैंड भेजा, नौ संयुक्त राज्य अमरीका भेजे, चार ग्रेट ब्रिटेन को भेजे, और जापान, बंगकाक, स्वेडन, जर्मनी तथा इटली को एक एक पदाधिकारी भेजा था ; चुनाचि प्रशिक्षा-अवधि भी भिन्न भिन्न थी—कई छः महीने रहे, और कई दो वर्ष रहे—तो यह प्रशिक्षा-अवधि इसी के बीच थी ।

श्री सारंगधर दास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या जो आंकड़ा-सम्बन्धी भाग तीन पदाधिकारियों सहित वित्त मंत्रालय को स्थानान्तरित किया जा चुका है, वह फसल काटने के प्रयोग कर रहा है ?

श्री किदवई: सभी प्रकार के प्रयोग । वे आंकड़े तैयार कर रहे हैं ।

श्री सारंगधर दास: मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रति एकड़ फसल जानने से सम्बन्धित फसल काटने के प्रयोग इस समय बन्द किये गये हैं अथवा नहीं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): श्रीमान्, इस समय मैं बीच में बोलना चाहता हूं । हम ने एक केन्द्रीय सांख्यकीय कार्यालय को संस्थापित किया है जो सांख्यकीय आवश्यकताओं के सम्बन्ध में प्रत्येक मंत्रालय तथा प्रत्येक विभाग की सहायता किया करेगा, और इन प्रयोजनों के लिये प्रत्येक मंत्रालय को पृथक् से सांख्यकीय उपकरण रखने की सुविधा देने की अपेक्षा यही अधिक अच्छा है कि सांख्यकीय परामर्शदाता के नियंत्रण में सांख्यकीय कार्य का सहयोजन किया जाय । आंकड़े इकट्ठे करने और जोड़ने के लिये प्रत्येक मंत्रालय के पास एक अलग सांख्यकीय उपकरण होता है किन्तु निरुद्देश्य नमूने जैसे काम की देखभाल केन्द्रीय सांख्यकीय संस्था किया करती है, और इसी के द्वारा, राष्ट्रीय नमूना परिमाप अथवा भारतीय सांख्यकीय संस्था जैसी संलग्न संस्थाओं द्वारा भी यही काम होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या निरुद्देश्य नमूना पद्धति अभी चलाई जा रही है, अथवा इसके स्थान पर और कोई पद्धति प्रारम्भ की गई है ।

श्री सी० डी० देशमुख: नहीं, श्रीमान् । पद्धति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है । इस में उस कार्यदिशा म परिवर्तन होने का प्रश्न है जिसे अब केन्द्रित किया जा रहा है ।

श्री कानूनगो: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या फसल काटने के प्रयोग अभी जारी रखे गये हैं अथवा नहीं ?

श्री सी० डी० देशमुख: मेरा विचार है कि राष्ट्रीय नमूना परिमाप के कार्य-क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ ग़लतफ़हमी है । राष्ट्रीय नमूना परिमाप तो स्वयं, वास्तव में, सारी सरकार की रुचि के सभी प्रकार के सामाजिक एवं आर्थिक आंकड़े इकट्ठे करने का एक बिखरा प्रयोग है । किन्तु यह काम—हां, फ़सलों का निरुद्देश्य नमूना परिमाप—अपने में बहुत ही विशाल है और यह अब भी उसी रूप में जारी है जिस रूप में यह पहले भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के अन्तर्गत होता था ।

सेठ गोविन्द दास तथा श्री बी० एस० मूर्ति उठे—

उपाध्यक्ष महोदय: इस प्रश्न का विस्तृत उत्तर मिल चुका है । हम ने केवल कई एक प्रश्न समाप्त किये हैं । अगला प्रश्न ।

असैनिक उड्डयन प्रशिक्षा केन्द्र, इलाहाबाद

***५४८. श्री एस० सी० सामन्त**: (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद स्थित असैनिक उड्डयन प्रशिक्षा केन्द्र में प्रति वर्ष कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षा मिलती है ?

(ख) इस प्रशिक्षा केन्द्र में कितने विभाग हैं ?

(ग) क्या इस केन्द्र से प्रशिक्षा-प्राप्त कर्मचारीवर्ग को विदेश से प्रशिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है ?

(घ) क्या अन्य देशों, विशषतः एशियाई देशों, के प्रशिक्षार्थियों को वहां प्रवेश पाने की आज्ञा मिलती है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) मैं सदन पटल पर एक विवरण रख देता हूं जिस में उक्त केन्द्र में, जब से उसकी स्थापना हुई, प्रशिक्षाप्राप्त व्यक्तियों की संख्या एवं इस समय प्रशिक्षा पाने वाले व्यक्तियों की संख्या दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १९]**

(ख) चार विभाग इस प्रकार हैं :— उड्डयन, हवाई अड्डा, इंजीनियरिंग तथा संचार स्कूल जिनके साथ मरम्मत तथा जांच पड़ताल की वह संस्था भी है जो उक्त केन्द्र में रहने वाले विमानों के दैनिक सम्भरण पोषण का कार्य करती है ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

(घ) जी हां ।

श्री एस० सी० सामन्त: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या भारत में इस प्रकार की और कोई प्रशिक्षा-संस्था है ?

श्री राज बहादुर: इस प्रकार की और कोई प्रशिक्षा-संस्था नहीं है किन्तु उड्डयन क्लबें हैं जो छोटे दर्जे की प्रशिक्षा देते हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त: विवरण से मुझे पता चलता है कि १९५१-५२ तक उड्डयन स्कूलों से २७४ व्यक्तियों को प्रशिक्षा मिल चुकी है और १९५३-५४ में ५२ व्यक्तियों को प्रशिक्षा मिलने वाली है । मैं जान सकता हूं कि क्या इन २७४ व्यक्तियों को काम मिला है ?

श्री राज बहादुर: श्रीमान्, पहले के एक प्रश्न के उत्तर में, मैं इस बात का उल्लेख कर चुका हूं कि बहुत से प्रशिक्षाप्राप्त विमान-चालक बेकार हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत से बाहर के कई प्रशिक्षार्थियों को इस केन्द्रीय संस्था में प्रवेश मिलता है ?

श्री राज बहादुर: जी हां, श्रीमान् । उन्हें प्रवेश दिया जाता है ।

श्री रघुरामय्या: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अन्य देशों के प्रशिक्षार्थियों को किसी पारस्परिक योजना के अन्तर्गत प्रवेश मिलता है ? यदि हां, तो कौन से देश हमें इसी प्रकार की सुविधायें देते हैं ?

श्री राज बहादुर: सचाई यह है कि १९५२ में हमारे यहां एक नेपाली प्रशिक्षार्थी था । वह कुछ समय तक प्रशिक्षा प्राप्त करता रहा । उस के पश्चात्, चूंकि वह काम के स्तर तक नहीं आ सका, उस की प्रशिक्षा समाप्त करनी पड़ी । किन्तु इस समय दो अन्य नेपाली प्रशिक्षा पा रहे हैं । इस के साथ ही हम बर्मा, बोर्न्यो, सेलोन, हिन्द-चीन, हिन्देशिया, मलाया, नेपाल, पाकिस्तान तथा फिलिप्पीन सहित दक्षिणी तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया के सभी देशों के राष्ट्रजनों को कोलम्बो योजना के अन्तर्गत इस केन्द्र में प्रशिक्षा दिलाने की सुविधा के प्रश्न पर भी विचार कर रहे हैं ।

अखिल भारतीय व्यापार प्रमाणीकरण जांच समिति

*५४९. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने अखिल भारतीय व्यापार प्रमाणीकरण जांच समिति की सिफ़ारिशों की खण्डशः अथवा समग्र रूप से पड़ताल की है ?

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निश्चय किये गये हैं ?

(ग) यदि नहीं, तो उन सिफ़ारिशों की जांच पड़ताल करने तथा स्वीकृत निश्चयों को प्रकाशित करने में कितना समय लगेगा ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) तथा (ख). उक्त रिपोर्ट अभी भी विचाराधीन है, और अभी कोई भी निश्चय नहीं हो पाये हैं ।

(ग) जांच-पड़ताल, आदि का काम किया जा रहा है ।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या मैं जान सकता हूं कि यह जांच समिति कब बनाई गई थी और कब इस ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ?

श्री वी० वी० गिरि : मेरे पास इस समय उस का दिनांक नहीं है, किन्तु मेरा विचार है कि डेढ़-दो वर्ष पहले उपाध्यक्ष के अध्यक्षत्व में अधीन यह समिति बनाई गई थी ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं कि उसी वर्ष उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ? क्या मैं मालूम कर सकता हूं कि किसी अन्तिम निश्चय पर पहुंचने में इस प्रकार की अनावश्यक देर की जा रही है ?

श्री वी० वी० गिरि : श्रीमान्, इस मामले में देर होना तो अनिवार्य है क्योंकि उक्त मंत्रालय को सभी केन्द्रीय मंत्रालयों के सम्पर्क में रहना पड़ता है ।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार कोई अन्तरिम कार्यवाही की जा चुकी है ?

श्री वी० वी० गिरि : अभी कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, और मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस मामले की ओर ध्यान दूंगा ।

श्री बी० एस० मूर्ति: क्या मैं वह सब के बाद का दिनांक मालूम कर सकता हूं जिस से पहले पहले सिफ़ारिशों पर कोई अन्तिम निश्चय किया जायगा ?

श्री वी० वी० गिरि: मैं कोई भी निश्चित दिनांक नहीं बता सकता, किन्तु जैसा मैं बतला चुका हूं, मैं तत्काल इस मामले की ओर ध्यान दूंगा ।

लोक लेखा समिति की सिफ़ारिशें

*५५०. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने निम्नांकित विषयों में लोक लेखा समिति द्वारा प्रस्तुत की गई अपनी पांचवीं रिपोर्ट में व्यक्त किये गये विचारों एवं प्रस्तुत की गई सिफ़ारिशों की जांच पड़ताल की है :—

(१) भारत सरकार द्वारा रेल-डिब्बों के निर्माण के लिये श्लिरेन के साथ किया गया क़रार ;

(२) रेल तथा प्रतिरक्षा मंत्रालयों के बीच ८ लाख रुपये का समायोजन ;

(३) उपमहाप्रबन्धक की असावधानी के कारण कांचरापाड़ा पर सामान की चोरी ;

(४) टिकटों के लेखा-जोखा में घाटा पड़ने के कारण स्टेशन पर काम करने वाले व्यक्तियों से १२ लाख रुपये का लिया जाना; और

(५) टेलको से बायलर (वाष्पी-करण यंत्र) तथा इंजिनों के निर्माण का कार्य संभालना ?

(ख) यदि हां, तो इन में से प्रत्येक के विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) इस के सम्बन्ध में जो भी स्थिति है वह नीचे दी जाती है :—

(१) जी हां, और २७ जून, १९५३ को एक अनुपूरक क़रार सम्पूर्ण हो चुका है। उक्त अनुपूरक क़रार की प्रतियां सदन पटल पर रखे जाने के लिये पहले ही संसद् कार्य विभाग को भेजी जा चुकी हैं।

(२) लोक लेखा समिति द्वारा विचारित १९४९-५० के लेखा के अनुसार प्रतिरक्षा मंत्रालय से प्राप्त किये जाने वाले ८·६४ लाख रुपये में से एक बहुत बड़ा भाग प्राप्त किया जा चुका है, और अब केवल ५६ हज़ार रूपये की राशि बक़ाया रहती है।

(३) से (५). उक्त समिति की सिफ़ारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा: जब कि क़रार में इस बात का निश्चय हुआ था कि उक्त सार्थ नमूने के तौर पर एक दो डिब्बे बनाये और उस के बाद का उत्पादन तभी हो जब वे डिब्बे भारत की जांच पड़ताल में ठीक उतरें, तो क्या मैं जान सकता हूं कि नमूनों के पूरे हो जाने से पहले ही इस प्रकार के आदेश क्यों जारी किये गये थे ?

श्री अलगेशन: अभी अभी जो अनुपूरक क़रार पूरा किया जा चुका है, उस में उन सभी त्रुटियों को दूर किया गया था।

श्रीमती ए० काले: क्या मैं जान सकती हूं कि क्या महालेखा-परीक्षक ने अगाऊ में दी गई सभी अग्रिम अदायगियों पर आपत्ति की थी ? मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या यह तथ्य है कि इस विशेष कम्पनी को बहुत बड़ी राशि दी गई थी और बाद में महालेखापरीक्षक ने इस पर आपत्ति की थी ?

श्री अलगेशन: अनुपूरक क़रार को पूरा करने में इस पर विचार किया गया था।

श्री वेलायुधन: मैं जानना चाहता हूं कि क्या भाग (३), (४), तथा (५) के उत्तर के आधार पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अलगेशन: मैं सदन को बतला चुका हूं कि उक्त समिति की सिफ़ारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री नम्बियार: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बायलरों और इंजिनों का निर्माण जो इस समय टेलको द्वारा किया जाता है, अब चित्तरंजन निर्माणशाला द्वारा किया जायेगा ?

श्री अलगेशन: मुझे ठीक तरह से समझ में नहीं आता कि यह प्रश्न किस प्रकार पैदा होता है। लोक लेखा समिति ने इस प्रकार की कोई भी सिफ़ारिशें नहीं की हैं। उन्होंने केवल इतना कहा है कि कदाचित् सरकार इस बात पर विचार करेगी कि क्या टेलको का कार्यभार संभाला जा सकेगा।

अब हम चित्तरंजन में इंजिन, बायलर और रेल-डिब्बे बना रहे हैं, और टेलको द्वारा भी उनका निर्माण होता है।

श्री नम्बियार: इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि चित्तरंजन निर्माण-कार्य कर रहा है और लोक लेखा समिति ने भी बतलाया है कि टेलको से इस काम को लिया जाय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या चित्तरंजन निर्माणशाला उन अतिरिक्त इंजिनों और बायलरों का उत्पादन कर सकती है, जिन का निर्माण टेलको से लिया जाने वाला है ?

रेल तथा **यातायात** मंत्री (**श्री एल० बी० शास्त्री**): श्रीमान्, इस समय चित्तरंजन में यह काम नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां बड़ी लाइन पर चलने वाले इंजिनों का

निर्माण हो रहा है जब कि टेलको छोटी लाइन पर चलने वाले इंजिनों को बनाते हैं।

श्री के० के० बसु : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उपमहाप्रबन्धक की नौकरी जारी रहेगी, और यदि हां, तो किस पद पर ?

श्री अलगेशन: वह अब भी नौकरी में है किन्तु उसे लांछित किया जा चुका है। समिति ने यह मत व्यक्त किया था कि कुछ और भी दिया जाना चाहिये। यह बात भी सरकार के विचाराधीन है।

श्री टी० एन० सिंह: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार टेलकों के साथ किये गये करार को दोहराने की वांछनीयता पर विचार कर चुकी है अथवा करने वाली है ?

श्री अलगेशन: श्रीमान्, मुझे सूचना चाहिये।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस सार्थ को आदेश देने से पहले इस बात पर विचार किया गया था कि ये डिब्बे इस देश के लिये उचित भी होंगे ?

श्री अलगेशन : जी हां, श्रीमान्, हर किसी बात पर विचार किया गया था।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: क्या मैं जान सकता हूं कि कितने मामलों में उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई, जिन के विरुद्ध लोक लेखा समिति ने कार्यवाही की और भी सिफारिश की थी ?

श्री अलगेशन: श्रीमान्, मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य ठीक ठीक क्या चाहते हैं, किन्तु मैं तभी जानकारी दे सकता हूं जब सरकार इन सभी विषयों पर कार्यवाही समाप्त करे।

श्रीमती ए० काले : उक्त कारखाने के सम्बन्ध में सरकार को कुल कितना घाटा देना पड़ा है ?

श्री अलगेशन : कोई भी घाटा नहीं दिया गया।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि क्या टेलकों कम्पनी के पदाधिकारियों के रवैये में तब से कोई परिवर्तन हुआ है जब से लोक लेखा समिति की सिफारिशें प्रकाशित हो चुकी हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं।

श्री के० के० बसु : श्रीमान्, इस विषय में बहुत कड़ी आलोचना हुई थी।

श्री टी० एन० सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या रेल संस्था को टेलकों द्वारा दिये जाने वाले सामान उपकरण से सम्बन्धित मूल्य-नीति को दोहराया गया है ?

श्री अलगेशन : श्रीमान्, ये सभी बातें सरकार के विचाराधीन हैं, और मैं कुछ समय बाद और भी विस्तृत उत्तर दे सकूंगा।

उत्तर प्रदेश में तारघर

*५५१. **श्री रघुवीर सहाय:** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ में, उत्तर प्रदेश में, तहसील सहित ज़िला मुख्यालयों तथा पुलिस स्टेशनों को तारघरों के साथ मिलाने की क्या प्रगति रही है ?

(ख) ग्रामीण तथा नागरिक क्षेत्रों के बीच नये तारघरों का बटवारा किस प्रकार किया गया ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १९५२-५३ में, उत्तर प्रदेश में, तहसील के तीन क़स्बों तथा १२ स्थानों को, जहां

पुलिस स्टेशन थे, तार की सुविधायें मुहैया की गई ।

(ख) इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में २५ नये कार्यालय खोले गये, जिन में से २१ नागरिक क्षेत्रों में थे और ४ ग्रामीण क्षेत्रों में ।

श्री रघुवीर सहाय : मैं जान सकता हूं कि क्या अब भी उत्तर प्रदेश में ऐसे कई ज़िले हैं जहां के तहसीलों और पुलिस स्टेशनों को अभी तक ज़िला मुख्यालयों के साथ नहीं मिलाया गया है ?

श्री राज बहादुर: श्रीमान् , मैं बतला चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में ५१ ज़िले हैं । ज़िला मुख्यालय के सभी कस्बों को तार की सुविधायें प्राप्त हैं । कुल २३८ तहसील स्टेशन हैं जिन में से १ अप्रैल, १९५३ को ६७ स्थान तार की सुविधाओं के बिना थे ।

श्री रघुवीर सहाय : इन ज़िला मुख्यालयों को पुलिस स्टेशनों तथा तहसीलों के साथ टेलीग्राफ़ के तारों से मिलाने के लिये सरकार को कितना समय लगेगा ?

श्री राज बहादुर : माननीय सदस्य जानते भी हैं कि हम सदन में इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि भावी वर्षों में हम प्रत्येक तहसील और थाना मुख्यालय को टेलीग्राफ के तारों से मिलाना चाहते हैं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कोई ऐसी योजना है जिस में देश के सारे पुलिस स्टेशनस टेलीग्राफ से कनेक्ट हो जायें ?

श्री राज बहादुर: मैं ने अभी निवेदन किया कि एसी योजना की घोषणा कुछ दिन पूर्व की जा चुकी है ।

डाकीय बीमा-पत्रों के दावों के निपटाये जाने में विलम्ब

*५५२. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि डाकीय बीमा-पत्रों के दावों के निपटाये जाने में डाक तार विभाग द्वारा विलम्ब किया जाता है ?

(ख) यदि हां, तो १९४७ से इस प्रकार के विलम्बों की कितनी शिकायतें सरकार के पास पहुंची हैं ?

(ग) एक वर्ष से अधिक उन पुराने मामलों की संख्या कितनी है जो अभी डाक तार विभाग में ही अटके हुए हैं ?

(घ) इस के क्या कारण हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां, सरकार को मालूम है कि डाकीय बीमा-पत्रों के कुछ दावों के निपटाये जाने में देर हुई है । यों तो कई मामलों में देर होने के कारण ही कुछ ऐसे हैं जो डाक-तार विभाग के काबू से बाहर हैं ।

(ख) ५२ ।

(ग) २५६ ।

(घ) दावों के निपटाये जाने में विलम्ब होने के कारण नीचे दिये जाते हैं :—

(१) जो उत्तराधिकार का कोई वैधानिक साक्ष्य नहीं दे सके . . ५६

(२) जो क्षतिपूर्ति-बंधपत्र प्रस्तुत नहीं कर सके यद्यपि वैधानिक साक्ष्य दिये बिना भी उस समय दावे निपटाये जा सकते थे ... २३

(३) मूल बीमा-पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में जिन्होंने क्षतिपूर्ति-बंधपत्र प्रस्तुत नहीं नहीं किये थे ... २४

(४) जिन दावों पर झगड़ा चल रहा है ... ११

(५) जिन के सम्बन्ध में पाकिस्तान के पदाधिकारियों से फायलें या दस्तावेज़ प्राप्त नहीं हुए १२

(६) जो दावेदार पाकिस्तान में रहे ३७

(७) जिन की विभागीय पूछताछ पूरी नहीं हुई थी ... २५

(८) जिन का कई महीनों की बीमे की क़िस्तों का कोई प्रमाणीकरण नहीं हुआ १५

(९) कई अन्य कारणों से—जैसे कि—दावेदार कई दस्तावेज़ पेश नहीं कर सके, या इस तरह का वैधानिक साक्ष्य पेश किया जो त्रुटिपूर्ण है; या उसके निकट सम्बन्धियों, जिनका कोई भी पता मालूम नहीं, की ओर से सहमति अप्राप्य थी; अथवा जिनका कई महीनों की बीमे की क़िस्तों का कोई प्रमाणीकरण नहीं हुआ, आदि आदि ... ५३

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान् क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या भारत सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि कुछ मामलों में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाए नहीं गए क्योंकि वे बर्मा पर शत्रु के अधिकार के दिनों में नष्ट हो गये थे और क्या सरकार ऐसे मामलों में शपथ पत्र स्वीकार करने की बात सोच रही है ?

श्री राज बहादुर : श्रीमान्, ऐसे नियम हैं जो ५०००रुपये से अधिक मूल्य की, ३००० और ५००० रुपये के बीच के मूल्य की और ३००० रुपये से कम के मूल्य की पालसियों पर लागू होते हैं। इन में से प्रत्येक मामले में हमें सम्बद्ध व्यक्तियों से कहना पड़ता है कि रुपया तभी मिलेगा जब कि वे उत्तराधिकारी होने का प्रमाण दें या निकट सम्बंधियों की सहमति ले लें और साथ ही क्षति निवारण बंधपत्र भी दें ।

लाला अचिन्त राम : क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ऐसे कितने क्लेम्स हैं जो पाकिस्तान से कागज़ात न आने की वजह से फ़ैस्ल नहीं हो सके हैं ?

श्री राज बहादुर : मैंने निवेदन किया कि पाकिस्तान से १२ मामलों के सम्बन्ध में फ़ाइलें या कागज़ नहीं आये और पाकिस्तान में दावे करने वालों की संख्या ३७ है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : श्रीमान् क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि जिन पालसियों के संबंध में विवाद हैं, वे कुल कितनी राशि की हैं ?

श्री राज बहादुर : मेरे लिये यह बताना संभव नहीं है क्योंकि उससे ऐसे आंकड़े इकट्ठे करने होंगे जो गलत होंगे ।

विस्थापित महिलाओं की ट्रेनिंग

***५५६. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि अब तक कितनी विस्थापित महिलाओं तथा लड़कियों को नर्सों की ट्रेनिंग दी गई है ?

(ख) उनमें से कितनी महिलाओं तथा लड़कियों को काम मिल गया है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) तथा (ख). यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायगी ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इन विस्थापित व्यक्तियों को ट्रेनिंग देने पर अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : ये आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं परन्तु जहां तक लेडी हार्डिंग कालिज दिल्ली में खर्च की गई राशि का सम्बन्ध है, मेरे पास आंकड़े हैं अर्थात १,४५,७५१-११-० रुपये खर्च किये गए हैं जिस में से इस संस्था की १४५,२७४-१२-० रुपये सहायक अनुदान के रूप में दिये जा चुके हैं और बाकी १९,४७६-१५-० अभी दिये जाने हैं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान् क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इन व्यक्तियों को नर्सों की ट्रेनिंग देने के लिये कितने केन्द्र हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : अधिकतर हस्पतालों में ट्रेनिग दी जाती है, जहां नर्सों की ट्रेनिंग का प्रबन्ध है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या इन विस्थापित महिलाओं को ट्रेनिंग देने की कोई विशेष संस्था है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : ऐसी कोई विशेष संस्थाएं नहीं हैं, श्रीमान्।

कुमारी एनी मस्करीन : मैं यह पूछ सकती हूं कि क्या सरकार इन की सेवाओं का उपयोग करती है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जी, हां।

अल्पसूचना प्रश्न तथा उत्तर

१९५३-५४ मौसम के लिये गन्ने के मूल्यों का निर्धारण

सरदार लाल सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सच यह है कि केन्द्रीय सरकार १९५३-५४ मौसम के लिये गन्ने, चीनी और गुड़ के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में अपनी नीति की घोषणा करने का विचार कर रही है ;

(ख) क्या इस संबन्ध में निर्णय करने से पहले राज्य सरकारों की सलाह ली गई है या लेने का विचार है ; और

(ग) ऐसा मूल्य निर्धारित करने के लिए, जो गन्ना उगाने वालों, खरीदारों तथा मिल मालिकों के लिए समान रूप से न्याय-पूर्ण हो, किन बातों का ध्यान रखने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों की सलाह ली जा रही है।

(ग) गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जायगा :

(१) कृषि मूल्यों का सामान्य रुझान ;

(२) गन्ना उगाने वालों, खरीदारों तथा चीनी उद्योग के हित।

सरदार लाल सिंह : बाज़ार में चीनी के मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितने रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : यह सामान्यतः पिछले वर्ष की अपेक्षा कम रहा है ?

सरदार लाल सिंह : कितने कम रहे हैं ?

श्री किदवई : जैसा कि मैं पहले इस सदन में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बता चुका हूं कि गुड़ तथा खंडसारी का उत्पादन इस वर्ष कम हुआ है जिसके कारण इनके मूल्य अधिक रहे हैं। इस लिये चीनी का मूल्य भी अधिक रहा। जैसा कि मैंने सदन को बताया था कोल्हापुर तथा मद्रास में गुड़ का मूल्य २८ रुपये था। इसलिये लोगों ने पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक चीनी खाई और चीनी की खपत में ५० प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसलिये हमें मूल्य कम रखने के लिए बाहर से चीनी मंगानी पड़ी।

सरदार लाल सिंह : क्योंकि आप पहले ही निर्णय दे चुके हैं कि मैं इस बात पर आपत्ति

नहीं कर सकता कि माननीय मंत्री की बात सच है, मैं केवल एक ही प्रश्न पूछूंगा । मूल्य कम करने के बहाने . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मेरे निर्णय को ग़लत समझते हैं। मैंने तो यह कहा था कि माननीय सदस्यों को जानकारी देनी नहीं चाहिए यदि वे यह देखें कि पहले दिये गये वक्तव्य या अधिकृत रूप से प्रकाशित किसी प्रलेख में कही गई बातें उन बातों से भिन्न हैं जो कि माननीय मंत्री इस समय कह रहे हैं तो वे निश्चय ही यह पूछ सकते हैं कि जब अमुक प्रकाशित प्रलेख में अमुक आंकड़े दिये हुए हैं तो इस समय सदन में वे उन से भिन्न आकड़े क्यों दे रहे हैं ।

सरदार लाल सिंह : मैं जो प्रश्न पूछना चाहता हूं , यह है । पिछले साल, यह कह कर कि खरीदारों को लाभ पहुंचाने के लिए चीनी का मूल्य घटाना है, गन्ने के मूल्य में २५ प्रतिशत की कटौती की गई थी। परन्तु क्या खरीदारों को मूल्यों में कमी से उतना ही लाभ हुआ है ?

श्री किदवई : मैं बार बार कह चुका हूं कि हम वह न्यून तम मूल्य निर्धारित करते हैं जो कि गन्ना उगाने वालों को मिलना चाहिए। हम कानून द्वारा उसे गन्ना उगाने पर विवश तो नहीं करते। मेरे पास पंजाब के एक किसान के खेत के आंकड़े हैं। मैं देखता हूं कि १९४७-४८ में . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : किसी और किसान के?

श्री किदवई : उसी किसान के ।

सरदार लाल सिंह : मेरा प्रश्न तो केवल इतना है गन्ने के मूल्य में २५ प्रतिशत कटौती होने पर भी जिससे गन्ना उगाने वालों को २० करोड़ रुपये का घाटा हुआ है, खरीदारों ने पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष चीनी का अधिक मूल्य दिया है । सब से अधिक लाभ किसे हुआ है— मिल मालिकों तथा व्यापारियों को या किसी और को ?

श्री किदवई : मैं फिर यह कहता हूं कि गन्ना उगाने वालों ने, इस बात के बावजूद कि इस वर्ष गन्ने का मूल्य पिछले वर्ष की अपेक्षा कम निर्धारित किया गया था, अधिक रुपया कमाया है क्योंकि प्रति एकड़ पैदावार में वृद्धि हुई है । मेरे पास उस सम्बन्ध में आंकड़े हैं । माननीय सदस्य चाहें तो मैं ये आंकड़े दे सकता हूं ।

सरदार लाल सिंह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो उत्तर दिया गया है, माननीय सदस्य को वह स्वीकार करना पड़ेगा ।

श्री गोपाल राव : पिछले वर्ष दर १-१२-० प्रति मन से घटा कर १-५-० प्रति मन कर दी गई थी। इस एक वर्ष में क्या अनुभव हुआ है— इस मूल्य के घटाये जाने का क्या परिणाम हुआ है ?

श्री किदवई : इसीलिए तो मैं एक किसान के सम्बन्ध में आंकड़े देना चाहता था। माननीय सदस्य ने यह जो जानकारी मांगी है इसके लिए मैं उन्हे धन्यवाद देता हूं । मुझे मालूम हुआ है कि जब गन्ने का मूल्य २ रुपये निर्धारित हुआ तो इस किसान ने गन्ने का क्षेत्र ३३० बीघे से घटा कर २६० बीघे कर दिया क्योंकि जैसा मैंने कहा दूसरे खाद्यान्नों के मूल्य चोर बाज़ार या खुले बाज़ार में, गन्ने के मूल्यों से अधिक थे । जब १९४८ में मूल्य घटाया गया तो वह २६० बीघे भूमि पर गन्ने की खेती कर रहा था। इस वर्ष जब कि मूल्य घटा कर १-५-० प्रति मन कर दिया गया है, इस किसान ने ३२० बीघे पर गन्ने की खेती की है । जैसा कि मैंने कहा, यह मूल्य पर निर्भर नहीं है ।

पंडित एस० सी० मिश्र : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या मंत्रालय को मालूम है कि

मूल्य निर्धारण का प्रभाव अगले वर्ष नहीं बल्कि आगे के वर्षों में प्रकट होगा ?

श्री किदवई : चावल या गेहूं की खेती की अपेक्षा तो १-५-० प्रति मन की दर से ही अधिक आय हो जाती है और हमें इसी को देखना चाहिए । यदि मूल्यों को अकारण ही बढ़ाते चलें तो अधिक से अधिक क्षेत्र में गन्ने की खेती होने लगेगी और अगले मौसम में जा कर यह पता चलेगा कि वे अपना गन्ना पेर भी नहीं सकते और उन्हें वह गन्ना जलाना पड़ेगा । पिछले कुछ वर्षों में हमारा अनुभव यही रहा है

प्रश्नों के लिखित उत्तर

खाद्य तथा कृषि संस्था द्वारा अनाज की बांट

*५५३. **पंडित एम० बो० भार्गव** : क्या **खाद्य तथा कृषि**मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य तथा कृषि संस्था ने भारत को चावल तथा गेहूं देने की कितनी मात्रा निश्चित की है ;

(ख) किन मूल्यों पर यह देने का निश्चय किया गया है ; और

(ग) क्या सदस्य देशों के लिये यह जरूरी है कि वे अपने लिये निश्चित की गई मात्रा अवश्य खरीदें ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) खाद्य तथा कृषि संस्था किसी देश को गेहूं या चावल नहीं देती है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

बनस्पति (के कारखाने)

*५५४. **पंडित एम० बो० भार्गव** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७-४८ में जमाया हुआ बनस्पति तेल तैयार करने वाले कारखानों की संख्या कितनी थी ;

(ख) उपरोक्त वर्ष में इन कारखानों द्वारा तैयार किये गये तेल की कुल मात्रा तथा मूल्य कितना था ;

(ग) १९५२-५३ में बनस्पति का जमाया हुआ तेल तैयार करने वाले कारखानों की संख्या कितनी थी ;

(घ) उनमें कितनी मात्रा तथा मूल्य का तेल तैयार किया गया ; और

(ड.) १९४७-४८ से १९५२-५३ तक के वर्षों में वनस्पति के जमाए हुए तेल के थोक तथा परचून मूल्य क्या थे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) :

(क) २४ ।

(ख) १.०२ लाख टन जिस का मूल्य १८.८ करोड़ रुपये था ।

(ग) ४९ ।

(घ) १.९९ लाख टन जिसका मूल्य ४१.२ करोड़ रुपये था ।

(ङ) १९४७-४८ से १९५२-५३ तक के वर्षों में बनस्पति के जमाये गये तेल के औसत थोक तथा परचून मूल्य निम्नलिखित थे :

वर्ष	थोक मूल्य (प्रति टन) रुपयों में	परचून मूल्य (प्रति पौंड) रु० आ० पा०
१९४७-४८	१८३७	०-१३-०
१९४८-४९	२०६५	०-१५-६
१९४९-५०	२१८७	१-०-३
१९५०-५१	२३८९	१-१-९
१९५१-५२	२४६२	१-२-६
१९५२-५३	२०६८	उपलब्ध नहीं

पश्चिम रेलवे पर रेल के डिब्बों में पंखे

*५५५. **पंडित एम० बो० भार्गव** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(क) यात्री सुख सुविधा योजना के अधीन पश्चिम रेलवे पर तीसरे दर्जे के डिब्बों में अब तक कितने पंखे लगाए गये हैं;

(ख) उन डिब्बों की संख्या कितनी है, जिन में पंखे लगाये गये हैं;

(ग) १९५२-५३ तक उन पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(घ) पश्चिमी रेलवे पर किस वर्ष तक तीसरे दर्जे के सभी डिब्बों में पंखे लगाने का काम समाप्त करने का कार्यक्रम है; और

(ङ) अब तक तीसरे दर्जे के डिब्बों में लगाये गये पंखों की मरम्मत आदि पर कुल वार्षिक व्यय कितना होता है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) ४१९१ ।

(ख) ५४५ ।

(ग) २१,३०,००० रुपये ।

(घ) रुपया मिलता रहा तो १९५६ तक ।

(ङ) लगभग २३,७५० रुपये ।

रेलवे कर्मचारियों को स्थायी बनाना

*५५७. **श्री नम्बियार** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रेणी ३ तथा श्रेणी ४ के बहुत से ऐसे रेल कर्मचारी हैं जिन्हें काम करते हुए ५ वर्ष से अधिक हो गये हैं और जिन्हें अभी तक स्थायी नहीं बनाया गया;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या रेल कर्मचारियों की संस्थाओं की ओर से इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन मिले हैं कि ऐसे सब कर्मचारियों को स्थायी बना दिया जाये जो एक वर्ष काम कर चुके हैं;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई;

(ङ) क्या दक्षिण रेलवे के कुछ क्लर्कों को इस आधार पर स्थायी नहीं बनाया गया है कि अभी तक प्राथम्य सूची तैयार नहीं की गई है; और

(च) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). श्रेणी ३ तथा श्रेणी ४ के लगभग ३६,८०० ऐसे अस्थायी कर्मचारी हैं जो रेलवे में ५ वर्ष से अधिक काम कर चुके हैं और जिन्हें अभी स्थायी बनाया जाना है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) से (च). रेलवे कर्मचारियों की संस्थाओं से कहा गया था कि इन कर्मचारियों को स्थायी बनाना इस बात पर निर्भर है कि कितनी स्थायी नौकरियां खाली होती हैं । दक्षिण रेलवे के कुछ क्लर्कों को १४ अप्रैल १९५१ को रेलों का पुनर्संगठन होने के बाद खाली होने वाली स्थायी स्थानों पर नहीं लगाया गया । इस का कारण यह है कि सारी पुनर्संगठित रेलों के कर्मचारियों की संयुक्त प्राथम्य सूचियां जिन सिद्धान्तों के आधार पर बनाई जानी हैं, वे अभी तक सरकार के विचाराधीन हैं ।

छुट्टी गये हुए कर्मचारियों के स्थान पर कार्य करने वाले कर्मचारी

*५५८. **श्री नम्बियार** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) वर्कशापों, (२) लोको-

शेड्स तथा (३) ओपन लाइन में मजदूरों के छट्टी जाने पर उन के स्थान पर कार्य करने वाले कितने प्रतिशत कर्मचारी होते हैं ?

(ख) क्या कर्मचारियों में इस बात से असन्तोष फैला हुआ है कि सभी विभागों में ऐसे कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) क्या हाल ही में गोल्डन राक कारखाने के मजदूरों ने अभ्यावेदन किये हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) एक विवरण जिस में यह जानकारी दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २०]**

(ख) तथा (ग). रेलों के कुछ भागों पर रेलवे बोर्ड के आदेशों को लागू करने में देरी हुई है और इसी कारण रेलवे प्रशासनों को अभ्यावेदन भेजे गये हैं। परन्तु सम्बद्ध रेलवे प्रशासन इन आदेशों को यथाशीघ्र लागू करने के लिये मुस्तैदी से कार्यवाही कर रहे हैं।

(घ) दक्षिण रेलवे के गोल्डन एक कारखाने के प्रबन्धक को मई, १९५२ में कारखाने के कुछ कर्मचारियों की ओर से एक अभ्यावेदन मिला था।

लखनऊ के डाक कर्मचारियों की हड़ताल

*५५९. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : (क) क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जून, १९५३ के प्रारम्भ में लखनऊ के बड़े डाक घर के डाक बांटने वाले बहुत से कर्मचारियों ने डाक घर में हड़ताल कर दी ?

(ख) कर्मचारियों की ऐसी कौन सी मुख्य शिकायतें थीं, जिन के कारण उन्हों ने हड़ताल की ?

(ग) डाक बांटने वाले प्रत्येक कर्मचारी को (१) साधारणतः दिनों में और (२) सोमवार को कितना काम करना पड़ता है ?

(घ) क्या सोमवार को अतिरिक्त कर्मचारी इस काम पर लगाये जाते हैं ?

(ङ) इस डाक घर में डाक बांटने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

(च) हड़ताल में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी, हां।

(ख) हड़ताल करने वालों या कर्मचारी संघ की ओर से किसी शिकायत की सूचना नहीं मिली।

(ग) प्रत्येक डाकिया सोमवार के अतिरिक्त सप्ताह के आम दिनों में प्रति दिन बिना रजिस्ट्री की ८० से २७५ तक चिट्ठियां आदि बांटता है। सोमवार को पहली डाक अधिक होती है और प्रत्येक डाकिया २७५ से ४०० तक चिट्ठियां आदि ले जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) २१६।

(च) १७६।

बीमा की हुई वस्तुयें

*५६०. **श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या संचारण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२-५३ में कुल कितने मूल्य की बीमा की हुई वस्तुयें खो गईं; और

(ख) क्या कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को चुराते हुए पकड़ा गया है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १९५२-५३ में कुल ३,३०,०३२ रुपये की बीमा की हुई वस्तुयें खो गईं ।

(ख) किसी व्यक्ति को वस्तुयें चुराते समय तो नहीं पकड़ा गया परन्तु पुलिस ने जांच के बाद ३६ व्यक्तियों का अदालत में चालान किया है ।

नलकूप योजनायें

*५६१. **श्री गोपाल राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ तथा १९५३ के वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार को उस की नलकूप योजना के लिये अलग अलग कितनी राशि दी गई;

(ख) १९५२ तथा १९५३ में अलग अलग कितने नलकुएं खोदने की योजना है ;

(ग) किस फर्म को नलकूपों का ठेका दिया गया और वह किस देश की है;

(घ) इस फर्म ने प्रत्येक नलकूप के लिये कितने का टेण्डर दिया था और भारतीय टेण्डरों की तुलना में यह कैसा था;

(ङ) अमरीकी फर्म का टेंडर क्यों अच्छा समझा गया और इसे कुल कितनी राशि दी गई ;

(च) क्या यह सच है कि अमरीकी फर्म ने निर्धारित समय में काम पूरा नहीं किया और उसे पूरा करने के लिये अधिक समय मांगा;

(छ) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने अमरीकी फर्म द्वारा ठेका भंग करने के बाद उसे और समय दिये जाने पर आपत्ति की;

(ज) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्ततोगत्वा इस फर्म को अधिक समय दे ही दिया; और

(झ) यदि हां, तो उस ने किन कारणों से यह अधिक समय दिया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : एक विवरण, जिस में यह जानकारी है, सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २१]**

गन्ने के मूल्यों की गैर-अदायगी

*५६२. **श्री गोपाल राव** : **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१-५२ और १९५२-५३ में चीनी की मिलों ने (राज्यवार) गन्ना उगाने वालों को उन के गन्ने के लिये कितना रुपया दिया है;

(ख) १९५१-५२ और १९५२-५३ में इस देय की कुल कितनी राशि बकाया है;

(ग) पहले वर्षों में राज्यवार कितनी राशि बकाया है; तथा

(घ) बकाया की शीघ्र अदायगी करवाने के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) से (ग). जानकारी का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या २२]**

(घ) जनवरी, १९५३ में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को कहा था कि वे गन्ने के मूल्यों की अदायगी की स्थिति पर सदा दृष्टि रखा करें और वे ऐसे पग उठायें जिस से कि अदायगियों में अनुचित विलम्ब न हो । राज्य सरकारें गन्ने के मूल्यों का बकाया शीघ्र अदा करवाने में हर संभव पग उठाती रही हैं ।

पुस्तकों पर डाक की दरों में संशोधन

*५६३. **श्री ए० के० गोपालन** : **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उस

आंदोलन की ओर आकर्षित हुआ है, जो कि लेखक, मुद्रक, प्रकाशक तथा पुस्तक विक्रेता पुस्तकों पर डाक की दरों में वृद्धि के विरुद्ध सारे देश में कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; तथा

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इन दरों में संशोधन करने और बजट-पूर्व दरों को पुनः लागू करने का विचार है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सरकार ने प्रैस समाचारों में वे संकल्प पढ़े हैं जो पुस्तकों, पैटर्न तथा नमूना पैकटों पर डाक की संशोधित दरों के विरुद्ध विभिन्न स्थानों पर सभाओं में पारित किये गये हैं ?

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां, दरें केवल गत बजट सत्र में संशोधित की गई थीं ।

धनबाद के कोयला खोदने वालों की हड़ताल

*५६४. **श्री विट्ठल राव** : (क) **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार ने धनबाद के कोयला खोदने वालों को यह आश्वासन दिया है कि वह कोयला उद्योग के लिये एक नया सुलह बोर्ड नियुक्त करेगी ?

(ख) यदि हां, तो यह बोर्ड कब स्थापित किया जायेगा ।

(ग) क्या इस बोर्ड में कोयला खोदने वालों की सब संस्थाओं के प्रतिनिधि होंगे ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) से (ग). कोयला खान मजदूरों की यह प्रार्थना कि एक नया सुलह बोर्ड स्थापित किया जाये, कुछ समय से सरकार के विचाराधीन थी । अब यह निर्णय किया गया है कि कोयला खानों के कुछ झगड़ों को अधिनिर्णय के लिये एक औद्योगिक न्यायाकरण को निर्दिष्ट किया जाये । प्रबन्ध हो जाते ही न्यायाधिकरण स्थापित कर दिया जायेगा ।

रेल दुर्घटनाएं

*५६५. **श्री विट्ठल राव** : रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) १९५२-५३ में रेल की कितनी दुर्घटनायें हुई हैं ;

(२) ये दुर्घटनायें किस प्रकार की हैं; तथा

(३) इन में कितने व्यक्ति मरे और घायल हुए और कितने रेलवे कर्मचारी हताहत हुए;

(ख) क्या रेलों में टक्करों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है;

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; तथा

(घ) सरकार का ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

श्री शाहनवाज खां : (क) (१) तथा (२) यात्री गाड़ियों के पटरी से उतर जाने के कारण १९६ दुर्घटनायें हुईं और माल तथा अन्य गाड़ियों के उतर जाने की १०३० ।

यात्री गाड़ियों में टक्करों के कारण २९ दुर्घटनायें हुईं और माल तथा अन्य गाड़ियों में टक्करों के कारण ६१ दुर्घटनायें हुईं ।

(३) रेल दुर्घटनाओं में या गाड़ियों के संचालन में ५३ यात्री मरे और ३५७ घायल हुए । गाड़ियों की दुर्घटनाओं में और डिब्बों तथा लाइनों के खराब हो जाने के कारण १७ रेल कर्मचारी मरे और १६८ घायल हुए ।

(ख) जी नहीं । १९५१-५२ में टक्करों के कारण ९४ दुर्घटनायें हुई थीं और १९५२-५३ में ९० ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) इस विषय में जो पग उठाये गये हैं उन में दुर्घटनाओं के लिये उत्तरदायी रेल कर्मचारियों के विरुद्ध प्रभावपूर्ण अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, स्थायी रेल मार्ग तथा गाड़ियों, इंजनों इत्यादि का बार बार और सूक्ष्म निरीक्षण स्टेशनों के कार्यों की नियमित परीक्षा, सुरक्षा की बढ़ाने के लिये किये जाने वाले कार्यों को अधिक प्राथमिकता देना, परिपत्रों इत्यादि के द्वारा कर्मचारियों को सुरक्षा सम्बन्धी नियमों की शिक्षा देना, अधिक कठोर अधीक्षण, कर्मचारियों को होशियार और सावधान रहने तथा सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने वाला बनाने के लिये बार बार चेतावनी देना निश्चित समय के पश्चात् प्रशिक्षण के स्कूलों में नई पाठ विधि की व्यवस्था इत्यादि सम्मिलित हैं ।

मद्रास के पत्तन प्रन्यास के परामर्शक इञ्जीनियर

*५६६. **श्री के० सो सोधिया** : (क) **यातायात मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि लन्दन में मद्रास के पत्तन प्रन्यास के कौन से परामर्शक इंजीनियर हैं ?

(ख) क्या भारत के अन्य पत्तन प्रन्यासों के अपने परामर्शक इंजीनियर हैं ?

(ग) १९५२-५३ में सम्बन्धित पत्तन प्रन्यासों ने इन परामर्शक इंजीनियरों को कितना रुपया दिया था ?

(घ) क्या नियुक्तियां करने के लिये पत्तन प्रन्यास भारत सरकार से परामर्श लेते हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मैसर्ज रेंडल, पामर एंड ट्रिट्टन लि० ।

(ख) जी हां ।

(ग) मद्रास ३४, ३४५ रुपये । बम्बई २,४८,२८० रुपये । कलकत्ता १,१५,७४७ रुपये ।

(घ) किसी व्यक्ति को परामर्शक इंजीनीयर पद पर नियुक्त करने से पहले, पत्तन प्रन्यासों को विधि के अन्तर्गत सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है । बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में इस समय जो परामर्शक इंजीनियर हैं, उन की नियुक्तियां कई वर्ष पूर्व की गई थीं ।

काश्मीर मेल

*५६७. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि २२ जून, १९५३ की रात को उत्तर रेलवे के कालाबकरा और ऊलावल पुर स्टेशनों के बीच डाउन काश्मीर मेल की पटरी से उतारने की कोशिश की गई थी;

(ख) क्या जांच की गई थी; तथा

(ग) यदि हां, तो इस का परिणाम क्या है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) . २२ जून, १९५३ को २१-४५ पर जब कि ३०६ डाउन काश्मीर मेल उत्तर रेलवे के पठानकोट-जालंधर नगर विभाग में कालाबकरा और ऊलावलपुर स्टेशनों के बीच चल रही थी, इस के इंजन, ३ फुट १/२ इंच लम्बे रेल के एक टुकड़े से टकराया । सहायक कर्मचारी इंजीनियर जालंधर नगर ने जिस ने इस मामले की जांच की थी, यह संदेह प्रकट किया है कि यह एक विध्वंस कारी कार्यवाही है, किन्तु पुलिस का, जो कि अभी जांच कर रही है, यह विचार है कि यह प्रत्यक्षतः स्कूल के कुछ लड़कों की शरारत है ।

मोकामा में रेल का पुल

*५६८. **सेठ गोविन्द दास** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मोकामा (बिहार) में रेल के पुल का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : अक्तूबर, १९५४ के लगभग पुल के निर्माण कार्य के शुरू हो जाने की आशा है ।

अमोनिया सल्फ़ेट

*५६९. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५२-५३ में सिन्दरी उर्वरक फैक्टरी में कुल कितना अमोनिया सल्फेट तैयार किया गया; तथा

(ख) उसी कालावधि में कृषकों को इस की कुल कितनी मात्रा वितरित की गई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) २,१९,३४० टन ।

(ख) मद्रास, मैसूर, मध्य भारत और राजस्थान के राज्यों को छोड़ कर जिन से अभी जानकारी की प्राप्ति की प्रतीक्षा की जा रही है, शेष सब राज्यों ने कुल १००,१९८ टन अमोनिया सल्फेट जिस में ३२,३३७ टन सिन्दरी का अमोनिया सल्फेट भी सम्मिलित है, वितरित किया था । उत्तर-पूर्व भारत के चाय बागों को वितरित करने के प्रयोजन के लिये ५६,४१३ टन सिन्दरी अमोनिया सल्फेट कलकत्ता की खाद मिश्रण फर्मों को भी दिया गया था और ५, ७६० टन हाई एक्स्प्लोजिव्स फैक्टरी किरकी को दिया गया था ।

जापानी केबल जांच समिति

*५७०. **श्रीमती तारकेश्वरज सिन्हा** : (क) **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगें कि क्या जापानी केबल जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ?

(ख) यदि हां, तो जापानी केबल के बारे में उस की क्या राय है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) जापानी केबल जांच समिति की रिपोर्ट की प्रतियां यथासमय सदन के पुस्तकालय में रख दी जायेंगी ।

भारतीय चावल मिशन

*५७१. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या चावल की खेती के जापानी ढंग का अध्ययन करने के लिये हाल में किसी भारतीय चावल मिशन को जापान भेजा गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : खाद्य तथा कृषि संगठन विस्तृत टैक्नीकल सहायता कार्यक्रम के अधीन तीन चावल विशेषज्ञों को चावल उगाने, चावल की खेती करने और चावल को बढ़ाने के ढंगों का अध्ययन करने के लिये चार मास के लिये जापान भेजा गया है ।

परिवहन गाड़ियों पर करारोपण

*५७२. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : (क) क्या **परिवहन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या प्रशुल्क आयोग ने मोटर गाड़ी परिवहन जांच समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का सुझाव दिया है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि परिवहन गाड़ियों पर इस समय जो अत्यधिक करारोपण है उस से भारत के मोटर उद्योगों को निश्चित रूप से हानि पहुंची है ?

(ग) सरकार का मोटर गाड़ी परिवहन जांच समिति की सिफारिशों को किस तरह क्रियान्वित करने का विचार है ?

(घ) उन गाड़ियों पर जो राज्यों के बीच चलती हैं, क्या कर लगता है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) से (ग). अनुमानत माननीय सदस्य का निर्देश मोटर गाड़ी करारोपण जांच समिति की ओर है। यदि ऐसा ही है, तो प्रश्न के भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है । जहां तक प्रश्न के भाग (ग) का सम्बन्ध है, मामला विचाराधीन है ।

(घ) प्रश्न के भाग (घ) के सम्बन्ध में, उन मोटर गाड़ियों पर जो अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर चलती हैं, उस समझौते के अनुसार कर लगाया जाता है जो दो सम्बन्धित पड़ौसी राज्य सरकारें आपस में अन्योन्य आधार पर कर लेती हैं । सामान्यत: यदि दो राज्यों में करों की दरें भिन्न भिन्न हों तो उस राज्य की दरों के अनुसार लगाया जाता है, जहां कि कर की दरें तुलनात्मक रूप से अधिक होती हैं ।

बेकारी

*५७४. **श्री एम० एल० द्विवेदी**: (क) **श्रम मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ३० जून, १९५३ तक देश के विभिन्न सेवा योजनालयों में रजिस्टर्ड (१) शिक्षित और (२) अशिक्षित व्यक्तियों की कुल संख्या क्या थी ?

(ख) उन में से कितनों को काम मिल सका है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) तथा (ख). योजनालयों में रजिस्टर्ड शिक्षित उम्मेदवारों (जिन्हों ने मैट्रिक तक या इस से उच्च शिक्षा प्राप्त की है,) के पृथक आंकड़े केवल अक्तूबर, १९५२ से उपलब्ध हो सकते हैं । अक्तूबर १९५२ से जून १९५३ तक की अवधि के आंकड़े निम्न हैं :—

	रजिस्टर्ड उम्मीदवारों की संख्या	उन उम्मीदवारों की संख्या जिन्हें काम दिलाया गया
शिक्षित (मैट्रिक या इस से ऊपर)	२,२४,००७	२५,८४१
अन्य	८,५६,२२१	१,६०,९३३
योग	१०,८०,२२७	१,८६,७७४

डाक और तार विभाग के कर्मचारी

*५७५. **श्री बेली राम दास**: (क) **संचरण मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि डाक और तार विभाग के हर कर्मचारी के लिये उस प्रदेश की भाषा जानना आवश्यक है, जिस में कि उस ने काम करने का विकल्प दिया हो ?

(ख) क्या इन निदेशों का आसाम और बिहार में विशेष रूप से अनुसरण किया जा रहा है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) वर्तमान आदेशों के अनुसार, जो कि सितम्बर, १९५२ में जारी किये गये थे, डाक और तार के उन कर्मचारियों के लिये जो कि सर्कल विभागीय या उप-विभागीय आधार पर भर्ती किये जाते हैं, प्रादेशिक भाषा का साधारण ज्ञान होना आवश्यक है ।

(ख) जी हां, उन भर्तियों के सम्बन्ध में जो कि सितम्बर १९५२ के आदेश जारी होने के बाद की गई थीं ।

कैलाघाट में विवराधीन दावे

*५७६. **श्री आर० एन० सिंह**: (क) **रेल मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि १५ मई, १९५२ से १५ मई, १९५३ तक की अवधि में मुजफ्फरपुर खंड के सम्बन्ध में, उत्तर पूर्वी

रेलवे के कैलाघाट कार्यालय के कुल कितने दावे प्राप्त हुए हैं ?

(ख) कितने दावों का भुगतान कर दिया गया है और कितनों को अस्वीकार कर दिया गया है ?

(ग) उसी अवधि में मुजफ्फरपुर खंड के सम्बन्ध में कैलाघाट कार्यालय में विचाराधीन दावों के बारे में कुल कितने मुकद्दमे दायर किये गये हैं ?

(घ) उन दावों के, जो कि १५ मई, १९५१ से १४ मई, १९५२ तक की अवधि में सोनपुर, समस्तीपुर और बनारस के तीन रेलवे जिलों के बारे में प्राप्त हुए थे और निपटाये गये थे तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

(ङ) यदि इन में कुछ अन्तर है, तो इस का कारण क्या है ?

(च) क्या सरकार को इस विषय में किसी राज्य सरकार या प्रमुख व्यापार संस्थाओं से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

(छ) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ९२१७ ।

(ख) (१) भुगतान किये गये दावे २४३० ।

(२) अस्वीकृत और वापस लिये गये दावे १४४३ ।

(ग) २१० ।

(घ) प्राप्त किये गये दावे १५,९२१ । निपटाये गये दावे १३,७९४ ।

(ङ) दावों के कम होने से दावों की संख्या घट गई है ।

कम दावों को निपटाये जाने का कारण यह है कि प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है और आरम्भिक अवस्थाओं में काम की रफ्तार कम होती है ।

(च) जी हां ।

(छ) गोरखपुर और कलकत्ता के दावा कार्यालयों के बीच दावों के काम का समन्वय करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

वन

*५७७. **श्री बर्मन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में कठोर तथा कोमल लकड़ी के वनों का क्षेत्रफल कितना है ; और

(ख) गत तीन वर्षों में भारत में कितनी कठोर तथा कोमल लकड़ी का आयात किया गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २३]

आसाम के पहाड़ जिलों में डाक घर

*५७८. **श्री बेली राम दास)** : क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आसाम के पहाड़ी जिलों में १९५१, १९५२ और १९५३ में कितने नये डाक-घर खोले गये ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : एक विवरण, जिस में अपेक्षित जानकारी दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २४]

कलकत्ता से कच्ची धातु का निर्यात

*५७९. **श्री देवगन** : क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि ता कलक

से कच्ची धातु के निर्यात की वर्तमान परिवहन तथा संग्रह करने की प्रणाली को बदलने का विचार किया जा रहा है; और

(ख) क्या इस विषय में कलकत्ता पत्तन के कच्ची धातु के व्यापार के पुराने नौपरिवहनकर्त्ताओं से परामर्श किया जायेगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने अपना निश्चय करने से पूर्व सभी सम्बद्ध पक्षों के हितों पर विचार कर लिया है ।

भारत-पाकिस्तान टिड्डी सम्मेलन

*५८०. **श्री मुनिस्वामी**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत-पाकिस्तान टिड्डीसम्मेलन से क्या लाभ हुआ है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : यह सम्मेलन परस्पर विचार-विनिमय करने, टिड्डियों की स्थिति के विषय में सूचना का आदान-प्रदान करने और सीमा के दोनों ओर मैदानों में काम करने वाले पदाधिकारियों के बीच सीधे संवाद भेजने में उपयोगी सिद्ध हुआ है ।

भारतीय रेलवे शताब्दी प्रदर्शनी की गाड़ियां

*५८१. **श्री मुनिस्वामी**: क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि भारतीय रेलवे शताब्दी प्रदर्शनी की गाड़ियां अब घूम रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन गाड़ियों ने कब से घूमना आरम्भ किया है;

(ग) इस समय ऐसी कितनी गाड़ियां घूम रही हैं; और

(घ) प्रत्यक गाड़ी से प्रति दिन औसत कुल कितनी आय होती है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) १० जुलाई १९५३ से ।

(ग) दो गाड़ियां—एक बड़ी लाइन पर और दूसरी छोटी लाइन पर ।

(घ) ३१ जुलाई, १९५३ तक प्रतिदिन औसत लगभग ९२५ रुपये एकत्रित होते रहे हैं ।

कृषि कालेज

*५८२. **श्री मुनिस्वामी**: (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि भारत सरकार और फोर्ड फाउन्डेशन के मध्य हाल ही में हुए करार से जो धन उपलब्ध होगा उस से नये विभाग खोल कर कृषि कालेजों की सहायता की जायेगी ।

(ख) यदि हां तो इस के लिये ऐसे कितने कालेजों को चुना गया है ?

(ग) ये कालेज किन किन स्थानों में स्थित हैं ?

(घ) नये विभागों द्वारा किस प्रकार का प्रशिक्षण दिये जाने की आशा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां । कुछ थोड़े से कृषि कालेजों को नये विभाग खोलने के लिये सहायता दी जा रही है ।

(ख) तीन कालेज पहिले ही चुन लिये गये हैं । दो और के सम्बन्ध में बात-चीत चल रही है ।

(ग) ये चुने हुए कालेज, नागपुर, पूना और टालीगंज (कलकत्ता) में हैं ।

(घ) कुछ चुने हुए कालेजों में ये नये विभाग प्रयोगात्मक रूप से यह देखने के लिये खोले जा रहे हैं कि ये कालेज ग्रामीण परिस्थितियों में अपने सामान्य अध्यापन

के साथ साथ क्रियात्मक प्रशिक्षण भी दे सकें जिस से कि विद्यार्थियों में कृषि के लिये क्रियात्मक रूप से रुचि पैदा की जा सके। इस प्रकार के कालेजों से जो विद्यार्थी स्नातक हो कर निकलेंगे उन से यह आशा की जाती है कि उन्हें ग्रामीण परिस्थितियों में कार्य करने का क्रियात्मक अनुभव होगा और वे बाहर के कार्य के लिये अधिक उपयुक्त होंगे ।

चीनी के भण्डार का उत्सर्जन

*५८३. **श्री राम धनी दास :** (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि भारतीय चीनी मिल संघ की बिहार शाखा ने केन्द्रीय सरकार से उत्तरी बिहार की मिलों के चीनी के भण्डार के उत्सर्जन का प्रबन्ध करने के लिये अभ्यावेदन किया है ?

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या पग उठाये गये हैं या उठाये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां ।

(ख) उत्तरी बिहार के कारखानों को अपने मासिक माल के डिब्बों के अभ्यंश के अतिरिक्त जून-जुलाई १९५३ में चीनी को भेजने के लिये ७८० माल के डिब्बों का विशेष अभ्यंश दिया गया था ।

रेलों में प्रचलित भ्रष्टाचार की जांच के लिये समिति

*५८४. **श्री एम० एल० अग्रवाल :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रेलों में प्रचलित भ्रष्टाचार की जांच के लिये सरकार ने जो संसत्सदस्यों की समिति नियुक्त करने का निश्चय किया था उस के विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(ख) इस निश्चय को सम्भवतः कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख) इस मास की समाप्ति से पूर्व ही समिति बना दी जायेगी और उस के सदस्यों के नाम घोषित कर दिये जायेंगे ।

रेलों में भ्रष्टाचार-विरोधी संघटन

*५८५. **श्री एम० एल० अग्रवाल :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किन किन रेलों में उन के अपने भ्रष्टाचार-विरोधी संघटन हैं ?

(ख) वे कब बनाये गये और उन्हों ने कब से काम आरम्भ किया ?

(ग) उन के कर्मचारी कौन कौन हैं ?

(घ) इन संघटनों को चलाने में कितना अतिरिक्त व्यय होता है ?

(ङ) उन की कार्यविधि क्या है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (घ) तक । एक विवरण, जिस में अपेक्षित जानकारी दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २५]**

(ङ) सभी रेलों में एक सी कार्यविधि नहीं है, परन्तु सभी रेलों में एक समान प्रक्रिया अपनाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

प्रतिरक्षा प्रतिष्ठापनों के संघ

*५८६. **श्री एच० एन० शास्त्री :** क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत सरकार के प्रतिरक्षा प्रतिष्ठापनों के संघों से १ अप्रैल १९५२ से ३१ मार्च, १९५३ तक राज्यवार मजदूर संघ अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) कितनों का पंजीयन कर दिया गया; और

(ग) कितनों के मामले अब भी विचाराधीन हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदनपटल पर रख दी जायेगी ।

अमोनियम सल्फेट

*५८८. **श्री राजगोपाल राव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन का अमोनियम सल्फेट का उत्पादन केन्द्रीय उर्वरक पुञ्ज में सम्मिलित होता है उन विभिन्न उत्पादकों को क्या मूल्य दिया जाता है और वह मूल्य कैसे निश्चित किया जाता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) :

उत्पादक का नाम	जिस मूल्य पर खरीदा गया
१. मैसर्स सिंदरी फर्टिलाइज़र्स एंड कोo मिकल्स लिमिटेड, सिंदरी ।	२९० रुपये प्रति बड़ा टन रेल भाड़ा सहित, सिंदरी ।
२. मैसर्स त्रावन्कोर फर्टिलाइज़र्स एंड के मिकल्स लिमिटेड, आल्वेई ।	३६५ रुपये प्रति टन रेल भाड़ा सहित, आल्वेई ।
३. उप-उत्पाद निर्माता	
(१) मैसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड, जमशेदपुर ।	१.१.५३ से ३१.७.५३ तक २७० रुपये और १ अगस्त, १९५३ के बाद से २५० रुपये ।
(२) मैसर्स इंडियन आयरन स्टील लिमिटेड	
(३) मैसर्स बरारी कील कम्पनी लिमिटेड ।	
(४) बरकपुर कोक कम्पनी लिमिटेड ।	

उपरोक्त मूल्य उत्पादकों से बातचीत कर के निश्चित किये गये थे ?

स्त्री मजदूरों के लिये समान मजूरी

*५८९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ द्वारा १९५० में स्थापित पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिये समान पारिश्रमिक देने सम्बन्धी समिति की अन्तिम बैठक कब हुई थी ?

(ख) क्या यह सत्य है कि भारतीय प्रतिनिधि यह चाहता था कि सदस्य राज्यों को अधिक से अधिक स्वविवेक के प्रयोग की छूट दी जाये ।

(ग) संविधान के अधीन जो समानता के मूल अधिकार दिये गये हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए सरकार का भारत में लिंग के आधार पर विद्यमान मजूरी के भेदभाव को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) सम्भवतः उस सम्मेलन समिति की ओर निर्देश किया गया है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन १९५० के ३३ वें सत्र द्वारा स्थापित की गई थी जिस ने कि इस विषय पर

पहिली चर्चा में विचार किया था। १९५१ के ३४वें सत्र ने भी इसी प्रकार की एक समिति बनाई थी जिस ने कि इस विषय में एक अभिसमय और एक सिफारिश की थी। इस प्रकार की सम्मेलन समितियां सम्मेलन को प्रतिवेदन दे देने के पश्चात् समाप्त हो जाती हैं।

(ख) भारत सरकार के प्रतिनिधि ने १९५० के अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में यह कहा था कि यद्यपि भारत ने पुरुषों और स्त्रियों के लिये समान पारिश्रमिक का सिद्धान्त तो स्वीकार कर लिया है और वास्तव में इसे राज्य की नीति के एक निदेशक सिद्धान्त के रूप में अपने संविधान में सम्मिलित भी कर लिया है, किन्तु क्रियात्मक कारणों से इस सिद्धान्त को शनैः शनैः क्रियान्वित करना होगा। अतः उस ने यह सुझाव दिया था कि इस विषय में अन्तर्राष्ट्रीय विनियम किसी अभिसमय की अपेक्षा सिफारिश के रूप में होने चाहियें। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन १९५१ के ३४वें सत्र में भी भारत सरकार के प्रतिनिधि ने इसी प्रकार का रुख अपनाया था।

(ग) केन्द्रीय वेतन आयोग, उचित मजूरी समिति तथा कई एक औद्योगिक न्यायाधिकरणों ने इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है। किन्तु इस में जो क्रियात्मक कठिनाइयां हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए इस सिद्धान्त को वास्तविक रूप में शनैः शनैः क्रियान्वित करना पड़ेगा। कामों को यथार्थ रूप में पड़ताल करने के लिये कोई व्यवस्था करनी होगी। "१९५१ में स्वीकृत विषय के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के अभिसमय तथा सिफारिश के बारे में जो कार्यवाही करने का विचार है" उस के सम्बन्ध में १५ दिसम्बर १९५२ को जो विवरण सदन के समक्ष रखा गया था उस में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है।

रेलवे डाक सेवा का मैदान

*५९०. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या रेल मंत्री श्रीरामपुर में रेलवे डाक सेवा के मैदान के नगरपालिका से विनिमय में हस्तान्तरण के सम्बन्ध में २३ अप्रैल, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५७९ के उत्तर को निर्देश कर के यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उस के बाद से इस विषय में कोई निश्चय किया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): जी हां, और श्रीरामपुर नगरपालिका के प्रधान को इस की सूचना दे दी गई है।

रेलवे यार्डों में पटरी से डब्बों का उतरना

२९२. **श्री रघुनाथ सिंह :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनवरी सन् १९५३ से मई सन् १९५३ तक मुगल सराय, लखनऊ, कानपुर, बनारस, बरेली, दिल्ली, भटिंडा, आसनसोल, गया, हावड़ा, इटारसी, बम्बई, खड़गपुर तथा विजयवाड़ा के रेलवे यार्डों में पटरी से उतरने की कितनी घटनायें क्रमशः हुई ?

(ख) क्या यह सत्य है कि रेलवे यार्डों में प्रति मास लगभग १५० घटनायें पटरी से उतरने की होती हैं ?

(ग) सन् १९५१ तथा १९५२ के इन्हीं मासों में इस प्रकार की कितनी घटनायें हुईं ?

(घ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग) जानकारी नीचे दी जाती है :—

	जनवरी से मई तक		
	१९५३	१९५२	१९५१
मुगलसराय	८५	९९	१००
लखनऊ	४१	२२	८५

कानपुर	४२	२४	२३
बनारस	१३	१२	१४
बरेली	९	१७	१२
दिल्ली	१९	१७	१८
भटिंडा	४	८	६
आसनसोल	६१	४७	६६
गया	१८	१७	१३
हावड़ा	४६	५१	६२
इटारसी	१५	१८	१४
बम्बई	१७	१६	५
खड़गपुर	२९	२०	३३
विजयवाड़ा	३५	३४	१९

सन् १९५१, १९५२ और १९५३ के उपरोक्त पांच मासों में प्रति मास की औसत संख्या क्रमशः केवल ९४, ८० और ८७ थी और १५० नहीं थी जो कि भाग (ख) में बतलाई गई है ।

(घ) इस विषय में जो पग उठाये गये हैं उन में दुर्घटनाओं के लिये उत्तर दायी रेल कर्मचारियों के विरुद्ध प्रभावपूर्ण अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, स्थाई रेल मार्ग तथा गाड़ियों, इंजनों इत्यादि का बार बार और सूक्ष्म निरीक्षण, स्टेशनों के कार्य की नियमित परीक्षा, सुरक्षा को बढ़ाने के लिये किये जाने वाले कार्यों को अधिक प्राथमिकता देना, परिपत्रों इत्यादि के द्वारा कर्मचारियों को सुरक्षा सम्बन्धी नियमों की शिक्षा देना, अधिक कटोर अधीक्षण, कर्मचारियों को होशियार और सावधान रहने तथा सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने वालें बनाने के लिए बार बार चेतावनी देना, निश्चित समय के पश्चात् प्रशिक्षण के स्कूलों में नई पाठ विधि की व्यवस्था इत्यादि सम्मिलित हैं ।

सुक सागर जल

२९३. **श्री बीरेन दत्त :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :——

(क) क्या उदय पुर, त्रिपुरा के 'मृक सागर जल' का उद्धार करने के लिये कोई पग उठाये गये हैं ; तथा

(ख) क्या त्रिपुरा के सुनमरा के धेलिया स्थान पर बांध बनाने के लिए कोई पग उठाये गए हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख). इन योजनाओं के परिमाप के लिये प्रस्थापनायें विचाराधीन हैं ।

गांधी धाम बस्ती

२९४. **डा० अमीन :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेकि गांधी धाम बस्ती की योजना सम्बन्धी अमरीका के मैसर्स एडम्स होवर्ड एण्ड ग्रिले के प्रतिवेदन में कौन कौन मुख्य सिपारिशें सम्मिलित हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : सदस्य महोदय का ध्यान प्रतिवेदन के पृष्ठ १ और २ की ओर आकर्षित किया जाता है। इन की प्रतियां सदन के पुस्तकालय में हैं ।

मडुवा डीट में आग बुझाने की सुविधायें

२९५. **श्री रघुनाथ सिंह :** (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सत्य हैकि २३ जून १९५३ को पूर्वोत्तर रेलवे के मडुवा डीट स्टेशन पर पोटेशियम सल्फेट के एक डिब्बे में आग लग गई और वह जल गया ?

(ख) क्या मडुवा डीट में आग बुझाने की सुविधायें मौजूद हैं जिनका ऐसी दुर्घटनाओं के समय प्रयोग किया जा सके ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री(श्री अलगेशन): (क) हां, मडुवा डीट स्टेशन पर एक डब्बे में, जिसमें पाटेशियम किलोरेट था (पोटेशियम सल्फेट नहीं), २३ जून १९५३ को आग लग गई और डब्बे का माल लगभग दस मिनट में भस्म हो गया ।

(ख) हां। वहां आग बुझाने की सुविधायें हैं। इनमें बारह आग बुझाने के सोडा एसिड

टाइप इगनेक्स तथा १२ बाल्टियां मड़ुवा डीट के माल गोदाम में हैं। जो यह उस स्थान से लगभग १२० गज़ है जहां डब्बे में आग लगी थी फिर भी, इस घटना में इनका प्रयोग नहीं हो सका क्योंकि आग एकदम लग गई और बहुत थोड़े समय में समाप्त हो गई थी।

सन

२९६. **श्री रघुनाथ सिंह**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार द्वारा श्वेत तथा हरे सन की फसलों की रिपोर्ट तथा फोरकास्ट करने का कोई प्रबन्ध किया गया है, और यदि हां, तो क्या ;

(ख) उक्त दोनों प्रकार की सनों की किस्मों में सुधार करने के लिए क्या सरकार द्वारा अब तक कोई प्रयत्न किया गया है, और यदि किया गया है, तो क्या ;

(ग) फ्रान्सीसी, जर्मन, यूनानी तथा रूसी प्रकार के बढ़िया किस्म के सन के उत्पादन की व्यवस्था करने तथा उसे प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) से (ग). राज्य सरकारों से यह सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रखी जायगी।

भोजन के डब्बे (डाइनिंग कारें)

२९७. **श्री पी० सुब्बा राव**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) पूर्वी रेलों की पुरानी बंगाल-नागपुर रेल लाइन पर चलने वाले भोजन के डब्बों से कितना मासिक लाभ होता है ;

(ख) कर्मचारियों पर कितना व्यय होता है ; तथा

(ग) इन भोजन के डब्बों की मासिक कुल आय क्या है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) १९५१–५२ में, अन्तिम वर्ष जिसके लिये आंकड़े प्राप्य हैं, लाभ कोई नहीं हुआ अपितु ५,२१२ रु० की प्रति मास हानि हुई।

(ख) कर्मचारियों पर १०,४९० रु० प्रति मास व्यय हुआ।

(ग) इन भोजन के डिब्बों (डाइनिंग कार्स) की कुल आय २१,४२६ रुपये प्रतिमास थी।

राजस्थान भू-गर्भ जल स्रोत विकास बोर्ड

२९८. **श्री कर्ण सिंह जी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) १९५२-५३ में राजस्थान भूगर्भ जल स्रोत विकास बोर्ड नें क्या प्रगति की है;

(ख) क्या यह बोर्ड निजी कुएं गलाने का काम करता है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री किदवई): (क) बोर्ड ने १४ नलकूप लगाए हैं जिन में से चार असफल रहे।

(ख) हां।

राजस्थान में रेल-लाइनों का परिमाप

*२९९. **श्री बलवन्त सिंह मेहता**: (क) रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चित्तौड़गढ़-कोटाह तथा फतैहगढ़-चूरू को रेल द्वारा मिलाने के परिमाप-कार्य में क्या प्रगति हुई है?

(ख) ये परिमाप संभवतः कब पूर्ण हो जायेंगे ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) तथा (ख). कोटाह तथा चित्तौड़ गढ़ को रेल द्वारा मिलाने के लिए १९४७ में यातायात तथा यंत्र संबंधी परिमाप किया गया था परन्तु यह योजना निर्माण के लिए अभी तक स्वीकार नहीं हुई है।

फतैहगढ़ तथा चूरू को रेल द्वारा मिलाने का प्रारम्भिक परिमाप हो गया है और प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

मूल ग्राम तथा गोसदन योजनायें

३००. **श्री एम० एल० द्विवेदी:** खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में मूलग्राम तथा गौसदन योजनाओं के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अब तक कितना धन स्वीकार किया है ; तथा

(ख) अब तक के परिणाम क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों की मूलग्राम तथा गौसदन योजनाओं के लिए निम्न लिखित धन स्वीकार किए हैं : —

	१९५१-५२	१९५२-५३	१९५३-५४ (३०-७-५३ तक)
	रुपये	रुपये	रुपये
मूल ग्राम योजनायें	८,०९,०१५	८२०,५२२	१८३,०८८
गौसदन योजनायें	...	२९८,६१०	..

(ख) ८९ कृत्रिम बीजवपन केन्द्र, २३२ मूल ग्राम तथा ९ गौसदन राज्य सरकारों द्वारा पहिले ही स्थापित किये जा चुके है।

प्रसूति तथा बाल-स्वास्थ्य विभाग कलकत्ता

३०१. **डा० रामा राव:** (क) स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि कलकत्ता स्थित प्रसूति तथा बाल-स्वास्थ्य विभाग के प्रशिक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कर्त्तव्य क्या हैं ?

(ख) इस विभाग में कितने कर्मचारी काम करते हैं ?

(ग) इस विभाग में कितने वैदेशिक कर्मचारी है और उनकी योग्यतायें नागरिकता तथा उपलब्धियां क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत-कौर): (क) से (ग) तक एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २६]

काम दिलाऊ दफ्तर

३०२. **प्रो० डी० सी० शर्मा:** श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काम दिलाऊ दफ्तरों के कार्य को भारत में लोकप्रिय बनाने के लिए किन कन एजेंसियों से काम लिया जाता है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): जिन एजेंसियों से काम लिया जाता है वे भारत सरकार के सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की बहुत सी इकाइयां हैं, जैसे समाचार पत्र, सूचना विभाग, प्रकाशन विभाग, विज्ञापन-शाखा, अखिल भारतीय रेडियो तथा चलचित्र विभाग। काम प्राधिकारी काम लेने वालों तथा जन साधारण से भी सम्पर्क रखते हैं और थोड़े से इश्तिहार तथा पुस्तिकाओं का वितरण करते हैं।

चलते फिरते हस्पताल

३०३. **प्रो० डी० सी० शर्मा:** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :—

(क) उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलते

फिरते हस्पतालों की संख्या क्या है जो पंजाब में केन्द्रीय सहायता के लिए चुने गये हैं ; तथा

(ख) १९५३-५४ में ऐसे कितने हस्पतालों के बनाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत-कौर) : (क) कोई नहीं ।

(ख) १९५३-५४ के आधव्ययक में लगभग १४ हस्पतालों के लिए मोटरों तथा उपकरणों पर बार बार न होने वाली लागत के लिए पांच लाख रुपए की व्यवस्था की गई है ।

बम्बई रेल शताब्दी प्रदर्शनी

३०४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई में शताब्दी मनाने पर क्या व्यय हुआ और उससे कितनी आय हुई ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अल-गशन) : बम्बई में शताब्दी मनाने पर लगभग १९,५०० रु० व्यय हुआ । आय कुछ नहीं हुई ।

धान वसूली

३०५. **श्री के० पी० सिन्हा** : (क) खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत फसल में धान अथवा चावल की (राज्यानुसार) कुल कितनी वसूली हुई ?

(ख) क्या वसूली मूल्य समस्त देश में एक सा है अथवा भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है ?

(ग) यदि ऐसा तो अन्तर क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) एक विवरण जिसमें १ जनवरी से २५ जुलाई १९५३ तक विभिन्न राज्यों में वसूल किये गये चावल, जिसमें चावल के रूप में धान भी सम्मिलित है, की मात्रा दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २७ ।]

(ख) यह भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है ।

(ग) एक विवरण जिसमें भिन्न भिन्न राज्यों में चावल धान की वसूली का वर्तमान मूल्य दिया गया है, सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिय परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २७]

सोना उत्पादन

३०६. **श्री विट्ठल राव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) १९५२-५३ में उरेगम सोने की खानों से प्रति मास कुल कितना सोना निकाला गया ;

(ख) उसी काल मे अन्य बड़ी बड़ी खानों से खानवार कुल कितना सोना निकाला गया ;

(ग) इस काल में उरेगम की खानों में कितने मज़दूर काम पर लगाये गये ; तथा

(घ) इसी काल में उपरोक्त भाग (ख) के अन्तर्गत आने वाली खानों मे, प्रत्येक खान में अलग अलग , काम पर लगाये गये मज़दूरों के साथ इसका तुलनात्मक परिणाम क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) से (घ) एक विवरण जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २८।]

बैलगाड़ी के पहिये (धुरी आदि)

३०७. **श्री हेडा** : यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या बैलगाड़ी के पहियों की धुरी आदि की कोई उपयुक्त रूपरेखा की अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, इसकी विशेषतायें क्या है ; तथा

(ग) वर्तमान लागत की अपेक्षा इसकी लागत क्या है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं। केन्द्रीय सड़क अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली, में अभी प्रयोग हो रहे हैं।

(ख) तथा (ग). उत्पन्न ही नहीं होते।

मजदूर बोर्डस तथा अधिकरण

३०८. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: (क) श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५०-५१ तथा १९५२ में बोर्डों तथा अधिकरणों ने कितने औद्योगिक झगड़ों का निर्णय किया ?

(ख) कितने मामले अपीलीय अधिकरण को गये और उनका क्या परिणाम रहा?

(ग) कितनें मामलों में कर्मचारियों को, उन्हें अनुचित रूप से काम से हटाये जाने के कारण, काम पर फिर लगाया गया ?

(घ) संबन्धित संस्था के अनुशासन पर इस प्रकार फिर काम पर लगाने का क्या प्रभाव पड़ा है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरी) : (क) केवल केन्द्रीय क्षेत्र की औद्योगिक संस्थाओं के संबंध में, जिनके लिये केन्द्रीय सरकार औद्योगिक झगड़ा अधिनियम, १९४७, के अन्तर्गत उत्तरदायी है, सूचना उपलब्ध है। १९५०-५१ तथा १९५२ में कोई भी झगड़े का मामला समझौता बोर्ड को नहीं भेजा गया। इन वर्षों में अधिकरणों द्वारा निर्णीत औद्योगिक झगड़ों की संख्या क्रमानुसार ५, २८ तथा १७ थी।

(ख) तथा (ग). जहां तक केन्द्रीय क्षेत्र की औद्योगिक संस्थाओं का संबन्ध है, सूचना एकत्रित की जा रही है, और सदन पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

वायु निगमों के लिये वायुयानों की खरीद

३०९. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : (क) संचरण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि निगमों द्वारा हवाई कम्पनियों के कितने और कौन कौन से प्रकार के वायुयान लिये जा रहे हैं ?

(ख) उन्हें कब और कहां से खरीदा गया था ?

(ग) शुरू में उन की खरीद पर कितना व्यय हुआ था ?

(घ) उन में से हरेक कितने घंटे उड़ान कर चुका है ?

(ङ) उन में से हरेक से अधिकतम कितने समय तक काम लिया जा सकता है ?

(च) उन्हें किन मार्गों पर चलाया गया है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क)से (च). हवाई कम्पनियों से जो वायुयान लिये गये हैं उन की संख्या, प्रकार, खर्चे आदि से सम्बन्धित विवरण की जांच की जा रही है। प्रश्न में जो सूचना मांगी गई है वह इस जांच के समाप्त होने के बाद ही मिल सकेगी।

न्यूनतम मंजूरी अधिनियम

३१०. श्री राघवय्या : श्रम मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत उद्योग वार (कृषि के अतिरिक्त) तथा राज्यवार क्या दर तय की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : अपेक्षित सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २९]

अभ्रक खानें तथा फैक्टरियां

३११. श्री गोपाल राव : क्या श्रम मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) भारत में (१) अभ्रक खानों तथा (२) अभ्रक फैक्टरियों की कुल संख्या ;

(ख) वर्ष १९४७ तथा १९५३ के बीच (प्रति वर्ष) इन फैक्टरियों में काम पर लगे मजदूरों की संख्या ;

(ग) (१) खानों में तथा (२) फैक्टरियों में टेकनिकल कर्मचारियों की संख्या ; तथा

(घ) उन खानों की संख्या जो (१) बिजली का प्रयोग करती हैं और जहां (२) मशीनों से काम होता है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) :(क) से (घ). अपेक्षित सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३०]**

ई० एल० सी० के कार्यालय की तलाशी

३१२. **श्री राघवय्या** : रेल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पूर्व रेलवे के एन० जी० वर्कशाप स्टोर के ई० एल० सी० के कार्यालय की जबलपुर के भ्रष्टाचार निरोधक कर्मचारियों द्वारा ली गई तलाशी से पता चला है कि लगभग ५००० रुपये के मूल्य का माल गायब है और हिसाब में भी गड़बड़ की गई है ; तथा

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). यह सच है कि प्रारम्भिक जांच के परिणामस्वरूप स्टोर की सामग्री में कुछ गड़बड़ का पता लगा है। इस समय सारे मामले पर विशेष पुलिस विभाग तथा पूर्व रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से जांच की जा रही है।

चीनी की मिलें

३१३. **श्री गोपाल राव** : खाद्य तथा कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५१-५२ तथा १९५२-५३ के मौसमों में कुल कितनी चीनी की मिलें चलीं ;

(ख) वर्ष १९५२-५३ तथा १९५१-५२ में (राज्य वार) इनमें कितना गन्ना पेला गया और कितनी चीनी बनाई गई ;

(ग) वर्ष १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में (राज्यवार) इन मिलों ने कुल कितने दिन काम किया ; तथा

(घ) वर्ष १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में (राज्यवार) इन मिलों में काम पर लगे मजदूरों की कुल संख्या कितनी थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) से (घ). अपेक्षित सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३१]**

अमरावत्ती रेलवे स्टेशन के पास पुल

३१४. **श्री के० जी० देशमुख** : रेल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि अमरावती रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइनों के ऊपर पुल बनाने के काम को वर्ष १९५३-५४ के निर्माण कार्यक्रम में दूसरा स्थान दिया गया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो उस का काम कब तक शुरु हो जायेगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). जी नहीं। मध्य प्रदेश सरकार ने "लेवल क्रासिंगों" की जगह पुल बनान के काम में अमरावती के पुल को चौथा स्थान दिया है। इस पुल के बनाने के काम की वर्ष १९५४-५५ के आयव्ययक में व्यवस्था करने का विचार है।

साजापहाड़ कोयलाखान में दुर्घटना

३१५. **श्री के० जी० देशमुख** : (क) श्रम मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या

यह सत्य है कि मध्य प्रदेश स्थित सरगुजा जिले के चितमीर-कोयला क्षेत्र में साजा पहाड़ कोयला खान में २० मई १९५३ को एक दुर्घटना हुई थी ?

(ख) इस दुर्घटना में कितने मजदूर मारे गये ?

(ग) क्या यह सत्य है कि गत वर्ष में इस खान में कई दुर्घटनायें हुई हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) १५ मई १९५३ को सरगुजा जिले में पुरे चिरिमिरी कोयला खान में, जिसे वहां के लोग "साजूपहाड़" कोयला खान कहते हैं, एक दुर्घटना हुई थी ।

(ख) आठ ।

(ग) २२ दुर्घटनायें ।

कलकत्ते में डाकियों को ऊनी वर्दियों का न दिया जाना

३१६. **श्री गिडवानी** : (क) **संचरण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि कलकत्ते के डाकियों को पिछले दो वर्षों से वर्दियां नहीं मिली हैं ?

(ख) क्या यह सत्य है कि १९४९ से ऊनी वर्दियां नहीं दी गई हैं ?

(ग) यदि डाकिये सादे कपड़ों में अपना काम करते पाये जायें तो क्या उन्हें बरखास्त किया जा सकता है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी नहीं । वर्दियां दिसम्बर १९५१ तथा जून १९५२ के बीच दी गई थीं । कुछ कर्मचारियों को, जो वर्दियों की मांग के भेजे जाने तथा सिलाई के ठेके के खत्म हो जाने के बाद अस्थायी पदों पर नियुक्त किये गये थे, वर्दियां नहीं दी जा सकीं ।

(ख) जी नहीं । कलकत्ता के सारे डाकियों को १९४९ में तथा १९५२-५३ में दी जाने वाली गर्म वर्दियां (ऊनी जर्सियां) दी गई थी । केवल उत्तरी कलकत्ते के १३४ डाकियों को ५२ में मिलने वाली जर्सियां जुलाई, ५३ में दी गई थीं । इस का कारण ऊनी जर्सियों के एक खेप का आने जाने में खो जाना था । अतः नई जर्सियों के लिये आर्डर देना पड़ा और उन के तैयार होने में कुछ समय लगा ।

(ग) डाकियों को सादे कपड़ों में अपना काम करते हुए पाये जाने पर सजा दी जा सकती है परन्तु यह सजा हर मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी । जहां तक पता है, काम करने के समय वर्दी न पहनने पर किसी डाकिये को बरखास्त नहीं किया गया है ; हां कुछ डाकियों को इस के लिये चेतावनी दी जा चुकी है ।

अखिल-भारतीय रेलवे ट्रेड यूनियन

३१७. **सेठ गोविन्द दास**: क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि संयुक्त अखिल-भारतीय रेलवे ट्रेड यूनियन कितनी संख्या का प्रतिनिधित्व करती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : माननीय सदस्य शायद नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (भारतीय रेल कर्मचारियों के राष्ट्रीय फेडरेशन) को निर्दिष्ट कर रहे हैं । फेडरेशन का दावा है कि उसमें लगभग ४, १/२ लाख सदस्य हैं ।

रेलों में छोड़ी गई सम्पत्ति

३१८. **सेठ गोविन्द दास** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में रेलों में अनुमानतः कुल कितने कितने मूल्य की छोड़ी हुई सम्पत्ति पाई गई ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : वर्ष १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में रेलों में छोड़ी गई सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य क्रमशः लगभग १,३५,०९३

रुपये तथा १,४४,२११ रुपये था। इन आंकड़ों में पुरानी बी० एन० रेलवे के आंकड़े शामिल नहीं हैं क्योंकि वह रेलवे इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखती थी ।

सब्जीमंडी रेलवे स्टेशन

३१९. **श्री गिडवानी :** (क) रेल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सब्जीमंडी दिल्ली के निवासियों का एक प्रतिनिधि मंडल उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर से मिला था और उसने उनके सामने ये मांगें रखी थीं :—

(१) रेलवे लाइन के ऊपर एक पुल बनाया जाये ;

(२) घंटाघर के पास एक टिकिटघर खोला जाये ; और

(३) सब्जीमंडी रेलवे स्टेशन पर अन्य सुविधायें दी जायें ?

(ख) क्या सरकार ने इन मांगों पर विचार किया है ?

(ग) यदि हां, तो उसने इन कार्यों में क्या फैसला किया ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). उत्तर 'हां' में हैं ।

(ग) सब्जीमंडी में पैदल आने जाने के लिये एक पुल चालू वर्ष में बनाने का विचार है । वहां एक सिटी बुकिंग एजन्सी खोलने के प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है । अन्य सुविधाओं की, जैसे ऊंचे प्लेटफार्म आदि की व्यवस्था की जा चुकी है ; स्टेशन पर बिजली भी लगा दी गई है ।

तितवाल और विट्ठलवाड़ी के बीच रेलवे स्टेशन

३२०. **श्री गिडवानी :** (क) रेल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि गत सत्र में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उपमंत्री ने यह कहा था कि उल्हासनगर के निवासियों की यातायात सुविधायें देने के उद्देश्य से तितवाल और विट्ठलवाडी के बीच छः महीने के अन्दर एक नया रेलवे स्टेशन खोल दिया जायेगा ?

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). सम्भवतः माननीय सदस्य २० मार्च, १९५३ को तारांकित प्रश्न संख्या ९२४ के बारे में दिये गये उत्तर को निर्दिष्ट कर रहे हैं। उस में यह कहा गया था कि कल्याण और तितवाल के बीच तितवाला और विट्ठलवाडी के बीच नहीं, स्टेशन बनाने के सम्बन्ध में जो कार्य हो रहा है, उसके अगले छः महीने में समाप्त होने की आशा है । स्टेशन की इमारत के लिये इस्पात का ढांचा तैयार करने का काम शुरू हो गया है और और कुछ बचे हुए कामों के बारे में टेंडर मांगे गये । ये काम वर्षा के जल्दी आजाने के कारण कर गये थे । अब ज्योंही वर्षा समाप्त हो जायेगी काम फिर शुरू कर दिया जायेगा । आशा है कि जनवरी १९५४ तक काम समाप्त हो जायेगा ।

अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को नौकरी दिया जाना

३२१. **श्री पी० एन० राजभोज :** (क) श्रम मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५० से १९५३ तक सेवा योजनालयों के द्वारा कितनी नियुक्तियां की गई हैं ?

(ख) इन में से अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को कितनी नौकरियां दी गईं ?

(ग) उन्हें किन किन प्रकार के पदों पर रखा गया ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जनवरी १९५० से जून १९५३ तक १२,११,२५८ ।

(ख) १,६६,७१२ ।

(ग) एसिस्टेन्टों, क्लर्कों, टाइपिस्टों, स्टेनो-ग्राफरों, शिक्षकों, टेकनीशियनों तथा अप्रवीण श्रमिकों आदि के पदों पर ।

रांची और पुरी के होटल

३२२. **श्री वी० पो० सुब्बा राव:** रेल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या पूर्व रेलवे के रांची तथा पुरी होटलों से कोई लाभ हुआ है ; यदि हुआ है तो कितना ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : वर्ष १९५१-५२ में, जिसके बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, पुरी और रांची के रेलवे होटलों में क्रमश: १३,५५० रुपये तथा १४,३०३ रुपये की हानि हुई है ।

रेल दुर्घटनायें

३२३. **श्री एन० एच० जोशी** : (क) रेल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनवरी १९५३ से रेलवे निरीक्षणालय (इंसपेक्टरेट) द्वारा रेल दुर्घटनाओं के कितने मामलों की जांच की गई है ?

(ख) कितने मामलों में रिपोर्ट पेश कर दी गई हैं ?

(ग) रिपोर्टों में क्या क्या मुख्य सिफारिश की गई हैं ?

(घ) क्या सरकार ने उन रिपोर्टों पर कोई कार्यवाही की है ?

(ङ) यदि हां तो कितनी रिपोर्टों पर ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ग्यारह।

(ख) सारे ग्यारह मामलों में ।

(ग) मुख्य सिफारिशें यह हैं :

(१) रेल मोटर कार के डिजाइन में सुधार तथा उसकी और अच्छी तरह देख-रेख ;

(२) गट-मैनों के लिये गेटों पर और अधिक स्थानों की व्यवस्था ;

(३) गाड़ियों को चलाने में "ट्रेन स्टाफ तथा टिकट प्रणाली" के स्थान पर "एब्सो-ल्यूट ब्लॉक" प्रणाली से काम लिया जाना ।

(४) स्टेशनों पर विभिन्न भाषाओं में सचित्र इश्तहारों का लगाना, जिनमें मुसाफिरों द्वारा जल्दी आग पकड़ने वाला तथा विस्फोटक सामान ले जाने से आग लग जाने के खतरे दिखाये गये हों ;

(५) सिगनलों का मशीन से संचालित किये जाने के स्थान पर बिजली से संचालित किया जाना ताकि पहली प्रणाली के खतरों से बचा जा सके ;

(६) रुकावटों वाले ब्लॉक सेक्शन में गाड़ियों के चलाने में 'प्रोसीड' आगे चलो सर्टिफिकेट तथा अगली गाड़ी आने के लिये मेमो देने की प्रणाली के स्थान पर 'पाइलट गार्ड' प्रणाली का जारी किया जाना ।

(७) मीटर-गेज पर मालगाड़ी के डिब्बों में 'ऑटोमेटिक वेकुअम ब्रेक' की व्यवस्था में शीघ्रता करना ।

(८) रेलवे अधिकारियों द्वारा ऐसे लेवल क्रासिंगों पर जहां कोई व्यक्ति न रहता हो सड़क पर चलने वाली गाड़ियों के लिये चेतावनी के सिगनलों की व्यवस्था करना ।

(९) लाइन पर 'फिश प्लेटों' में तेल देने और सफाई करते समय आने जाने वाली गाड़ियों की सुरक्षा का ध्यान रखने के बारे में जो अनुदेश हैं उनकी पुन: जांच करके आवश्यक परिवर्तन करना ।

(१०) पूर्वोत्तर रेलवे के कुछ सेक्शनों में, जहां लाइन में गड़बड़ करने के कई मामले हुए हैं, गशत लगाने के प्रश्न पर पुनर्विचार किया जाना ।

(११) इस बात को देखने की पूरी तरह व्यवस्था करना कि स्क्रॉच ब्लॉक सुरक्षा जंजीरें आदि का नियमों के अनुसार प्रयोग हो जिससे स्टेशन पर खड़ी गाड़ियां एक दम न चल पड़ें।

(घ) जी हां।

(ङ) उपरोक्त ग्यारह सिफारिशों में से दो को यानी (८) और (१०) को छोड़ कर शेष ९ सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा चुका है। शेष सिफारिशों को भी क्रियान्वित किया जा रहा है।

चीनी

३२४. **श्री एम० एल० द्विवेदी: खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में वर्ष १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में (१) वेकुअम के कढ़ावों का प्रयोग करने वाली फैक्टरियों में कितना गन्ना पेला गया ; (२) कितनी चीनी बनाई गई ; (३) सरकार द्वारा निश्चित की गई गुड़ और चीनी की कीमतें कितनी थीं ; (४) गन्ने से प्राप्त होने वाली चीनी की प्रतिशतता क्या थी और (५) चीनी के बाजार भाव क्या थे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): अपेक्षित सूचना के दो विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३२**]

कृषि सार

३२५. **श्री राजगोपाल राव :** (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पहली जुलाई १९५२ से आरम्भ होने वाली प्रत्येक छमाही में अब तक (१) गैर-सरकारी हिसाब में ;

(२) सरकारी हिसाब में तथा (३) टेकनिकल सहायता समझौते के अधीन निःशुल्क भेंट के रूप में कितना अमोनियम सल्फेट भारत में आयात किया गया और किस मूल्य पर ?

(ख) पहली जुलाई १९५१ से आरम्भ होने वाली प्रत्येक छमाही में अब तक भारत में कितना अमोनियम सल्फेट उत्पादित किया गया है ?

(ग) पहली जुलाई १९५१ से अब तक प्रत्येक छमाही में (१) सिन्दरी फैक्टरी, (२) त्रावणकोर फेक्टरी, (३) मैसूर फैक्टरी और (४) अन्य उत्पादकों द्वारा कितना अमोनियम सल्फेट उत्पादित किया गया ?

(घ) पहली जुलाई १९५१ से प्रत्येक छमाही में देश में अमोनियम सल्फेट की कितनी खपत हुई ?

(ङ) वर्ष १९५३ में अनुमानतः कितनी खपत होगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) (१) अमोनियम सल्फेट का आयात गैरसरकारी हिसाब में नहीं दिया जा सकता।

(२) तथा (३) अपेक्षित सूचना के दो विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३३**]

(ख) तथा (ग). एक विवरण जिसमें जुलाई १९५१ से जून १९५३ के बीच की चार छमाहियों का उत्पादन दे रखा है, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३३**]

(घ) सूचना इकट्ठी की जाती है और सदन पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) लगभग ५ लाख टन।

अमोनियम सल्फेट

३२६. **श्री राजगोपाल राव: खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में (१) सिन्दरी फैक्टरी (२) राज्य सरकारों तथा (३) अन्य उत्पादकों के पास

पहली जनवरी १९५२, पहली जुलाई १९५२ पहली जनवरी १९५३ और पहली जुलाई १९५३ को अमोनियम सल्फेट की अनुमानतः कुल कितनी मात्रा थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : विभिन्न क्षेत्रों से सूचना मांगी गई थी। अब तक प्राप्त सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [*देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३४*]

शेष सूचना प्राप्त होने पर उपलब्ध करा दी जायगी।

कोयले की चोरी

३२७. **श्री गणपति राम**: रेल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि परसीपुर, कपसेठी और बनारस छावनी स्टेशनों के बीच चलते डिब्बों में से रेलवे का बहुत सा कोयला चुराया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई छानबीन की गई है ;

(ग) क्या चुराया गया कोयला कहीं मिला है ;

(घ) कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ कार्यवाही की गई ; तथा

(ङ) क्या इस क्षेत्र में हाल ही में की गई इस तरह की कोई और चोरियों का पता चला था ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ङ). जिस जगह की बात की जा रही है वहां कोयला चोरी किये जाने की सूचना मिली है परन्तु इस हद तक नहीं जितना कि कहा गया है।

(ख) जी हां।

(ग) तथा (घ) 'वाच एंड वार्ड' कर्मचारियों द्वारा, जो इस कार्य के लिये विशेष रूप से नियुक्त किये गये थे, कुछ अचानक छापे मारे गये थे जिन में लगभग २५ अपराधियों को करीब १०० मन चोरी का कोयला लिये रंगे हाथों पकड़ा गया। सारे अपराधियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया था।

पश्चिमी बंगाल को खाद्यान्नों का दिया जाना

३२८. **श्री एन० बी० चौधरी**: खाद्य तथा कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा पश्चिमी बंगाल सरकार को जनवरी १९५३ तक कुल कितना खाद्यान्न दिया गया और उस में चावल की मात्रा कितनी है ;

(ख) वर्ष १९५३ के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार ने कितनी मात्रा मांगी है ; तथा

(ग) विभिन्न खाद्यान्नों के लिये क्या कीमतें ली गईं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) ३१ जुलाई १९५३ तक पश्चिमी बंगाल को लगभग ३,९२,००० टन खाद्यान्न दिया गया जिसमें लगभग ८६,००० टन चावल था।

(ख) वर्ष के प्रारम्भ में, अनुमान लगाया गया था कि पश्चिमी बंगाल को इस वर्ष के लिये १,००,००० टन चावल की आवश्यकता होगी और केन्द्रीय सरकार ने उसे देना मंजूर कर लिया था। जून में पश्चिमी बंगाल सरकार ने ५०,००० टन की और मांग की जिसे देना भी भारत सरकार ने मंजूर कर लिया। इसमें वे १५,००० टन बढ़िया चावल शामिल नहीं हैं जिसे केन्द्र ने उचित कीमत वाली दुकानों के ज़रिये बांटने के लिये देना मंजूर किया था और न ही वे २१,००० टन शामिल हैं जो पश्चिमी

बंगाल को १९५३ में १९५२ के कोटे के हिसाब में दिये गये थे।

जहां तक गेहूं का प्रश्न है। पश्चिमी बंगाल को जितने गेहूं की जरूरत है उतना हम दे रहे हैं।

(ग) एक विवरण जिस में चावल की वे क़ीमतें दे रखी हैं जो उन राज्यों ने, जहां से चावल का प्रबन्ध किया गया था, वसूली की थी; तथा जिस में पश्चिमी बंगाल को दिये गये बाहर से मंगाये चावल तथा गेहूं की क़ीमतें भी दे रखी हैं, सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३५]

सोमवार,
१७ अगस्त, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

सोमवार, १७ अगस्त, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिए **भाग १**)

९-२२ पू० म०

अनुपस्थिति की अनुमति

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि मुझे श्री दशरथ देव से निम्नलिखित पत्र प्राप्त हुआ है :

"मैं बहुत बीमार होने के कारण संसद् के इस सत्र में आरम्भ से ही सम्मिलित नहीं हो सका हूं।

अतः मैं आप से ३ अगस्त से मुझे सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति देने की प्रार्थना करता हूं।"

क्या सदन की यह इच्छा है कि श्री दशरथ देव को चालू सत्र में सदन की सब बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति दे दी जाये ?

अनुमति दे दी गई।

विदेशी मामलों पर प्रधान मंत्री का वक्तव्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नहरू) : तीन मास पूर्व

१५ मई को मैं ने इस सदन में विदेशी मामलों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया था। उस समय मैं ने अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को नये ढंग से हल करने के प्रयत्नों और विशेष रूप से सभी ओर से कोरिया के प्रश्न को शान्तिपूर्वक हल करने की जो इच्छा प्रकट की गई है उस का उल्लेख किया था। बहुत देर से पानमुन जोन में होने वाली बातचीत कई विघ्न-बाधाओं को पार करके, धीरे धीरे किसी हल की ओर अग्रसर होती हुई प्रतीत हुई। कई बार बाधायें उत्पन्न हुईं, किन्तु अन्त में युद्ध बन्दियों की सब से बड़ी बाधा पार कर ली गई। ८ जून को दोनों पक्षों ने युद्ध बन्दियों के सम्बन्ध में एक करार पर हस्ताक्षर किये। इस करार की मुख्य मुख्य बातें बिलकुल उस भारतीय संकल्प के समान ही थीं जिसे कि कुछ मास पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ की महा सभा ने स्वीकार किया था।

इस करार में भारत पर एक बड़ा भारी उत्तरदायित्व डाला गया है। किसी भी देश के लिये और विशेष रूप से हमारे लिये यह एक बिलकुल नई चीज़ थी। हम नये उत्तर दायित्वों को, विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, नहीं सम्भालना चाहते थे। परन्तु परिस्थितियां ऐसी थीं कि हमारे लिये इस भारी उत्तरदायित्व से बचना ठीक नहीं होता। शान्ति के हेतु, जिसके लिये कि हम सदा प्रयत्नशील हैं और अन्य देशों का हमारे में जो विश्वास है उस के कारण इस के लिये हमारी सेवा की आवश्यकता थी। अतएव

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

हम ने नम्रता की भावना से और इस विश्वास से कि हमें जो काम सौंपा जा रहा है उस में अन्य देशों का निरन्तर उदारतापूर्ण सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा हम ने इन कर्तव्यों को स्वीकार कर लिया ।

लगभग सभी का यह विचार था कि अब शीघ्र ही अन्तिम युद्धविराम करार पर हस्ताक्षर हो जायेंगे । परन्तु, अप्रत्याशित रूप से लगातार कुछ एक निन्दनीय घटनाओं के घटने से इस में विलम्ब हो गया और बहुत अनिश्चितता का समय आ गया । इस में सन्देह होने लगा कि हम ने जिस अवस्था में कोरिया में काम करने की आशा की थी वह वस्तुतः वहां स्थापित हो भी जायेगी । कई सप्ताह के शशोपंज के पश्चात् २७ जुलाई को प्रातः काल के समय पानमुन जोन में चिर प्रतीक्षित युद्ध विराम करार पर हस्ताक्षर कर दिये गये और उस के कुछ घण्टे पश्चात् युद्ध बन्द हो गया ।

इस युद्ध-विराम करार से युद्धबन्दियों के करार की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, यद्यपि दक्षिण कोरिया की सरकार द्वारा बड़ी संख्या में युद्धबन्दियों की रिहाई का उस करार पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था । इस प्रकार हमारे लिये अपने उत्तरदायित्वों को निभाने के लिये तैयारी करने का मार्ग साफ हो गया । ये उत्तरदायित्व तीन प्रकार के थे । तटस्थ राष्ट्रों के प्रत्यावर्तन आयोग में स्वीडन, स्विट्जरलैण्ड, पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया और भारत के प्रतिनिधि हैं । भारतीय सदस्य को आयोग की अध्यक्षता और आयोग के कार्यकारी अभिकर्ता का उत्तरदायित्वपूर्ण पद सौंपा गया । हमें यह भी कार्य सौंपा गया कि हम उन युद्धबन्दियों की अभिरक्षा के लिये अपनी सेना भेजें जिन्हें कि निरुद्ध करने वाले पक्षों ने सीधे प्रत्यावर्तित नहीं किया और तीसरे हमारे रेड क्रास को यह कहा गया कि वह ऐसे बन्दियों के सारे रेड क्रास सम्बन्धी कार्य को अपने हाथ में ले ।

यह स्मरण रहे कि यह विराम सन्धि दो कमानों--एक ओर संयुक्त राष्ट्रीय कमान और दूसरी ओर चीनी तथा उत्तर कोरियाई कमानों--के मध्य हुई है । इस प्रकार हमें सीधे इन दोनों कमानों से व्यवहार करना है । इस दिशा में पहिले पग के रूप में हम ने कोरिया के लिये एक अग्रिम दल भेजने का निश्चय किया जो वहां जा कर दोनों कमानों से बातचीत करके हमें इस विषय में अपना प्रतिवेदन देगा कि हमें वहां विस्तार से क्या क्या प्रबन्ध करने होंगे । इस अग्रिम दल के नेता हमारे विदेश सचिव थे और इस में हमारी सशस्त्र सेना तथा रेड क्रास के प्रतिनिधि थे । वे इस विषय में अपनी संतुष्टी करेंगे कि भारत के प्रतिनिधि तथा सशस्त्र सेना में भारत के आत्म-सम्मान तथा प्रतिष्ठा के अनुरूप परिस्थितियों में सम्मानपूर्वक कार्य कर सकेंगे । यह बात बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि दक्षिण कोरिया की सरकार की ओर से भारतीय प्रतिनिधियों तथा सेनाओं के सम्बन्ध में कुछ अनुचित और अशिष्टतापूर्ण वक्तव्य दिये गये हैं । इस अग्रिम दल ने ५ अगस्त को दिल्ली से प्रस्थान कर दिया था । उन्हों ने अपना काम समाप्त कर लिया है और वे कल लौट रहे हैं । दोनों कमानों ने हमारे प्रतिनिधियों के साथ जो शिष्टतापूर्ण व्यवहार किया है और उन की जो सहायता की है उस के लिये मैं उन का आभारी हूं । हमें अपने अग्रिम दल से जो समाचार प्राप्त हुए हैं उन के अनुसार इन दोनों कमानों से उन की बातचीत हर प्रकार से संतोषजनक रही है ।

भारत पर यह जो नया और भारी उत्तरदायित्व डाला गया है उसे ध्यान में रखते हुए हमें जो विभिन्न काम सौंपे गये हैं

उनके लिये हम ने बड़ी सावधानी से उपयुक्त प्रतिनिधियों को चुना है । प्रत्यावर्तन आयोग में हमारे प्रतिनिधि और उस के सभापति लेफ्टिनेंट-जनरल के० एस० थिमय्या और वैकल्पिक प्रतिनिधि हमारे हेग स्थित राजदूत श्री बी० एन० चक्रवर्ती होंगे । इन पदाधिकारियों के, इन के साथ इन के कुछ कर्मचारी भी होंगे, सितम्बर के प्रथम सप्ताह में कोरिया प्रस्थान करने की आशा है जिस से कि ये सितम्बर के अन्त में आयोग के कार्य आरम्भ करने से पूर्व सब प्रारम्भिक प्रबन्धों को समय पर पूरा कर सकें ।

भारतीय अभिरक्षक सेना को भेजने का भी प्रबन्ध कर दिया गया है । इस के सेनापति मेजर जनरल थोरट होंगे । यह अनुमान लगाया गया है कि कोरिया में सेवा के लिये रेड क्रास के कर्मचारियों सहित लगभग ५,००० व्यक्तियों की आवश्यकता होगी । इन में से लगभग ४,००० आदमी अगले कुछ दिनों में तीन पोतों में मद्रास से प्रस्थान करेंगे, पहिला पोत एस० एस० जलदुर्ग कल प्रस्थान करेगा । शेष आदमियों के कुछ दिन बाद चौथे पोत के उपलब्ध होने पर प्रस्थान करने की आशा है ।

मैं ये विस्तृत बातें सदन के समक्ष इसलिये बता रहा हूं क्योंकि निस्सन्देह कुछ सदस्यों को हमारे लोगों के उस कार्य में रुचि होगी जो कि वे कोरिया में करने जा रहे हैं । वे वहां शान्ति स्थापित करने के उद्देश्य से गये हैं और मुझे पूरा निश्चय है कि सदन के सभी भागों की तथा देश की सद्भावना उन के साथ है ।

युद्ध-विराम सन्धि का सम्पन्न होना एक महान् घटना है, किन्तु भविष्य में अभी बहुत कठिनाइयां हैं । युद्ध-विराम करार में यह दिया हुआ है कि कोरिया के प्रश्न को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिये, "कोरिया से सभी विदेशी सेनाओं को वापस बुलाने के प्रश्न को बातचीत के द्वारा तय करने के लिये तथा कोरिया के प्रश्न को शान्तिपूर्ण ढंग से हल करने के लिये, आदि आदि," युद्ध-विराम करार पर हस्ताक्षर होने तथा उस के क्रियान्वित होने के पश्चात् तीन मास के अन्दर दोनों पक्षों की ओर से उच्च-स्तर पर एक राजनीतिक सम्मेलन होना चाहिये । ये बड़ी कठिन समस्याएं हैं और इन पर ठंडे दिल से, बिना किसी उत्तेजना के, और शान्ति स्थापित करने के दृढ़ निश्चय के साथ विचार करना चाहिए । तभी ये समस्याएं हल हो सकती हैं । खेद की बात है कि हाल ही में ऐसा जान पड़ा है कि शान्ति बनाए रखने का दृढ़ निश्चय सदा दिखाई नहीं पड़ता और धमकियां तक दी गई हैं । एक पक्ष ने कह दिया है कि यदि काल विशेष के भीतर उस की मांगें पूरी न हुईं तो उसे फिर से सैनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर देने का अधिकार होगा । समझौते किए गए हैं और आश्वासन दिए गए हैं जिन की घोषणा नहीं की गई । हम यह नहीं जानते कि राजनीतिक सम्मेलन में इस समस्या पर पूरी तरह विचार करने में ये कहां तक बाधक होंगे ।

आज न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा का विशेष अधिवेशन इस समस्या पर विचार करने के लिये हो रहा है । परन्तु इस बात को याद रखना चाहिये कि अस्थाई सुलह का समझौता दो पक्षों के बीच हुआ है और संयुक्त राष्ट्र सभा केवल एक ऐसे पक्ष अर्थात संयुक्त राष्ट्र कमान की प्रतिनिधि है । जो भी निश्चय किए जायें उन्हें प्रभावी बनाने के लिए दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक है ।

अभी तक न तो यह तै हुआ है कि राजनीतिक सम्मेलन में कौन-कौन हो और न यह कि उस के क्या काम होंगे । सम्मेलन

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

में कौन कौन भाग ले, इस के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के बीच भी बहुत मतभेद मालूम होता है । यह कहा गया है कि भारत का प्रतिनिधि भी इस सम्मेलन में भाग ले । मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि हम शान्ति के हित में कोई लाभदायक काम कर सकते हैं और सम्बद्ध मुख्य पक्ष इस मामले में हमारी सहायता चाहते हैं, तब तक हम इस सम्मेलन में या और कहीं कोई स्थान नहीं चाहते । मैं सच्चे दिल से आशा करता हूं कि सम्मेलन के प्रति सब का रवैया शान्ति तथा दूरपूर्व की समस्याओं को शांति-पूर्वक निपटाने के ध्रुव निश्चय का होगा । कोरिया में फिर लड़ाई शुरू हो गई तो यह बड़ी भयानक बात होगी और जिस चीज़ से भी युद्ध के वातावरण को प्रोत्साहन मिलता हो, वह दुर्भाग्यशाली होगी ।

सदन को मालूम है कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री हमारे आमंत्रण पर दिल्ली आए हैं । हम अपने इस प्रतिष्ठित अतिथि का स्वागत करते हैं और उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम प्रत्येक ऐसी समस्या को, जिस के कारण दुर्भाग्यवश दोनों देशों के सम्बन्ध ठीक नहीं रहे, शान्तिपूर्वक हल करना चाहते हैं । कठिनाइयां हो सकती हैं और हैं भी और कई बार उस का हल आसानी से नहीं मिलता । परन्तु जहां भी शान्ति तथा समझौते की उत्कट इच्छा हो, वहां सफलता में सन्देह नहीं हो सकता । मैं कराची गया था और वहां मैं ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के साथ देर तक लाभप्रद बातचीत की । उस बातचीत के बाद हम दोनों ने एक संयुक्त वक्तव्य निकाला जिस में कहा गया था--"दोनों देशों की अखण्डता तथा स्वतंत्रता का पूरा सम्मान किया जाना चाहिये और प्रत्येक देश को घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में मनचाही नीति अपनाने की पूरी स्वतंत्रता है ।" इस वक्तव्य में आगे चल कर यह कहा गया था--"दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों को इस बात का विश्वास है कि दोनों देशों के हित में यह आवश्यक है कि दोनों के बीच यथासम्भव अधिकाधिक सहयोग होना चाहिए और न केवल प्रस्तुत भारत-पाकिस्तान झगड़े दूर करने बल्कि दोनों के बीच सद्भावना तथा मैत्री बढ़ाने के लिए भी भरसक प्रयत्न करना चाहिये । उन का विचार है कि दोनों देशों की प्रगति तथा जनसाधारण के कल्याण के लिये, जो कि उन का प्रमुख काम है, ऐसा करना आवश्यक है ।" हमारी सरकार अपने इस वक्तव्य पर स्थिर है और मुझे इस में कोई सन्देह दिखाई नहीं देता कि हमारे जनसाधारण इस नीति के दृढ़ समर्थक हैं । यह बड़े ही खेद का विषय है कि पाकिस्तान और भारत के भी कुछ लोग कभी-कभी इस मूल नीति को चुनौती देते हैं । वही लोग इन दो देशों के बीच संघर्ष की बात सोच सकते हैं जो आज की दुनिया को नहीं समझते और न इन दो देशों को, जिन्हें भूगोल, इतिहास और एक जैसे पिछले समय ने अनिवार्य रूप से मिला रखा है । हम ने दृढ़ निश्चय कर रखा है कि चाहे कुछ लोग विरोधी भावना या उत्तेजना में बह जायें, हम इसी नीति पर चलेंगे और इस से हटेंगे नहीं ।

इस देश में हमें स्वतंत्रता के लिये लम्बे समय तक जो संघर्ष करना पड़ा है उस के कारण हम दूसरे देशों में ऐसे ही संघर्षों को समझ सकते हैं और उन के साथ सहानुभूति रखते हैं । जब हम अपनी स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे थे तब भी हमारी नीति का आधार यही था । आज भी हमारी यही नीति है, न केवल इसलिए कि यह पुराने दिनों से चली आ रही है बल्कि इस लिए

भी कि हम वर्तमान को समझते हैं । कहा गया है, कि विश्व के किसी एक भाग में भी अशान्ति हो, तो विश्व में शान्ति बनी नहीं रह सकती । यही बात स्वतंत्रता पर भी लागू होती है और विश्वशान्ति की नींव, देशों और बहुत अधिक जनसंख्या को स्वतंत्रता से वंचित रख कर नहीं रखी जा सकती । हमें यह देख कर बड़ा दुःख होता है कि बहुत से देशों में इस आधारभूत बात को समझा नहीं जाता और न इसे कार्यान्वित किया जाता है ।

राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रश्न तो अलग रहा, जातिभेद और दमन आज की एक प्रमुख समस्या बन गई है । हम दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, जैसे कि हम स्वयं अपने देश में किसी का हस्तक्षेप सहन करने को तैयार नहीं हैं । परन्तु कुछ ऐसी बातें हैं जो राष्ट्रीय सीमाओं को लांघ जाती हैं और जिन का प्रभाव सारी मानव जाति के कल्याण पर पड़ता है । जाति-भेद और एक जाति द्वारा दूसरी का दमन, ऐसे ही प्रश्नों में से है । यह एशिया और अफ्रीका के सभी पुरुषों के लिए और प्रत्येक सचेत व्यक्ति के प्रति अपमान है । इसलिए मैं ने स्पष्ट शब्दों में यह बताने का साहस किया है कि इस अमानुषिकता, तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के निपट उल्लंघन के प्रति हमारा क्या विचार है । मुझे दृढ़ विश्वास है कि यह कह कर मैं ने इस देश के ३६ करोड़ व्यक्तियों तथा एशिया और अफ्रीका के करोड़ों लोगों में से प्रत्येक की भावनाएं प्रकट कर दी हैं । हम जातिभेद और जातियों की असमानता की इस भावना को कभी सहन नहीं कर सकते ।

आंध्र राज्य विधेयक

याचिका सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : मैं आंध्र राज्य विधेयक, १९५३ सम्बन्धी याचिका समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं ।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

छठी विश्व स्वास्थ्य सभा में गये भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिवेदन

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : मैं मई, १९५३ में जनेवा में हुई छटी विश्व स्वास्थ्य सभा में गये भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखती हूं । [पुस्तकालय में रख दी गई । **देखिये नं० ४ डी० ओ० (२४)**]

दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकारी अधिनियम के अधीन अधिसूचना

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मैं, दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकारी अधिनियम, १९५० की धारा ५२ की उपधारा (३) के अधीन निकाली गई परिवहन मंत्रालय अधिसूचना संख्या १८–टी० ए० जी० (२)/५३, दिनांक ३ अगस्त १९५३ की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं । [पुस्तकालय में रख दी गई । **देखिये नं० एस.––१००/५३**]

समितियों का निर्वाचन

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम १९४८, की धारा ४ के खण्ड (१) तथा कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, १९५० के नियम २(क) के अनुसार यह सदन, ऐसे ढंग से जोकि अध्यक्ष महोदय निश्चित करें, अपने में से एक सदस्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम में काम करने के लिए चुने ।"

उपाध्यक्ष महोदय ने यह प्रस्ताव सदन के सामने रखा और यह स्वीकार कर लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । सदन में इतना शोर नहीं होना चाहिए । प्रश्नोत्तर काल के फौरन ही बाद बाहर जाने की इतनी भी क्या जल्दी है । जब भी मैं बोल रहा होऊं तो जो भी सदस्य जहां हो बैठ जाय । (**अन्तर्बाधा**) यह बात सदन के सभी भागों के लिए है ।

मुझे सदन को यह बताना है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लिए सदस्य के चुनाव का कार्यक्रम इस प्रकार है :

(१) संसदीय सूचनालय में नाम निर्देशन बुधवार, १९ अगस्त, १९५३ को १२ बजे दोपहर तक होंगे ।

(२) नाम, वृहस्पतिवार, १० अगस्त, १९५३ को १२ बजे दोपहर तक वापिस लिए जा सकते हैं ।

(३) चुनाव, यदि आवश्यक हुआ तो, बुधवार, २६ अगस्त, १९५३ को साढ़े दस बजे म० पू० और १ बजे म० प० तक संसद् भवन में पहली मंजिल पर कमिटी रूम नम्बर ६२ में होगा ।

आंध्र राज्य विधेयक——जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम डा० काटजू द्वारा १३ अगस्त, १९५३ को रखे गए प्रस्ताव पर और प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे जोकि उपरोक्त प्रस्ताव में संशोधन के रूप में रखा गया है ।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : श्रीमान् आप की अनुमति से मैं वाद विवाद में इस समय ही बोलना चाहता हूं जिस से कि मैं सदन को परिसम्पत तथा दायित्व की बांट के सम्बन्ध में इस विधेयक के उपबन्धों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाल सकूं और इस विधयक में तुगभद्रा परियोजना के सम्बन्ध में जो उपबन्ध हैं उस के सम्बन्ध में भी अपने विचार प्रकट कर सकूं ।

मैं प्रारम्भ में ही यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने इस उलझे हुए और नाजुक मामले पर मद्रास तथा मैसूर के विधान मंडलों में प्रकट किये गये विभिन्न विचारों पर बड़ी सावधानी से विचार किया है । उस ने उन विभिन्न प्राधिकारियों की रिपोर्टों में दी गई सिफारिशों, जिन्हों ने पहले इस समस्या पर विचार किया है, को भी ध्यान में रखा है । सरकार ने न्यायमूर्ति श्री वांचू की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को तो विशेषकर ध्यान में रखा है । माननीय सदस्यों न अब तक वाद विवाद में जो विचार प्रकट किये हैं मैंने उन पर भी सावधानीपूर्वक विचार किया है । मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं हैं कि भारत संघ में नये राज्यों की स्थापना से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर १९४७ में देश तथा कुछ प्रान्तों के विभाजन से सम्बद्ध प्रश्नों की तुलना में विभन्न दृष्टिकोण से विचार करना होगा । १९४७ के विभाजन का प्रश्न बिल्कुल ही भिन्न था और वह दो अलग तथा स्वतन्त्र राज्यों से सम्बद्ध था । भारत संघ में बनने वाले नये राज्यों के केन्द्र के साथ वैसे ही सम्बन्ध होंगे जैसे कि अन्य राज्यों के हैं और वे अपने विकास के लिये भिन्न प्रकार की सहायता की आशा केन्द्र से ही रखेंगे । इसलिये यह आवश्यक है कि इस समस्या को निपटाते समय हम १९३६ में सिंध प्रान्त के निर्माण का दृष्टान्त अपने सामने रखें न कि १९४७ में देश के विभाजन के उदाहरण को देखें ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो कि मेरे विचार में काफी महत्व रखती है । यह तो ठीक है कि परिसम्पतों तथा दायित्व के बंटवारे में न्याय तथा साम्य का ध्यान रखना चाहिये । परन्तु साथ ही यह बात भी याद रखनी चाहिये कि बंटवारा तो उन परिसम्पतों तथा दायित्व का होना है

जो कि बंटवारे के समय विद्यमान हों । इस प्रयोजन के लिये यह सोचने या इस बात की जांच करने में कोई लाभ नहीं और न ऐसा करना व्यवहार्य है कि पहले इस प्रांत के प्रशासन में क्या हुआ है, और वर्तमान मद्रास राज्य के दो भागों के आर्थिक विकास के लिये कहां तक राजस्व का प्रयोग किया गया है और रक्षित निधि में से कहां तक खर्च किया गया है । इस प्रकार की जांच भ्रममूलक ही होगी । इस बात की भी कठिनाई होगी कि यह जांच कितने काल के लिये की जाय—हमें वह कालावधि निश्चित करनी होगी—और यह भी कठिनाई होगी कि पुराने राज्य के प्रशासन की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है, वे उत्तर देने के लिये यहां उपस्थित नहीं हैं । दोनों राज्यों के बीच अच्छे पड़ौसियों जैसे सम्बन्ध रहने चाहियें और इन सम्बन्धों के लिये यह जरूरी है कि ऐसी भावना की गुंजाइश ही न रहने दी जाय कि उन में से किसी पर भी कोई वित्तीय बोझ इस लिये पड़ रहा है कि भूतकाल में कोई कार्यवाही की गई या नहीं की गई । मैं यह बात विशेषकर इसलिये कह रहा हूं कि लोगों में प्रस्तुत राज्य के कुछ क्षेत्रों की तथा कथित अपेक्षा के सम्बन्ध में विचार प्रकट किय गये हैं और यह कहा गया है कि परिसम्पतों तथा दायित्व के बंटवारे के समय इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है । मेरा अपना विचार यह है कि इस बात का ध्यान रखना परिसम्पतों तथा दायित्व के बंटवारे के समय उतना जरूरी नहीं है जितना कि भविष्य में नये राज्यों को विकास के लिये सहायता की मात्रा निश्चित करते समय है । उस समय इस बात का कोई महत्व नहीं रहता जब कि जैसे मद्रास का मामला है, बंटवारे हम चालू परिसम्पतों का उतना नहीं कर रहे जितना कि सम्भवतया दायित्व का ।

उदाहरण के तौर पर यदि, वर्तमान सरकार के पास बहुत बड़ी संचित नगद निधियां बांटने के लिये होतीं किन्तु कोई ऋण न होता तो कहा जा सकता था कि इन सम्पत्तियों का एक बहुत बड़ा अंश उस राज्य के हाथ में रहना चाहिये जिसे अभी बहुत कुछ विकास कार्य करना है । किन्तु, वास्तव में, अनेक निश्चित तथा अचल सम्पत्तियों एवं सरकार द्वारा दिये गये ऋणों की बकाया राशियों के अतिरिक्त राज्य की तुरन्त बट सकने योग्य रकमें (तरल सम्पत्तियां) तो बहुत ही कम होंगी; किन्तु जनता तथा केन्द्रीय सरकार का भारी ऋण राज्य की ओर निकलेगा जिस के दायित्व का निश्चय करना है ।

इस बात में कुछ और भी आलोचना हुई है कि बिना पूरी जानकारी के हमें संपतियों एवं दायित्वों के बंटवारे की बात नहीं सोचनी चाहिये । जहां तक वर्तमान विधेयक का प्रश्न है, इस में केवल वे साधारण सिद्धान्त हैं जिन के आधार पर बटवारा होगा । सरकार का काम लगातार चला करता है, अतः दोनों राज्यों में होने वाले कार्यों में बाधा पड़ने के बिना सभी संपत्तियों और दायित्वों का पूरा पूरा मूल्यांकन करना असंभव होगा । किन्तु जहां तक वित्तीय संपत्तियों और दायित्वों से सम्बन्धित वास्तविक बटवारे का प्रश्न है, ३० सितम्बर, १९५३ को आलेखित लेखा के आंकड़ों के आधार पर ही उसे आवंटित किया जायगा । सदन को ज्ञात है कि इस प्रकार का लेखा नियंत्रक महालेखा-परीक्षक ही रखा करते हैं, और इसी लेखा ब्यौरे से हम यह सभी जानकारी प्राप्त करेंगे जो आवंटन के लिये आवश्यक है ।

श्री बी० दास (जाजपुर—क्योंझर) : दुर्भाग्यवश, मेरे आंध्रवासी मित्रों ने वह भाग भलः ही डाला था ।

श्री सी० डी० देशमुख : अतएव मैं इस बात को बतलाने की आवश्यकता नहीं समझता कि साधारण सिद्धान्तों के निर्धारण में केन्द्र किन्हीं गुप्त आंकड़ों का सहारा नहीं ले

[श्री सी० डी० देशमुख]

रहा है । और न केन्द्र पर वर्तमान सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी विशष दृष्टिकोण का ही प्रभाव पड़ा है ।

अब मैं, संक्षिप्त में उन मुख्य आधारों की व्याख्या करूंगा जिन के अनुसार प्रस्तुत विधेयक सम्पत्तियों एवं दायित्वों का बटवारा करना चाहता है । सड़क, मकान, अचल जायदाद, विविध परियोजनायें, आदि जैसी भौतिक सम्पत्तियां किसी न किसी राज्य के क्षेत्र में होंगी, और उन के साथ अन्य सम्बद्ध चल सम्पत्तियां भी होंगी । यह तो, निस्सन्देह रूप से अनिवार्य बात है । साधारणतया, ये सम्पत्तियां, उन एक दो अपवादों के अनुसार जिन की ओर मैं बाद में निर्देश करूंगा, क्षेत्रीय आधार पर आवंटित होंगी । कृषकों, स्थानीय निकायों, आदि को वर्तमान सरकार द्वारा दिये गये ऋण के रूप में बकाया राशियां जैसी कई वित्तीय संम्पत्तियां भी राज्य बनाने वाले क्षेत्र के साथ सीधा सम्बंध रखेगी, और ये बकाया राशियां उसी राज्य को मिलेंगी जहां यह क्षेत्र स्थित हों । इस प्रश्न पर भी कई ऐसे विचार प्रगट किये गये हैं जो दोनों राज्यों में की संपदाओं के परिणाम के सम्बन्ध में किसी कल्पनात्मक सूचना पर आधारित हैं । ज्योंहि इस बात का पता चलेगा कि आंकड़े वास्तविक नहीं हैं, त्योंही यह दलील बदल जायगी । इस से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपूर्ण तथा अपरिपक्व आंकड़ों से साधारण सिद्धान्त निकालना कितना खतरे का काम है । इस मिली जुली सरकार की नगद रुपया जैसी कई अन्य सम्पत्तियां भी होंगी जिन्हें क्षेत्रीय आधार पर बांटा नहीं जा सकता । ऐसी सम्पत्तियों के विषय में विधेयक में इस प्रकार बताया गया है कि दोनों राज्यों के क्षेत्रों तथा मैसूर को स्थानान्तरित किये गये क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या के अनुपात से ही आंवटन होगा । इस समय मैं इस आवंटन का और कोई आधार नहीं सोच सकता । मैं पहले भी बतला चुका हूं कि इस बात का हिसाब लगाना तो असंभव सा होगा कि भूतकाल में ये सम्पतियां किस तरह बनाई गईं, और मुझे इस के लिय सब से अधिक न्यायपूर्ण प्रणाली यही दीख रही है कि जनसंख्या के आधार पर ही इन सम्पत्तियों का बंटवारा होना चाहिये । यद्यपि यह प्रणाली किसी हद तक अपरिमार्जित कही जा सकती है । ये सम्पत्तियां इस अर्थ में लोगों की मिल्कियत कहीं जा सकती हैं । क्योंकि इन्हें किसी विशिष्ट अभिप्राय के लिये अलग नहीं किया गया था । अतःएव, यह अतार्किक नहीं होगा यदि इन सम्पत्तियों को इस समानुपात में बांटा जाय जिस अनुपात में वर्तमान राज्य की जनसंख्या दो नये राज्यों तथा मैसूर के बीच बांटी जा रही है :

यों तो बंटवारे की इस योजना में दो रूप भेद हो सकते हैं, जहां तक केन्द्रीय निधियों का, जो सारे राज्य के काम में लाने के लिये अभिप्रेत हैं किन्तु जिन्हें रक्षित स्कन्ध के रूप में रखा गया है, प्रश्न है, उन के बटवारे के लिये क्षेत्रीय बटवारा कोई भी मापदण्ड नहीं हो सकता । अतःएव यह उपबन्धित हुआ है कि उन्हें उसी भौतिक अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिये, जिस अनुपात में इन तीनों राज्यों ने क्रमशः विभाजन से पहले के तीन वित्तीय वर्षों में निधियों में से स्कंधों की मांग की थी, और मुख्यालयों के कार्यालयों की वस्तुसूचियां इस अभिप्राय के लिये अलग रखी जानी चाहिये । इसी प्रकार हम जहां तक भी व्यवहार्य हो सके सरकारी प्रेस को आंध्र तथा शेष मद्रास के बीच, भौतिक रूप से बांटने की भी व्यवस्था कर रहे हैं । यह भी याद रखा जाना चाहिये कि जहां तक भाण्डारों का प्रश्न है, हम अप्रयुक्त सामान का, जिस में लेखन सामग्री तथा

कुछ अन्य बिजली का सामान है, निपटारा कर रहे हैं। तुंगभद्रा परियोजन जैसे विशिष्ट अभिप्रायों के लिये दिये गये सामानों का उल्लेख तक इस विभाजन में नहीं आता।

स्थान के आधार पर सम्पत्तियों के बटवारे के सम्बन्ध में मुझे एक और आवश्यक बात का उल्लेख भी करना होगा। सितम्बर के अन्त में, इस मिलेजुले राज्य के पास खाद्यान्न की बड़ी बड़ी राशियां होंगी, और कृषिसारों की भी राशियां होंगी जिन में से कुछ एक मुख्यालयों में होंगी और कुछ एक राज्य के विविध भागों में के केन्द्रों में होंगी। इन स्कन्धों या भाण्डारों की स्थान स्थिति से कदाचित इन सम्बद्ध क्षेत्रों की आवश्यकताओं का पता नहीं चल सकता। अतः इस के परिणामस्वरूप पश्चाद्वर्ती पुनःवितरण की समस्यायें पदा हो सकती हैं। अतः हमारा यह विचार है कि इन स्कन्धों को सम्भाला जाय, यानी, केन्द्र ही इन्हें अटकल से ३० सितम्बर को अपने जिम्मे ले और उस अर्थोपाय-आवास को घटाये जो स्कन्धों के मूल्यानुसार वर्तमान सरकार को दिया जा चुका है। अतः इन तीनों में से, जिन के क्षेत्रों में ये स्कन्ध पड़े हैं, प्रत्येक सरकार इन स्कन्धों को नियुक्त तिथि को केन्द्रीय सरकार की ओर से अपने पास रखेगी। इस के पश्चात् इन स्कन्धों को नई सरकारों के नाम स्थानान्तरित किया गया समझा जायगा, और अन्य खर्चे सहित उन की ये राशियां उन के हिस्से में से घटाई जायेंगी। इस के परिणामस्वरूप अन्य राज्यों के नाम इन स्कन्धों का स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकार की ओर से नकद बिकरी समझा जायागा और साधारण क्रम से उन से धन प्राप्त किया जायगा। इस सारे का यही सार है कि चूंकि केन्द्र द्वारा ही इस बात को वित्तीय सहायता मिली है, अतः ये सभी सम्पत्तियां केन्द्र की मिल्कियत हैं।

अब मैं दायित्वों के बटवारे पर आऊंगा। मोटे तौर पर इन्हें चार श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है: (१) मद्रास सरकार द्वारा इकट्ठे किये गये ऋण, (२) मद्रास सरकार ने केन्द्र से समय समय पर ऋण लिये हैं, जिन में मद्रास को १९३७ में दिया गया प्राक्स्वायत्तता ऋण का बकाया भी है, किन्तु जिस में से वह अर्थोपाय आवास, जिस की ओर मैं ने अभी निर्देश किया, घटाया जा चुका है; (३) अपने कर्मचारियों के प्रति सरकार के दायित्व भी हैं---जैसे कि भविष्य निधि की बकाया राशि, और (४) स्थानीय समितियों आदि से जमा कराई गई अथवा ली गई धन राशियों के दिये गये ठेकों अथवा प्रत्याभूतियों से पैदा होने वाले दायित्व जो तीसरी पार्टियों के प्रति हैं। जहां तक पहली दो श्रेणियों अर्थात् केन्द्र द्वारा संग्रह कराये गये ऋणों, और उस केन्द्र से लिये गये ऋणों का प्रश्न है, प्रस्तुत विधेयक में यह उपबन्धित हुआ है कि क्रमशः अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित संपत्तियों के पूंजी मूल्य के अनुपात से ही दायित्वों का वितरण होना चाहिये। इस प्रयोजन के लिये वही पूंजी-व्यय लिया जायगा जो लेखा में आ चुका है। विशद रूप से, इस आधार पर दायित्वों के आवंटन का कारण इस प्रकार है। जब भी ऋण लिये गये, पूंजी प्रयोजनार्थ लिये गये, यद्यपि संविधानिक रूप से राज्य के राजस्व पर ही उन का बोझ पड़ता रहा। यदि यह माना जाय कि चालू राजस्वों को राज्य के साधारण दैनिक प्रशासन पर व्यय किया गया और अतिरिक्त राशि को पूंजी के काम में लगाया गया, तब तो जनता अथवा केन्द्रीय सरकार से ऋण पर ली गई बाकी राशि को पूंजी व्यय के उस भाग की ही वित्तीय सहायता के हित दिया गया माना जाना चाहिये, जिसे राजस्व से पूरा नहीं किया जा सका। संक्षिप्त एवं पूर्ण रूप से यह कहना कठिन

[श्री सी० डी० देशमुख]

है कि किसी विशेष परियोजना पर कितना ऋण व्यय किया गया, किन्तु हमारे विचार में, यदि सारे राज्य को लिया जाय तो इस बात में कोई भी अन्यायपूर्णता नहीं होगी कि इस प्रकार के ऋणों से प्राप्त की गई पूंजी सम्पत्तियों पर उन के पुस्त मूल्य के अनुपात म ही ऋण के दायित्व का भी आवंटन हो। सरकारी कर्मचारियों की भविष्य निधि को लौटाने का दायित्व उसी सरकार पर होगा जिस में वे कर्मचारी स्थायी रूप से काम कर रहे हों, और प्रस्तुत विधेयक इस बात को भी उपबन्धित करता है। यह स्पष्ट है कि इस समय की निवृत्ति-वेतन की अदायगी, और विभाजन के दिनांक तक मिले-जुले राज्य के अधीन सेवा के निवृत्ति वेतन की अदायगी का दायित्व इन तीनों राज्यों पर है जिन के बीच यह मिला जुला राज्य बंटा जा रहा है। इस दायित्व को सौंपने का एकमात्र उपलब्ध आधार जनसंख्या है, और विधेयक में इस आवंटन का भी उपबन्ध रखा गया है। जहां तक काम में लगे सरकारी कर्मचारी का प्रश्न है, उस का निवृत्ति वेतन उसे उसी प्रकार से मिलेगा जिस के साथ वह स्थायी रूप से बंधा हो। निवृत्त होने पर उस को उसी सरकार से निवृत्ति-वेतन मिला करेगा, और उस की वह अदायगी इन तीनों साझे की सरकारों के हिसाब में से काटी जायेगी।

जहां तक प्रत्याभूतियों आदि, एवं स्थानीय निधियों तथा स्थानीय समितियों की संचित निधियों के दायित्व का प्रश्न है, इन्हें क्षेत्रीय आधार पर आवंटित किया जाने का विचार किया जा रहा है। यह तो स्पष्ट है कि जिस सरकार के नियंत्रण में वह क्षेत्र हो, वही उस के दायित्व संभाले। वे साहूकारों तथा राज्य के बीच एक निरन्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय सम्बन्ध का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी बाहरी अधिकारी को सुविधाजनक रूप से उन के स्थान में नहीं रखा जा सकता, और स्थानीय समितियों तथा कृषकों को दिये गये उगाऊ धन के रूप में जो भी संपत्तियां हैं, उन के सम्बन्ध में भी यही बात चरितार्थ होती है, क्योंकि और किसी प्रकार का विभाजन उस तेजी पर अपना प्रभाव डालेगा, जिस तेजी से सम्बद्ध सरकार द्वारा इस प्रकार की धन प्राप्तियां होंगी। दायित्वों के आवंटन के सम्बन्ध में तो मैं तीन विशिष्ट उपबन्धों का उल्लेख करना चाहता हूं। प्रथम, जहां तक बाजार से संग्रह किये गये ऋणों को निपटाने के दायित्व का सम्बन्ध है, और जहां तक इन ऋणों के दिये जाने का प्रश्न है, शेष मद्रास की सरकार को इस काम के लिये पूरी तरह से उत्तरदायी बनाया गया है, किन्तु इस ऋण में आंध्र तथा मैसूर का जो भी अंश है, वह उन ही राज्यों द्वारा इस तरह लौटाया जायेगा कि वे मद्रास सरकार को, जब भी बन्ध-पत्र स्वामी को धन देने का दायित्व सामने आय, एक अंश दान देंगे, और इस तरह का व्यवहार पूंजी तथा चालू ब्याज की अदायगी के सम्बन्ध में लागू होगा। सरकार इस लिये इस तरह का उपबन्ध बनाना आवश्यक समझती है, क्योंकि यदि बन्ध-पत्र-स्वामी एक से अधिक सरकार से धन प्राप्ति की आशा करे तो बहुत ही अवांछनीय बात होगी, और वर्तमान ऋणों का नवीकरण तथा भिन्न सरकारों से नई-ताजी प्रत्याभूतियों का जारी कराना अव्यवहार्य है। दूसरी बात यह है कि जहां तक तुंगभद्रा परियोजना से सम्बद्ध ऋण का प्रश्न है, उस का आवंटन उन दो राज्यों के बीच के भावी करार पर होगा—यद्यपि मैसूर में स्थानान्तरित तथा आंध्र राज्य में सम्मिलित क्षेत्रों में स्थापित परियोजना के उस भाग के पूंजी व्यय से सम्बद्ध प्रारम्भिक दायित्व उन दो राज्यों पर ही है ——अथवा, यदि कोई भी करार नहीं हो सके तो दो वष की अवधि

म ही राष्ट्रपति के आदेश द्वारा यह आवंटन कराया जायगा। इस बात की कोई भी आवश्यकता नहीं कि मैं इस उपबन्ध पर बहुत देर तक व्याख्या करता रहूं, क्योंकि इस परियोजना की पूर्ति तथा सम्भरण से पैदा होने वाली वित्तीय एवं अन्य समस्यायें केन्द्र तथा सम्बद्ध सरकारों के बीच बहस का एक विषय बनेंगी। अभी तो प्रस्तुत विधेयक का यही उद्देश्य है कि नियुक्त दिनांक को इस परियोजना पर दोनों संपत्ति एवं दायित्व का मढ़ा जाने वाला दायित्व ऋण-आवंटन को नियमबद्ध करने वाले साधारण सिद्धान्तों के अनुसार मूलतः राज्यों पर ही रखा ाय, किन्तु सम्बद्ध राज्यों के बीच करार के आधार पर अथवा, उस की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, चुनांचि वह (राष्ट्रपति) आवश्यक आदेश देने से पहले प्रत्यक्षतः सभी बातों पर विचार करेंगे, अनुवर्ती पुनः आवंटन होगा, और राष्ट्रपति इस विषय में उपलब्ध प्राविधिक एवं विशारदों के परामर्श प्राप्त कर सकेंगे।

तीसरी बात यह है कि आंध्र और मद्रास के बीच दायित्वों का जो आवंटन होगा वह मद्रास नगर में स्थित मकानों से सम्बन्धित समायोजन के अनुसार होगा। अब हम ने न्यायमूर्ति श्री वांचू की ये सिफारिशें स्वीकार की हैं कि इन मकानों के चले जाने से जो घाटा होगा उस की क्षत्तिपूर्ति के लिय आंध्र के दायित्व से २३०.४ लाख रुपये मद्रास के नाम पर स्थानान्तरित होने चाहियें। मुझे पता चल रहा है कि तामिलनाद में रहने वाले हमारे मित्रों और आंध्र वासी मित्रों के बीच इस विषय पर मतवैभिन्य है, क्योंकि तामिलनाद वालों का यह तकाजा है कि इस प्रकार का समायोजन अन्यायपूर्ण होगा, और आंध्र वाले इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यह राशि अपर्याप्त है। तो इन दो भिन्न मतों के बीच हम यही सब से बढ़िया हल समझते हैं कि न्यायमूर्ति श्री वांचू की सुविचारित सिफारिशों को स्वीकार किया जाय। हमें इस बात का भी आश्वासन प्राप्त है कि स्वयं यह सिफारिश बहुत ही न्यायपूर्ण थी। उस में इस उपबन्ध को स्पष्ट रूप से उचित ठहराया गया था कि जिस नये राज्य को भविष्य में एक नई राजधानी बनानी पड़े उसे इस काम के लिये कोई सहायता दी जानी चाहिये। यद्यपि इस बात पर काफी विवाद हो सकता है कि कितनी तथा किस रूप में सहायता दी जानी चाहिये।

समूचे रूप से मेरा विश्वास है कि सभी बातों को विचार में रखते हुए सदन सहमत होगा कि प्रस्तावित आन्ध्र राज्य को ऋण के बारे में जो छूट दी गई है, वह उस राज्य तथा शेष के मद्रास राज्य के लिये न्यायपूर्ण है। प्रत्येक अवस्था में हमें स्मरण रहना चाहिये कि जहां तक ऋण का सम्बन्ध है, वास्तविक तथा विचारणीय बात यह है कि इस कार्यवाही के फलस्वरूप ऋण सम्बन्धी व्यय कितना आता है। इस की तुलना में यदि आर्थिक विकास के लिये केन्द्र से राज्य को कोई सहायता मिल सके तो यह पूंजी के रूप में ही हो सकती है जो म समझता हूं कि कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात है। मैं ने मोटे रूप से यह स्पष्ट कर दिया है कि किस आधार पर इस विधेयक में आस्तियों तथा दायित्वों को दोनों राज्यों में बांटने की चेष्टा की गई है। मुझे यह सुझाव पूर्णतः अव्यवहारिक जान पड़ता है कि पहले तो विद्यमान राज्य को पूर्णतः विघटित कर दिया जाय तथा बाद में किसी संयुक्त परिवार के विभाजन अथवा सहभागिता के विघटन के समान आस्तियों तथा दायित्वों का बटवारा कर दिया जाय। मान लीजिये कि आस्तियों तथा दायित्वों को मूल्य के आधार पर लिया जाता है फिर भी ऐसा अकेला तरीका कोई नहीं है जिस से इन्हें दोनों राज्यों में ठीक ठीक अनुपात से बांटा जा सकता है। राज्य के विभाजन के सम्बन्ध में निरन्तर

[श्री सी० डी० देशमुख]

व्यवहारिक दृष्टिकोण से कार्यवाही करनी होगी तथा इस सम्बन्ध में सिद्धान्तिक, वाणिज्यिक या विचारमात्र के आधार का अपनाना सम्भव नहीं है ।

मैंने अपने भाषण को इस प्रकार के दृष्टिकोण की त्रुटियों पर तथा इस बात की आवश्यकता पर जोर देते हुए आरम्भ किया था कि ऐसा समझौता हो जिस से बाद में कोई कटुपन न रह जाये तथा साथ ही जो न्याय-पूर्ण भी हो । भारत सरकार का निश्चित रूप से यह विश्वास है कि बांट की जिस योजना का विधेयक में उल्लेख किया गया है, वह तीनों सम्बन्धित राज्यों के लिये न्यायपूर्ण हैं । इस कारण सरकार समझती है कि इस प्रश्न की जांच करने के लिये किसी आयोग के नियुक्त करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । इस से अधिक न्यायपूर्ण हल होने के स्थान पर और विवाद उठ खड़ा होगा । व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं समझ पाता कि इस प्रकार के आयोग को क्या निर्देश पद दिये जा सकते हैं । अपने विकास के इस क्रम पर अग्रेसर होन के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है परन्तु हमें पीछे की ओर जाने के बारे में नहीं सोचना चाहिये । उस क्षत्र के विकास का दायित्व भारत सरकार पर भी उतना ही है जितना कि शष के सारे देश पर । मैं चाहता हूं कि सदन बटवारे से पैदा हुए सवालों पर विचार करते समय इन बातों को सामने रखे । मैं केन्द्र में एसी किसी सरकार के होने का विचार भी नहीं कर सकता जो विद्यमान मद्रास राज्य के विभाजन के फलस्वरूप बने तीन राज्यों में आने वाले क्षेत्रों के भावी विकास की ओर अपनी नीति के बनाने की ओर ध्यान न दे । मुझे कोई सन्देह नहीं कि जिस राज्य को भी ऐसी सहायता की आवश्यकता होगी केन्द्रीय सरकार उस के बारे में सहानुभूति से विचार करेगी । मैं समझता हूं कि वर्तमान आवश्यकताओं का पिछली वास्तविक या काल्पनिक शिकायतों से सम्बन्ध जोड़ने से कुछ भी लाभ नहीं होगा ।

एक बात और मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन यह विचार न ले जाय कि राज्यों पर सभी बातें केन्द्र द्वारा थोपी गई हैं । हम ने बटवारे की एक योजना बनाई है जो हमारे विचार से सभी राज्यों से न्याय करती है, परन्तु जहां तक रज्यों का अपना सम्बन्ध है, वे आपस में किसी भी मामले के सम्बन्ध में समझौता कर सकते हैं । सदन इस बात पर भी ध्यान दे कि विधेयक में एक उपबन्ध ऐसा भी रखा गया है जिस में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि यदि इस विधेयक में उल्लिखित किसी सिद्धान्त के लागू करने से न्यायपूर्ण बटवारा न हो तो उसे ठीक किया जा सके । मुझे सदन को इस आश्वासन के देने की विशेष आवश्यकता नहीं है कि यदि विधेयक में प्रस्तावित योजना के लागू करने से हुई किसी कठिनाई को सिद्ध किया जा सके तो उस अधिकार को सम्बन्धित राज्य के परामर्श से प्रयोग में लाया जायगा ।

अन्त में मैं तीनों सम्बन्धित राज्यों का ध्यान उन शब्दों की ओर दिलाना चाहता हूं जो 'थिरूवल्लूवर' ने 'थिरूवकरुल' में कहे हैं तथा जिन का अर्थ यह है कि "किसी ऐसे व्यक्ति को जिस से तुम्हारा मतभेद हो चुका है, घृणा से परे मत हटाओ । रुष्ट व्यक्ति तुम्हारे पास बिना किसी कारण के चले आयेंगे ।"

श्री जे० बी० कृपलानी (भागलपुर व पूर्निया) : इस सदन में मैं प्रथम बार भाषण देने के लिय खड़ा हुआ हूं । अतएव मैं कुछ शब्द व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूं ।

आज मैं स्वयं को विरोधी बैंचों पर बैठने की कुछ विचित्र स्थिति में देखता हूं । मेरे सामने कांग्रेस के वे पुराने मित्र हैं जिन के

लिये मेरे मन में अभी तक गुप्त स्नेह की भावनायें हैं। तथा जिन के साथ मैं ने ४० वष तक स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया है। इस ओर मेरे नये मित्र हैं जिन से मित्रता के बढ़ाने का मेरा सदैव ही प्रयास रहेगा।

इधर बैठे हुए मुझे उस महान पुरुष की याद आती है जो हाल में बड़ी दुःखद परिस्थिति में हमारे बीच से उठ गया है। वह इस देश का परम भक्त था तथा इस की एकता तथा प्राचीन संस्कृति का प्रबल समथक। बहुत से लोग मुझ से उन के स्थान की पूर्ति की आशा लगाये बैठे हैं; मुझे खेद है कि अपनी कमज़ोरियों को जानते हुए मैं उन की आशाओं को पूरा नहीं कर सकूंगा।

विधेयक पर कुछ कहने से पहले मैं भाषावार प्रान्तों के बारे में कुछ आम बातें कहना चाहता हूं। निस्सन्देह अंग्रेज़ों ने ये प्रान्त ऐसे ढंग से बनाये थे जिसे वैज्ञानिक ढंग नहीं समझा जा सकता। परन्तु मेरा विचार है कि हमारे इतिहास में वह दिन भी एक बुरा दिन था जब कांग्रेस ने निश्चित हालतों या शर्तों का वर्णन किये बिना भाषावार प्रान्तों के सिद्धान्त का समर्थन किया था। इस समस्या से भारत की एकता को ठेस लगन का डर है। मेरे अपने गुट से 'कदापि नहीं' की कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, परन्तु ऐसे महत्व के मामलों में मैंने कभी दल विशेष का दृष्टिकोण नहीं अपनाया तथा सदैव वे बातें कहीं हैं जिन्हें मैं ने राष्ट्रीय हित में सर्वोत्तम समझा है। मैं पक्षपात की बातें नहीं कर सकता। अतएव मेरा कहना है कि भाषावार प्रान्तों की स्थापना से हम भारत की एकता को भूलते जा रहे हैं। आज विशेष भाषा भाषी प्रत्येक क्षेत्र में वहां पर भाषावार प्रान्त के न बनने से निराशा फैल रही है। कारण यह है कि उन क्षेत्रों का अधिक उन्नत प्रान्तों द्वारा शोषण हो रहा है। इस का परिणाम यह है कि प्रत्येक प्रान्त में ऐसी धारणा फल रही है कि उसकी अपनी पृथक संस्कृति तथा सभ्यता है। इस से हमारा देश उसी प्रकार से टुकड़ों में बंट जायेगा जिस प्रकार से वह ब्रिटिश साम्राज्य के आगमन के पूर्वकाल में था।

अब जब हम भाषावार प्रान्तों की समस्या को सहेड़ चुके हैं तो हमें किसी न किसी प्रकार इस का हल ढूंढना होगा। एसा करते समय हमें ध्यान रहना चाहिये कि इस प्राचीन देश की एकता छिन्न भिन्न न हो जाय। खेद की बात है कि हम ~~इन भाषावार~~ प्रान्तों के आधार पर पृथक् सरकारों की स्थापना की धुन में शेष की सभी महत्वपूर्ण समस्याओं की नितान्त उपेक्षा कर रहे हैं, यहां तक कि दुर्भिक्ष के होने पर भी हम कोई कार्यवाही नहीं करते। हम इस प्रकार की राजनतिक परिस्थिति की दुर्दशा को सहन नहीं कर सकते। अतएव मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्रतापूर्ण तथा साहसपूर्ण कार्यवाही करे। आज हमारे लिये इस बात को स्वीकार करने के सिवाय चारा नहीं कि भारत को स्थायी रूप से भाषावार प्रान्तों में बांट दिया जाना चाहिये। हम अपनी जनता को निराशा में पड़े रहने देने का खतरा मोल नहीं ले सकते।

सरकार को इस विधेयक के प्रस्तुत करने में पांच वर्ष लग गये हैं, फिर भी सारे आन्ध्र क्षेत्र को प्रस्तावित आन्ध्र राज्य में शामिल नहीं किया गया है। यदि वे इन सारे क्षत्रों को मिला देते तो नया राज्य एक घाटे वाला राज्य नहीं रहता तथा न हीं उन्हें करनूल जैसे छोटे से ग्राम में राजधानी के बनाने पर इतनी अधिक राशि के व्यय करने की आवश्यकता रहती। ये सारी समस्यायें इसलिये उत्पन्न होती हैं कि हमारी सरकार किसी भी महत्वपूर्ण मामले में साहस से कार्यवाही नहीं कर सकती।

आम विचार फैला हुआ है कि यदि एक व्यक्ति विशेष भूक हड़ताल नहीं करता तो आन्ध्र राज्य का बनना एक स्वप्न ही रह जाता।

[श्री जे० बी० कृपलानी]

कुछ लोगों का कहना है कि सरकार उन हिंसात्मक कामों के सामने झुक गई है जो उक्त भूक हड़ताल के बाद हुए। किसी भी सरकार के लिये यह लज्जा की बातें हैं कि वह हिंसा से दब कर या अकेले व्यक्ति की भूख हड़ताल से डर कर ऐसे महत्वपूर्ण फसले करे। इस से तो भविष्य के लिये हिंसा को बढ़ावा मिलता है।

इस विधेयक का मैं पूरे दिल से समर्थन करता हूं। बैलारी के मामले को एक माननीय सदस्य ने उठाया है। मेरे दल का यह कहना है कि जब एक बार कोई तटस्थ अधिकरण अपना निर्णय दे दे तो मामले को समाप्त कर दिया जाना चाहिये। परन्तु सरकार स्वयं ही अपनी समितियों के फैसलों को रद्द कर देती है। उदाहरणार्थ श्री वांचू न आन्ध्र राज्य की अस्थायी राजधानी को मद्रास में रहने देने की सिफारिश की थी जिसे सरकार ने रद्द कर दिया है। इस से लोग तटस्थ समितियों के फैसलों पर आपत्ति करने लग जाते हैं। अस्तु, मैं चाहता हूं कि बैल्लारी के मामले को परस्पर शान्ति से सुलझा लिया जाय।

मेरी यह इच्छा थी कि माननीय वित्त मंत्री तुंगभद्रा परियोजना के सम्बन्ध में कुछ कहते। मैं अनुभव करता हूं कि इस का फैसला करने के लिये जो दो वर्ष का समय रखा गया है वह बहुत अधिक है। इस परियोजना को पूरा करने के लिये सांझे अभिकरण की स्थापना के निमित्त शीघ्र पग उठाये जाने चाहियें। राष्ट्रपति से प्रार्थना की जाये कि वह एक विशेषज्ञ समिति की सहायता से आवश्यक प्रबन्ध करे जिस से किसी पक्ष को दूसरे पक्ष की आलोचना का कारण न मिल सके।

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, मैं कहना चाहता हूं कि अन्तरिम काल में राष्ट्रपति को तुंगभद्रा परियोजना के बारे में निश्चित रूप से वर्णन किये गये मामलों पर आवश्यक निदेश जारी करने के अधिकार होंगे। अतएव मैं समझता हूं कि जिस आलोचना की आशंका माननीय मंत्री ने प्रकट की है, वह निराधार सिद्ध होगी। वास्तव में योजना आयोग दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों से कई बार भेंट कर चुका है मैं ने जो खण्ड पढ़ कर सुनाया है, वह ६६ (४) है।

श्री जे० बी० कृपलानी : मैं वित्त मंत्री के स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट हूं :

आस्तियों तथा दायित्वों की बांट सदैव ही एक कठिन समस्या हुआ करती है। वित्त मन्त्री के स्पष्टीकरण से मुझे अधिक प्रकाश नहीं मिल सका। बहुत अच्छा होता, यदि आन्ध्र की अस्थायी राजधानी को मद्रास में ही रहने दिया जाता। अस्तु मैं अनुभव करता हूं कि इस बारे में आन्ध्र राज्य को जो २ करोड़ ३० लाख रुपये की राशि दी गई है, वह बहुत थोड़ी है। आस्तियों तथा दायित्वों के निर्धारण के लिये एक तटस्थ समिति को नियुक्त किया जाना चाहिये जिस के फैसले सभी पक्षों को मान्य हों तथा जहां तक आन्ध्र राज्य की अस्थायी राजधानी का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि आन्ध्र निवासियों को ऐसा स्थान चुनना चाहिये था जिस में सभी कार्यालयों के लिये पर्याप्त जगह मिल जाती।

अन्त में मैं नये आन्ध्र राज्य के लिय अपनी शुभ कामनाओं को व्यक्त करना चाहता हूं, तथा आशा करता हूं कि चाहे उनकी वर्तमान कठिनाइयां कुछ भी क्यों न हों, अपने वाणिज्य तथा उद्योग से वे शीघ्र ही उन्नत प्रान्तों के साथ आ मिलेंगे। मेरा विनम्र परामर्श यह है कि 'वे अपनी चादर के अनुसार पैर पसारें'। मैं यह परामर्श इस लिये दे रहा हूं कि भारत सरकार नये राज्यों की स्थापना में बड़े संकोच तथा आशंका से काम ले रही है जिस के कारण यह हैं कि प्रशासन अधिकारियों की संख्या

बहुत अधिक है तथा उन्हें बड़े मोटे वेत नदिये जाते हैं। अकेले राज्यपाल का व्यय ४ लाख रुपये से ऊपर आता है तथा उस का काम कुछ भी नहीं .....

डा० काटजू : मैं अन्तिम वाक्य में कही दोनों बातों का खण्डन करता हूं .....

श्री जे० बी० कृपालानी : कारण यह कि आप स्वय उस पद पर काम कर चुके हैं ....

उपाध्यक्ष महोदय : हमें राज्यों के प्रमुखों के विषय में चर्चा नहीं करनी चाहिये ।

श्री जे० बी० कृपलानी : मैं खर्चे के बारे में कह रहा था। यह कहां तक उचित है कि सात करोड़ रुपये के राजस्व वाला राज्य राजपाल की शान पर उतना ही खर्च करे जितना कि उत्तर प्रदेश जिसकी कि आय ७० करोड़ रुपये है। इसके इलावा इन छोटे छोटे राज्यों में उच्चन्यायालय हैं और वहां के न्यायाधीशों को बड़े राज्यों के न्यायाधीशों जितना ही वेतन मिलता है। यह एक बहुत गलत चीज है : हर राज्य को अपनी आय के अनुसार ही खर्च करना चाहिए।

फिर, हर राज्य में एक उपरि सदन है : मैं नहीं समझ पाता कि आजकल के समय में उपरिसदन की क्या आवश्यकता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है ? केन्द्र में भले ही उपरि सदन हो परन्तु राज्यों में इसकी कोई आवश्यकता नहीं। कहा जाता है कि उपरि सदन कानूनों को जल्द बाज़ी में न बनने देने के लिये आवश्यक है। आजकल के ज़माने में हमें क़ानून बनाने में देर करने के बजाय शीघ्रता करनी चाहिय। जल्दबाज़ी को रोकने के लिये विधेयक समितियों को सौंपे जा सकते हैं। इसलिये मैं अपने आंध्र मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि वे अन्य राज्यों से होड़ लगा कर अपने यहां उपरि सदन न बनाये।

श्री शेषगिरि राव (नंदयाल) : आज लगभग ४० वर्ष के आन्दोलन के बाद इस संसद के समक्ष यह विधेयक आया है। हम एक नया राज्य बनाने जा रहे हैं; अतः मैं सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे सहानुभूति और विशालहृदयता से काम लें। यह स्वाभाविक है कि आंध्र लोगों में इस विधेयक से कुछ निराशा होगी क्योंकि जो आंध्र देश बनाया जा रहा है वह न तो विशाल आंध्र ही है और न ही विजियानगरम् साम्राज्य के समय का आंध्र, जिस में मद्रास, बेलारी तथा अन्य तेलगू-भाषी ज़िले सम्मिलित थे।

मैं परिसम्पत् तथा दायित्वों के बारे में जो तर्क दिए गए हैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। मैं तो सदन को यह बताना चाहता हूं कि विधेयक के खंड ४७, ५१, ६४ तथा ६६ पूरी तरह सोच विचार कर नहीं बनाये गये हैं और वे अपूर्ण भी हैं। संविधान के अनुच्छेद ३ व ४ का नया राज्य स्थापित करने के लिये पहली बार प्रयोग किया जा रहा है। आवश्यक उपबन्ध वे हैं जो अनुच्छेद ३ व ४ के अन्तर्गत आते हैं। सीमाओं में घटा-बढ़ी करने का उपबन्ध अनुच्छेद ३ में है और अनुच्छेद ४ में सरकार के तीनों अंगों यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधानमंडल के बनाने का उपबन्ध है। परन्तु इन दोनों अनुच्छेदों में यह कहीं उल्लेख नहीं है कि संसद् परिसम्पत् और दायित्वों के बारे में कानून बना सकती है और उनका निर्धारण कर सकती है। यदि कहीं कोई उल्लेख है तो वह अनुच्छेद १३१ में है जिस में कहा गया है केवल उच्चतम न्यायालय ही दो राज्यों के बीच के झगड़े तय कर सकता है। विधान मंडलों को यह अधिकार नहीं है। वे तो केवल मध्यस्थ-निर्णय के लिये या मामले को उच्चतम न्यायालय को सौंपने के लिये आपस में समझौता कर सकते हैं। संसद् को इस बारे में कोई अधिकार नहीं है,

[श्री शेषगिरि राव]

वह उच्चतम न्यायालय के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यह बात दूसरी है कि इस वक्त काम चलाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने इस तरह की व्यवस्था करना ठीक समझा हो, परन्तु संसद् ऐसा नहीं कर सकती ।

एक बात और है । खंड ४७ (२) में कहा गया है कि इस तरह के अभिभाजन से उत्पन्न हुआ कोई झगड़ा राष्ट्रपति को निर्दिष्ट किया जायेगा जिनका निर्णय अन्तिम माना जायेगा। मैं पूछता हूं कि जब सारा अधिकार उच्चतम न्यायालय को हो तो फिर राष्ट्रपति किसी झगड़े को कैसे निपटा सकते हैं। हमारे संविधान में उच्चतम न्यायालय को जो अधिकार दिये गये हैं उन्हें न तो राष्ट्रपति ले सकता है और न ही संसद। अगर हम ऐसा करना चाहते ही हैं तो इस के लिये संविधान में संशोधन करना होगा ।

मैं खंड ४७ व ५१ का ज़िक्र कर चुका हूं। अब, खंड ६४ तथा ६६ में भी राष्ट्रपति को कुछ अधिकार दिये गये हैं। इन के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है और न ही, मैं समझता हूं, संसद् को कोई आपत्ति होगी । तुंगभद्रा की परिसम्पत् व दायित्वों के आवंटन तथा उस के प्रबन्ध के मामले को झगड़ा समझा जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद २६२ में संसद् को पूरे अधिकार दिये गये हैं । अतः हम खंड ६६ का उपबन्ध तो कर सकते हैं परन्तु खंड ४७ तथा ५१ संसद् के अधिकार के बाहर हैं । मैं इस विधेयक के पारित होने में विलम्ब नहीं चाहता । मैं इस के लिए एक संशोधन रख रहा हूं जिस से सब ठीक हो सकेगा ।

अब मैं आप को यह बताऊंगा कि ये खंड किस प्रकार अपूर्ण हैं । परन्तु इस से पहले मैं अस्थायी राजधानी के प्रश्न पर एक-दो बात कहना चाहता हूं ।

पोटी श्रीरामुलू ने अपने बलिदान से यह सिद्ध कर दिया है कि आंध्र के लोग अपने उद्देश्य को अपने प्राणों से भी अधिक मूल्य देते हैं। हम चाहते हैं कि जो वातावरण उस महान् आत्मा ने वहां बनाया है उसे राजधानी के बारे में अस्थायी या ढिल-मिल फ़ैसले कर के दूषित न किया जाये । एक बार जब आंध्र विधान मंडल ने कुरनूल को राजधानी बनाने का निश्चय किया है तो उस में बार बार परिवर्तन नहीं किये जा सकते। आंध्र के सदस्यों ने पूरे पांच दिनों तक इस विषय पर बहस की है और इस के बाद ही वे इस फ़ैसले पर पहुंचे हैं कि कुरनूल ही आंध्र की राजधानी हो। रायलसीमा के लोग वहां अस्थायी राजधानी ही नहीं चाहते हैं; वे तो स्थायी राजधानी या उच्च न्यायालय भी रायलसीमा में बनाने के लिये कह रहे हैं परन्तु रायलसीमा में अस्थायी राजधानी बनाने पर भी लोग आपत्ति कर रहे हैं और उस के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि यह चीज़ अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिये कुछ लोगों के उकसाये जाने पर की जा रही है। जो कुछ भी हो, मैं सदन से साफ़ तौर से कह सकता हूं कि जो लोग यहां कुरनूल के खिलाफ़ बोले हैं उन्होंने कुरनूल को देखा तक नहीं है । कुरनूल कुछ समय तक बीजापुर के सुल्तानों की राजधानी रहा है और वहां हर प्रकार की सुविधायें मौजूद हैं । ज़मीन बहुत पड़ी है और लाल मिट्टी है जो इमारतें बनाने के लिये बहुत अच्छी है । लकड़ी भी बहुतायत से पाई जाती है । अतः कुरनूल को राजधानी बनाने का फ़ैसला ठीक ही है ।

हमारे गृह मंत्री ने कहा कि रायलसीमा निर्धन है । उन्होंने यह भी कहा कि आम तौर पर जस्टिस वांचू की रिपोर्ट को मान लिया गया है। परन्तु कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर हमारे गृह मंत्री ने जान-बूझ कर विचार

नहीं किया है। मैं १९३२ के श्रीबाग़ समझौते को निर्दिष्ट कर रहा हूं। यदि उस समझौते को यथासंभव सीमा तक क्रियान्वित नहीं किया गया तो रायलसीमा में क्षोभ होगा। गृह मंत्री को यह खंड जोड़ने में क्या आपत्ति है कि राष्ट्रपति समय समय पर यह निर्देश कर सकता है कि कुछ धन-राशियों का रायलसीमा के आर्थिक विकास के लिये प्रयोग किया जाये ?

रायलसीमा का आन्दोलन आंध्र राज्य के आन्दोलन जितना ही पुराना है। धर समिति, जे० वी० पी० रिपोर्ट और जस्टिस वांचू सबों ने इस पर ज़ोर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि गृहमंत्री महोदय को क्या कठिनाई है ? मैं आशा करता हूं कि वह इस पर पुनः विचार करेंगे और रायलसीमा के लिये कुछ व्यवस्था करेंगे। इस अवसर पर मैं अपने आंध्र मित्रों से अपील करूंगा कि वे आपसी मतभेद और पृथकत्व की भावनाओं को त्याग दें। यह भावना तटीय आंध्रों में और रायलसीमा के लोगों में पाई जाती है। यदि उसे दूर करना है तो कुरनूल ही राजधानी होनी चाहिये।

डा० गंगाधर शिव (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं इस सदन में रायलसीमा ज़िलों का प्रतिनिधित्व करता हूं। सब से पहले मैं प्रधान मंत्री और गृह मंत्री को इस ऐतिहासिक विधेयक को लाने पर बधाई देता हूं। हम रायलसीमा वालों ने आंध्र देश के हित को तथा देश की भलाई को ध्यान में रख कर ही इस नये राज्य की स्थापना का समर्थन किया है। दुर्भाग्य से, ये ज़िले सदा से अविकसित रहे हैं और इस की ज़िम्मेदारी केवल प्रकृति पर ही नहीं, शासन-प्रबन्धकों पर भी है। अभी पिछले वर्ष ही वहां भयंकर अकाल पड़ा था और यदि हमारे प्रधान मंत्री वहां न गये होते और उन्होंने इस संकट के प्रति पूर्ण जागरूकता नहीं दिखाई होती तो वहां सब कुछ खत्म हो चुका था। रायलसीमा के निवासी प्रधान मंत्री के इस कार्य के लिये आभारी हैं।

परन्तु इस प्रसंग में हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि रायलसीमा ज़िले बहुमूल्य खनिज पदार्थों जैसे पाइराइट, बाक्साइट, तांबा आदि से भरपूर हैं, सिर्फ़ उन को निकालने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। रायलसीमा में घन जंगल हैं और जंगलों से प्राप्त होने वाली सारी वस्तुएं वहां मिल सकती हैं। ग्रेनाइट पत्थर और स्लेट भी वहां पाया जाता है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा पूरी तरह से ध्यान न दिये जाने के कारण यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। तुंगभद्रा बांध से भी हमें उस समय तक लाभ नहीं होगा जब तक कि ऊंचे स्तर वाली नहर न बनाई जायेगी। इस समय जिस प्रकार काम हो रहा है उस के अनुसार हमें इस परियोजना से लाभ होने की कोई आशा दिखाई नहीं देती।

मेरा इस सदन से अनुरोध है कि वह रायलसीमा क्षेत्र को विकसित करने के लिये पूरी पूरी सहायता दे। रायलसीमा वालों का यह कटु अनुभव रहा है कि मद्रास में जितनी सरकारें आईं उन सबों ने इन ज़िलों की ज़रूरतों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया; यही नहीं इस क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का उन्हें पता तक नहीं था। पिछले ५० वर्षों में यहां के लिये नाम मात्र को भी कोई विकास योजना नहीं बनाई गई। फिर आप इन लोगों से सरकार में विश्वास रखने की कैसे आशा कर सकते हैं ? हमारे जो भय और शंकायें हैं उन का आधार हमारा विगत अनुभव है। इन्हें दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि आंध्र राज्य विधेयक में सिंचाई के विस्तार तथा विद्युत के विकास

[डा० गंगाधर शिव]

के लिए एक निश्चित राशि अलग रखने का उपबन्ध किया जाना चाहिये । जस्टिस वांचू ने भी ऐसी ही राय प्रगट की है । मैं ने इस उपबन्ध को शामिल करने के लिये एक संशोधन रखा है और मैं गृह मंत्री तथा माननीय सदस्यों से इसे स्वीकार करने के लिये अपील करता हूं ।

अब, भारत सरकार ने निश्चय किया है कि अस्थायी राजधानी अभी पहली अक्तूबर १९५३ को कुरनूल में ही स्थापित हो और बाद में यदि आंध्र विधान मंडल चाहे तो इसे बदला जा सकता है । मैं पूछता हूं कि यह अन्तर्कालीन व्यवस्था क्यों की जा रही है ? मुझे विश्वास है कि यदि मामला केन्द्रीय सरकार पर ही छोड़ा होता तो शायद वह उस समय तक कुरनूल को नहीं छोड़ती जब तक विशाल आंध्र के बनने पर उस के लिये स्थायी राजधानी निश्चित नहीं हो जाती । मेरा विचार है कि कुरनूल में सारी सुविधायें उपलब्ध हैं; पानी की वहां कोई कमी नहीं, जलवायु भी अच्छी है और मकान बनान के लिये सस्ती सामग्री और सस्ते मज़दूर मिल सकते हैं । मैं समझता हूं कि कुरनूल, यदि स्थायी राजधानी के लिये नहीं तो अस्थायी राजधानी के लिये सब से अधिक उपयुक्त स्थान है ।

यह आश्चर्य तथा खेद का विषय है कि सीमा, आस्तियां व दायित्वों सेवा-व्यक्तियों जैसे महत्वपूर्ण विषयों को छोड़ कर अस्थायी राजधानी जैसे अपेक्षतः थोड़े महत्वपूर्ण विषय पर समय लगाया जाता है । यह विषय व्यक्तियों की भावनाओं को कलुषित कर रहा है ।

अनेकों वर्षों पश्चात्, श्रीमान, रायलसीमा ज़िलों को अस्थायी राजधानी की रियायत दी गई है । इस से वहां के व्यक्तियों में नवीन भावनाओं का उदय हुआ है । अतः मैं, यथा-सम्भव दृढ़ शब्दों में, सब से निवेदन करता हूं कि वे कुरनूल को आंध्र की राजधानी बनाने के विचार में परिवर्तन न करें । यदि मैं यह दृढ़ शब्दों में नहीं कहता कि अब ऐसा करने के बड़े ही भयंकर परिणाम होंगे, तो मैं अपने कर्त्तव्य से गिर जाऊंगा । इस विचार से ही कि इस क्रिया की प्रतिक्रिया का रूप क्या होगा, मुझे कपकपी आ जाती है ।

मेरा एक और सुझाव यह है कि केन्द्रीय सरकार तथा अन्य स्थानों पर बहुत से आंध्र वासी कर्मचारी हैं, उन में से उन को, माननीय गृहकार्य मंत्री, अपने नये राज्य की सेवा करने की अनुमति दे दें जो ऐसा करना चाहते हैं ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी (चित्तूर) : माननीय वित्त मंत्री ने आस्तियों व दायित्वों के विभाजन संबंधी अनेकों सिद्धान्तों का इस विधेयक में स्पष्टीकरण किया है । इन का स्पष्टीकरण उस समय भी किया गया था जब यह विधेयक मद्रास तथा मैसूर विधान मण्डल के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था । अब भी विभाजन की अनेकों मदों संबंधी वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और इस से आंध्रवासियों में सन्देह उत्पन्न हो गया है ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में अवमूल्यन-संचित-निधि के संबंध में कुछ नहीं कहा है । मुझे विश्वास है कि इस निधि का आधार संयुक्त राज्य का राजस्व है । अतः इस निधि में, वास्तव में, राजकोष द्वारा व्यक्तियों ने धन दिया है । अतः जनसंख्या के आधार पर विभाजन का सिद्धान्त, यदि इस संबंध में निष्पक्षता रखती है, अवमूल्यन-संचित-निधि पर भी लागू होना चाहिए ।

माननीय गृहकार्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सीमा के समायोजन के लिये शीघ्र ही एक सीमा आयोग नियुक्त किया जायेगा, और यह भी स्पष्टीकरण किया है कि यह आयोग इस समय संयुक्त मद्रास राज्य से पृथक किये गये बारह जिलों के सम्बन्ध में ही विचार करेगा । यह, वास्तव में, कुठाराघात होगा, मुख्यकर आंध्र-क्षेत्र पर, क्योंकि विधेयकानुसार, अन्य भाषावार क्षेत्र आंध्र क्षेत्र पर अधियाचनायें कर सकते हैं । फिर भी आसन्न आंध्र राज्य किसी भी प्रकार वर्तमान आंध्र राज्य में नहीं मिलाया जा सकता है । मुझे विश्वास है कि सीमा आयोग बनाने का अधिशासी निश्चय करते समय इस त्रुटि को ठीक कर दिया जायेगा ।

मैं रायलसीमा के सदस्यों से सहमत हूं कि राज्य-नीति के कुछ निदेशक तत्वों अथवा श्री जस्टिस वांचू के प्रतिवेदन में सम्मिलित कुछ निदेशक तत्वों को, रायलसीमा की आर्थिक लाभ-दृष्टि की सुरक्षा के लिए, विधेयक में सम्मिलित कर दिया जाये ।

कुछ माननीय सदस्यों ने मत प्रकट किया है कि राज्यों में द्वितीय सदनों की आवश्यकता नहीं है । साधारणतः मैं इस मत से सहमत हूं तथापि यह कहूंगा कि इन सदनों में भी कुछ सदस्य विशेष निर्वाचक-वर्गों तथा वयस्क मतदान की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील तथा विकसित दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं । ऐसे सदस्यों को कदाचित भावी आन्ध्र विधान-मण्डल में लिया जा सकता है, मुख्यकर इस दृष्टि से कि आंध्र विधान मंडल के सदस्यों की संख्या भविष्य में बढ़ कर १९६ हो जायेगी ।

तुंगभद्रा योजना के संबंध में जो उपबन्ध किये गये हैं वे उचित तथा पूर्णतः न्यायसंगत हैं । इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने कदाचित आंध्र-वासियों का पक्ष लिया है । भारत सरकार ने तुंगभद्रा योजना में रायलसीमा के हितों की रक्षा कर के इस न्यूनता की पूर्ति कर दी है । विधेयक के पृष्ठ २३ पर, जहां जल-विद्युत शक्ति के वितरण के लिए होने वाली व्यवस्थाओं की व्याख्या की गई है, चित्तूर ज़िले को सम्मिलित नहीं किया गया है । इसे तुंगभद्रा योजना के अन्तर्गत सिंचाई लाभ नहीं मिलता । मैं निवेदन करता हूं कि कम से कम जल-विद्युत शक्ति तो इसे उपलब्ध कर दी जाये ।

डा० काटजू : विधेयक का कौन सा भाग ?

श्री विश्वानाथ रेड्डी : मैं पृष्ठ २३, पंक्ति ३५ : उप-खण्ड (५) का निर्देश कर रहा हूं ।

रायलसीमा के कुछ कालिजों को आंध्र-विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रखने के बारे में कुछ भ्रम हो गया है कि इन्हें आंध्र-विश्व-विद्यालय से सम्बद्ध रखने के विषय पर इस विधेयक में ही पर्याप्त व्यवस्था कर ली जाये या नहीं । राज्य के पृथक होने पर यदि ये कालिज मद्रास विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रहते हैं तो कदाचित इन्हें भावी आंध्र राज्य से उतना संरक्षण न मिले जितना कि आंध्र से सम्बद्ध होने पर मिलता । यदि आवश्यक हो तो इस विधेयक में इन कालिजों को आंध्र विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने की व्यवस्था की जा सकती है ।

श्री लक्ष्मय्या (अनन्तपुर) : मैं रायल-सीमा का बासी हूं और रायलसीमा के मेरे कुछ मित्र पहिले ही बोल चुके हैं । रायल-सीमा का नाम बड़ा ही आकर्षण पूर्ण है । यह नाम विजयानगर के प्रसिद्ध राजाओं, मुख्यकर आंध्र के महान सम्राट्, कृष्णदेव राय, से लिया गया है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : क्या मैं यह कह सकता हूं कि सम्राट्, कृष्णदेव

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

राय, तलगू सम्राट् नहीं थे अपितु कन्नड़िगा सम्राट् थे ।

श्री लक्ष्मय्या : कदापि नहीं । इतिहास और तैलगू तथा संस्कृत साहित्य से यह सिद्ध हो गया है कि वह आंध्र वासियों के सम्राट् थे ।

रायलसीमा के ज़िलों में बहने वाली नदियों में तुंगभद्रा सब से बड़ी नदी है । श्रीमान, आप को विदित है कि रायलसीमा दुर्भिक्ष-ग्रस्त क्षेत्र है क्योंकि यहां कृषि पूर्णत: वर्षा पर निर्भर है । गत पांच वर्षों से वहां निरन्तर दुर्भिक्ष पड़ रहा है और इस पर विजय पाने की दृष्टि से रायलसीमा के व्यक्तियों के लिये तुंगभद्रा योजना बनाई गई है । इस का निर्माण १९४५ में आरम्भ हुआ और अब पूर्ण होने वाला है । परन्तु इस के आरम्भ के कुछ कार्य कन्नड़ा भाषी क्षेत्र में हैं और इसी कारण उन्हें मैसूर राज्य को दे दिया गया है । इसी प्रकार एक अन्य कारण से बेलारी नगर को, जो रायलसीमा का सब से बड़ा तथा प्रसिद्ध नगर है, मैसूर राज्य में सम्मिलित करने का निश्चय हो गया है, अन्त में, सब से अधिक दुखदाई यह है कि हमें मद्रास से भी एक दम निकाल दिया गया है। ऐसी परिस्थितियों में राज्य की स्थापना हुई है । हम इस की प्राप्ति पर हर्ष कैसे मना सकते हैं ? परन्तु हमें संतोष है कि कम से कम अब हमारा अपना एक राज्य होगा ।

मुझे खेद है कि विधेयक में कहीं भी सीमा आयोग की स्थापना की व्यवस्था नहीं है । परन्तु माननीय गृह-कार्य मंत्री ने बताया कि सीमा आयोग नियुक्त होगा । हमें विश्वास है कि बेलारी के साथ जो अन्याय हुआ है वह ठीक कर दिया जायेगा । मेरे तामिल मित्र कहते हैं कि उन्हों ने आंध्र प्रदेश में लाखों और करोड़ों रुपये व्यय किये हैं । परन्तु उन्हों ने यह व्यय उस समय में किया था जब वस्तुओं के मूल्य तथा मज़दूरी बहुत चढ़ी हुई थी । कुछ मित्र कहते हैं कि उन्होंने रायलसीमा पर बहुत बड़ा धन व्यय किया है । यह सत्य है कि उन्हों ने व्यय किया है, इस से कोई भी असहमत नहीं है । रायलसीमा में जब भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा था उस समय आप आये और व्यक्तियों को भुखमरी से बचाने के लिये अन्न दिया । आपने उन्हें इसी प्रकार भिक्षादान दिया जैसे कि एक असहाय विधवा को भरणपोषण के लिए देते हैं । आप ने वहां की आर्थिक स्थिति को उत्तमतर बनाने के लिये कोई दीर्घकालीन योजना नहीं बनाई । आप ने अपने क्षेत्र में मेट्टयोर तथा पाईकारा योजनायें बनाईं तथा उद्योगों का विकास किया । यदि ये योजनायें न होतीं तो आप की स्थिति हम से भी बुरी होती । बहुत से लोग आंध्र राज्य निर्माण के पक्ष में नहीं हैं । उन का विचार है कि तटवर्ती ज़िले रायलसीमा का शोषण तथा उस पर शासन करेंगे । किन्तु कांग्रेस वाले आंध्र राज्य बनाना चाहते हैं । उन्हों ने तटवर्ती ज़िलों से सन् १९३७ में एक समझौता कर लिया था जो "श्री बाग समझौता" के नाम से पुकारा जाता है । इस समझौते के अनुसार तटवर्ती ज़िलों ने रायलसीमा के हितों की रक्षा करने के लिए कुछ प्रबन्ध कर दिये हैं । केवल इस को सम्मानित करने के लिये ऐसा समझौता किया गया है कि राजधानी कुरनूल में हो, जो कि रायलसीमा का एक भाग है । माननीय गृह मंत्री से मेरा यह नम्र निवेदन है कि जस्टिस वांचू ने अपने प्रतिवेदन में जो सुझाव दिये हैं उन की रक्षा की जाय तथा रायलसीमा में सिंचाई सम्बन्धी सुविधा दी जाय और आगामी दस वर्षों तक बड़ी बड़ी परियोजनाओं के मामलों में रायल

सीमा को प्रधानता एवं मुख्यता प्रदान की जाय; तथा रायलसीमा में बड़ी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये कुछ धन अलग से रख दिया जाय ।

बेलारी नगर के साथ असमानता तथा अन्याय किया गया है । जस्टिस मिश्र ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि यह तैलगू नगर है । सभी कार्यालयों में तैलगू भाषी लोग हैं । यहां की भाषा भी तैलगू है किन्तु फिर भी यह समझ में नहीं आया कि जस्टिस मिश्र ने इस के विपरीत कैसे अपना प्रतिवेदन दे दिया । यह वास्तव में बड़ी विचित्र बात है । प्रशासन के विचार से भी यह नगर आंध्र राज्य में आना चाहिये था । इस की पुनर्परीक्षा तथा इस पर पुनर्विचार होना चाहिए । वहां की जनता वैधानिक तथा शांतिपूर्वक इस का विरोध कर रही है । जस्टिस वांचू ने कन्नड़ राज्य बनने तक इसे आंध्र राज्य में मिलाने की सिफारिश की है किन्तु जस्टिस मिश्र की सिफारिश के आधार पर इसे मैसूर में मिला दिया गया है । मेरा तो आप से यह निवेदन है कि यदि वहां जनमत लेना असंभव है तो सीमा आयोग को आप ऐसा आदेश दे दें कि वह इस की भली प्रकार जांच करे ।

स्वामी रामानन्द तीर्थ (गुलबर्गा) : वर्तमान विधेयक ने तैलगू भाषी क्षेत्रों का केवल एक छोटा सा भाग ही लिया है । भाषा के आधार पर राज्य बनाते समय हमें कई मूल सिद्धान्तों के बारे में विचार करना होगा । मैं इस बात से सहमत हूं कि किसी राज्य निर्माण के लिए भाषा ही एक मात्र तथा मुख्य कारण नहीं है किन्तु भाषा ही वह मुख्य माध्यम है जिस के द्वारा किसी जनसंख्या विशेष का जीवन बताया जा सकता है । अतएव चाहे यह मूल आधार न हो किन्तु राज्य निर्माण के लिए एक मुख्य आधार अवश्य है । भाषावाद को हतोत्साहित करना है किन्तु भाषा को ऊंचा उठा कर उसे उचित पदासीन करना है । अतएव यह स्पष्ट है कि भाषा के आधार पर यदि आज कोई प्रान्त बनता है तो उस का उद्देश्य भाषा संबंधी सनक नहीं है । आज आंध्र राज्य बन गया है किन्तु इस का यह तात्पर्य नहीं कि आंध्र वाले तैलगू भाषा न बोलने वालों के साथ अच्छा व्यवहार न करें । उन्हें यह ध्यान रखना चाहिये कि हम सभी भारतवर्ष के नागरिक पहिले हैं तथा किसी राज्य के बाद को । अतएव उन के विचारों को परिपक्व बनाना होगा ताकि वे समझें कि आंध्र पर उन का भी समान अधिकार है । भाषा के आधार पर बने प्रान्त में भावना का कोई महत्त्व नहीं है । भावना तो उस प्रान्त की उन्नति में रुकावट डालेगी । निर्णय करने के लिए सच्चा जनमत ही प्रजातंत्रीय रास्ता है । प्रजातंत्र का अर्थ तो निश्चयता ह ।

आज हमारे सामने बेलारी का ही मुख्य प्रश्न नहीं है किन्तु भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण का है । यह बड़ा अच्छा होता यदि भारत सरकार ने आंध्र राज्य को सम्पूर्ण रूप से बना दिया होता । इस प्रकार आज हमारे सामने जो कठिनाइयां हैं वह कम हो जातीं, या एक प्रकार से बिल्कुल ही समाप्त हो गई होतीं । किन्तु अब यह अच्छा है कि भारत सरकार एक उच्च शक्तीय आयोग बनाने जा रही है । भाषावार प्रान्त बनाने के लिये हमें शांतिपूर्ण उपायों का प्रयोग करना चाहिये । मैं विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को परामर्श देता हूं कि कर्नाटक प्रान्त बनाने के लिए वे सत्याग्रह न करें राज्य निर्माण के लिये यह कोई रास्ता नहीं है । प्रधान मंत्री ने कहा है कि इस वर्ष के अंत तक उच्च शक्तीय आयोग की स्थापना हो जाएगी । हमें इस आयोग के सम्मुख वास्तविक बातों को रखना चाहिये तथा दक्षिण भारत की सभी अभिलाषाओं की पूर्ति करानी चाहिये ।

[स्वामी रामनन्द तीर्थ]

भाषा के आधार पर प्रान्त बनाने के जो विरोधी हैं उन्हें मैं इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि उन व्यक्तियों के साथ जो कि वहां की भाषा नहीं जानते हैं उन के साथ कोई भेदभाव का बर्ताव नहीं किया जायगा। यह हमारा सब का राष्ट्रीय एवं नैतिक कर्त्तव्य है। अतएव इन सभी बातों को लेते हुए मैं आंध्र राज्य निर्माण का समर्थन करता हूं।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : मेरा विचार कुछ ऐसा है कि आज जो व्यक्ति भाषा के आधार पर राज्य निर्माण करना चाहते हैं उन का उद्देश्य आत्म ज्ञान, तथा आत्माभिव्यक्ति और आत्मपूर्ति के राह में आने वाली सभी कठिनाइयों को हटाना है। वे इसलिये नहीं लड़ रहे हैं कि उन्हें अपने स्वार्थ की पूर्ति करनी है वे इस कारण नहीं लड़ रहे हैं कि भारतवर्ष का विघटन करना चाहते हैं या भारत की एकछत्रता में उनका विश्वास नहीं है।

१२ बजे मध्यान्ह

आचार्य कृपलानी ने कहा है कि कांग्रेस का निणय अयोग्यतापूर्ण है। किन्तु मेरे विचार से यदि कोई बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय हो सकता है तो यह है। श्री मोतीलाल नेहरू ने भी सन् १९२८ में अपने प्रतिवेदन में कहा था कि प्रान्तों का पुनर्विभाजन होना चाहिये। मेरा विचार है कि आंध्र वालों के साथ उचित न्याय नहीं किया गया है। भला बिना तेलंगाना के भी कभी वास्तविक आंध्र बन सकता है? तैलगू भाषी इस क्षेत्र को छोड़ कर आप कैसे तैलगू भाषी प्रान्त बना सकते हैं। मेरा तो यह कहना है कि कांग्रेस वालों ने इस समस्या को निपटाने का उचित उपाय नहीं किया है, यदि किया होता तो आज इतना असंतोष तथा वादविवाद न हुआ होता।

भाषावार प्रान्त बनाने का ज़ोर है। उन का कहना है कि देश में भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न संस्कृति तथा प्रादेशिक सभ्यता हैं, भाषावार प्रान्त बना कर इन को उन्नतिशील बनाया जा सकता है। इस के लिए उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। मैं इस में विश्वास नहीं करता कि इस प्रकार भारतवर्ष समाप्त हो जायगा। श्री अरविंद भी इस के पक्ष म थे कि भाषा के आधार पर देश की संस्कृति का विकास हो। उन का कहना था कि भारत का निर्माण स्वभाव और स्वधर्म की भित्ति पर हो। मेरा तो यह कहना है कि गृह मंत्री ने भी इस समस्या को केवल खिलवाड़ बनाया है।

मेरे विचार में एक विधेयक ऐसे व्यापक आधार पर बनाया जाना चाहिये जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र तामिलनाड, बंगाल आदि के लोगों की उचित आकांक्षाओं को संतुष्ट कर सके। हम अभी बंगाल और बिहार के बीच झगड़ा पैदा करना नहीं चाहते। पर मैं इतना अवश्य बता देना चाहता हूं कि सन् १९११ के कांग्रेस के अधिवेशन में सर तेज बहादुर सपरू ने यह प्रस्ताव रखा था कि बिहार के बंगाली भाषी क्षेत्र बंगाल को दे दिए जाने चाहिएं। इसका अनुमोदन बिहार के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ ने किया था। १९१२ में बिहार के प्रमुख राजनीतिज्ञों ने इस प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया था इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि पूर्वी बंगाल से लाखों की संख्या में आने वाले शरणार्थियों के कारण परिस्थिति और विकट हो गई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सिद्धान्त का पालन और इसके प्रति ईमानदारी और अधिक होनी चाहिये। इस समस्या को सुलझाने में जितनी ही कम ढिलाई की जायगी उतना ही अच्छा होगा।

नव भारत के निर्माण के लिए भाषा के आधार पर राज्यों की रचना के प्रश्न पर उचित रूप से सोच विचार होना आवश्यक है। और तभी राज्यों का उचित रूप से विकास हो सकेगा। मेरी राय में हैदराबाद राज्य का विघटन कर दिया जाना चाहिये था और हैदराबाद नगर आन्ध्र राज्य को उसकी राजधानी के रूप में दे देना चाहिये था। राज्य की कांग्रेस द्वारा भी इसी आशय का एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है: उससे न केवल कर्नाटक की, महाराष्ट्रीय और आन्ध्र लोगों की आकांक्षाएं पूरी हो जातीं, बल्कि आन्ध्र राज्य की राजधानी की समस्या भी हल हो जाती और आर्थिक दृष्टि से भी वह नया राज्य बहुत कुछ स्वावलम्बी हो जाता। हैदराबाद के नये राज्य की राजधानी बन जाने से संसद के ऊपर से एक बहुत बड़ा भार उठ जाता। मैं अनुभव करता हूं कि आंध्रों के साथ आस्तियों और दायित्वों के बंटवारे के सम्बन्ध में और उन की राजधानी के लिए धन देने तथा बेलारी के मामले में न्याय नहीं हुआ है।

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम्): हमारे सामने मुख्य प्रश्न ये हैं कि इस विधेयक में क्या सिद्धान्त अन्तर्ग्रस्त हैं, आन्ध्र राज्य को एक सम्पन्न तथा शांतिप्रिय राज्य बनाने और इस परिवर्तन को शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या विशेष कार्यवाही करने जा रही है।

विधेयक के विस्तृत उपबंधों पर विचार करने से पूर्व मैं इस वादविवाद के दौरान में पैदा हुई गलतफहमियों के विषय में कहना चाहता हूं। मेरे कुछ माननीय मित्रों ने संयुक्त मद्रास राज्य की अत्यन्त कटु आलोचना की है। डा० लंकासुन्दरम ने अपने भाषण में कहा कि नए आंध्र राज्य को धन की आवश्यकता है। हम सब इस बात से सहमत हैं। पर प्रश्न यह उठता है कि धन दे कौन? केन्द्र ने भाषा के आधार पर राज्यों की रचना के पक्ष में निर्णय किया है। अतः यदि केन्द्र आन्ध्र राज्य को सहायता दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी किन्तु उस की जिम्मेदारी अवशिष्ट मद्रास राज्य पर डालना ठीक नहीं है।

दूसरी बात जो उन्हों ने कही, यह थी कि संयुक्त मद्रास राज्य निरन्तर आन्ध्र प्रदेश को गरीब बनाने की चेष्टा करता रहा और इसलिए अवशिष्ट मद्रास राज्य को आन्ध्र को मुआवज़ा देना चाहिए। अपने कथन के समर्थन में उन्हों ने कुछ आंकड़े भी दिए—विश्वविद्यालय की शिक्षा के सम्बन्ध म। मैं इस सम्बन्ध में और अधिक तो नहीं पर इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि जो आंकड़े उन्हों ने दिए हैं वे सही नहीं हैं। मैं तथ्यों के आधार पर यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पिछले पांच छै वर्षों में संयुक्त मद्रास राज्य ने आन्ध्र विश्वविद्यालय को अन्य विश्वविद्यालयों की अपेक्षा अधिक धन दिया है। मुझ को इस का तनिक भी दुःख नहीं है, पर मैं यह कभी भी मानने को तैयार नहीं हूं कि हम ने आन्ध्र प्रदेशों के साथ अनुचित व्यवहार किया है। हम भरसक उन की सहायता ही करते रहे हैं।

अब मैं विधेयक के उपबन्धों के विषय पर आता हूं। इस विधेयक के प्रभावी भाग खण्ड ३, ४ और ५ हैं। जैसा कि आचार्य कृपलानी अपने ज़ोरदार भाषण में कहा, यह अत्यन्त आवश्यक है कि आंध्र राज्य से संबंधित समस्याओं पर स्पष्ट रूप से और साहस के साथ विचार किया जाय। अन्यथा अवशिष्ट मद्रास राज्य की सुख और शान्ति भी प्रभावित हो जायगी। और इसीलिए हम लोग आन्ध्र राज्य के कल्याण में रुचि रखते हैं।

माननीय गृह-मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि जहां तक उच्चन्यायालय का सम्बन्ध है वह उस को १९५६ तक आन्ध्र राज्य में ले आना चाहेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि उच्च न्यायालय को इतना शीघ्र मद्रास से हटा कर आन्ध्र प्रदेश में ले जाने की

[श्री एन० सी० चटर्जी]

क्या आवश्यकता है। इस कार्य में आप को लगभग १२ लाख रुपए व्यय करने पड़ेंगे। यह एक अतिरिक्त व्यय होगा। इस के अतिरिक्त एक बात और है। विधि का प्रशासन और विधियों का अधिनियमन दो बिलकुल भिन्न चीज़ें हैं। आन्ध्र के लिए एक अलग उच्च न्यायालय बनाने का एक मुख्य कारण यह बताया गया है कि लोगों को यह भय है कि संयुक्त उच्चन्यायालय में आन्ध्र प्रदेश को नियुक्तियों आदि के सम्बन्ध में उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जायेगा, और दूसरी बात यह कि आधीनस्थ न्यायपालिका पर समुचित नियंत्रण नहीं रह सकेगा। मुझ को आन्ध्र के लिए एक अलग उच्च न्यायालय बनाने के विषय में कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु अभी सारी चीज़ें अस्थायी आधार पर हैं अतः इस सम्बन्ध में इतनी शीघ्रता उचित नहीं प्रतीत होती। पर यदि सरकार १९५६ तक मद्रास से हटा कर उच्चन्यायालय को आन्ध्र राज्य में स्थापित करना चाहती है तो उसे उदार आर्थिक सहायता देने के लिए भी तयार रहना चाहिए। वैसे, संविधान में न्याय के प्रशासन के हित में दो या तीन राज्यों के उच्च न्यायालयों के विलीनीकरण की व्यवस्था है।

विधियों का अनुकूलन निश्चित तिथि से पूर्व ही हो सकता है। लेकिन इस विधेयक के अनुकूलन खण्ड के अनुसार यह शक्ति पहली अप्रैल १९५४ तक बनी रहेगी। इस का औचित्य मेरी समझ में नहीं आता। इस से अनेक संवैधानिक विवादस्पद विषय उत्पन्न हो जाते हैं। क्या यह व्यवस्था नए आन्ध्र राज्य पर अस्पष्ट रूप से नियंत्रण रखने के हेतु की गई है, क्योंकि निश्चित तिथि से यदि विधान मण्डल चाहे तो विधियों का अनुकलन कर सकता है। मैं समझता हूं कि इस के द्वारा संविधान का उल्लंघन होता है। मेरी राय में इस उपबन्ध की कोई आवश्यकता नहीं है।

अब मैं आस्तियों और दायित्वों के पेचीदा प्रश्न पर आता हूं। इस विषय से संबंधित कई खण्ड ऐसे हैं जिन पर जोरदार आपत्ति करनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए नए राज्य के लिए मद्रास में छूटी इमारतों के मुआवजे के रूप में अवशिष्ट मद्रास राज्य द्वारा २३० लाख रुपए दिए जाने की एक व्यवस्था की गई है। यह सर्वथा अनुचित है। मैं आन्ध्रवासियों को सुझाव दूंगा कि यदि वे राजधानी के लिए कोई धन राशि चाहते हैं तो वह धनराशि उन्हें केन्द्र से प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि केन्द्र ही इस सारी झंझट का उत्तरदायी है।

मद्रास में आन्ध्र की अस्थायी राजधानी रखने के सम्बन्ध में दक्षिण भारत में जो इतना वाद-प्रतिवाद था उस का भी उत्तरदायित्व केन्द्र पर है क्योंकि उन्हों ने नए राज्य के लिए कोई राजधानी निश्चित नहीं की। और इस प्रकार उस ने हम लोगों को आपस ही में भिड़ा दिया। इस से दक्षिण भारत की एकता छिन्न भिन्न हो सकती है।

उक्त आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में मेरी राय यह है कि आन्ध्र राज्य से जो १९ करोड़ रुपए तम्बाकू शुल्क के रूप में प्राप्त होते हैं, वह राशि केन्द्र को दो, तीन वर्ष तक आन्ध्र राज्य को दे देनी चाहिए। इस से सारी समस्यायें आसानी से हल हो जायेंगी। यदि यह सुझाव क्रान्तिकारी समझा जाय तो मेरा दूसरा सुझाव यह है कि देश भर के सभी राज्यों पर इस प्रयोजन के हेतु एक विशेष कर लगा देना चाहिए।

मैं सब प्रकार से आन्ध्र की सफलता और सम्पन्नता की कामना करता हूं। अन्त में मैं चाहता हूं कि वहां के लोग इस बात को ध्यान में रखें कि जब कभी भी रायलसीमा और सरकारों के बीच झगड़ा हो तो उन्हें पिछड़े हुए क्षत्रों के हितों का ध्यान रखना चाहिए।

डा० जयसूर्य : तामिलनाड और भावी आन्ध्र राज्य के बीच चलन वाले इन सारे

झगड़ों के पीछे एक गहरी चाल खेली जा रही है। यह विधेयक क्यों बनाया गया इस को समझने के लिए इन चालों का इतिहास जानना अत्यन्त आवश्यक है।

मुगल साम्राज्य के काल में मुगल बादशाहों की सदैव यही नीति रही कि जो कोई दक्षिण भारत पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह भारत पर नियंत्रण नहीं रख सकता। यही नीति अंग्रेज शासकों की भी थी। और अब इसी सिद्धान्त का पालन हमारी वर्तमान सरकार कर रही है। अंग्रेज सौ वर्ष पहले कहते थे कि 'हैदराबाद गया तो सब कुछ गया'। आज हमारी सरकार भी यही कहती है। आंध्र के सफल होने का अर्थ है कि अगली बार विशाल आन्ध्र बनेगा और विशाल आंध्र का स्पष्ट अर्थ हैदराबाद का विखंडन है। उस के पूर्ण होने पर अगला कदम महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों का निर्माण है।

इस देश के इनेगिने यथार्थवादियों में सरदार पटेल भी एक हैं जिन्हों ने कहा था—"आप बम्बई नगर से विजगापट्टम तक एक सीधी लकीर खींचिये; यह हैदराबाद को चीरती हुई निकलती है; आंध्र, महाराष्ट्र, हैदराबाद में गैरकांग्रेसी सरकारों की कल्पना करिये; सम्पूर्ण दक्षिण भारत आप से पृथक हो जायगा।" वर्तमान सरकार के मस्तिष्क में यही भय है और यही कारण है कि कांग्रेस मांग को स्वीकार करते हुए और भावुकता पूर्ण उस के विषय में चर्चा करते हुए, कहती है "अभी उपयुक्त समय नहीं है, भारत की एकता, देश की विकीर्णता, आदि, आदि।" लोग दोहरी ज़बान में बात करते हैं।, यहां तक कि गुल बर्ग का सिंह बम्बई जाकर कहता है, "हमें भाषावार प्रान्त बनाने चाहियें।" किन्तु जब वह हैदराबाद आता है और कांग्रेसी उस से बातचीत करते हैं तो वह कहता है "हां, अभी उस के लिये उपयुक्त अवसर नहीं आया है, हमें समझौते द्वारा निज़ाम से सत्ता त्याग करने के लिये कहना चाहिये।"

मैं इस बात की असंदिग्धता को स्वीकार करता हूं कि आंध्र राज्य के निर्माण के पश्चात् एक प्रतिक्रिया अवश्यम्भावी है। पोती श्री रामालु मर गये और आंध्र में भीषण उत्पात हुआ। किन्तु गृहमंत्री इस मृत्यु की घटना से इतने भयभीत नहीं हुए जितने तार द्वारा प्राप्तों उन सम्वादों से, "पांच करोड़ की क्षति", "पन्द्रह करोड़ की क्षति", "तीन करोड़ की क्षति", सब कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण किन्तु उक्त तारों को लेते समय गृहमंत्री के हाथ कांप रहे थे।

श्रीमान्, आप स्वयं वकील हैं। आप जानते हैं कि जापान में जब कोई स्त्री शिशु-हत्या करना चाहती है तो वह एक अनूठे उपाय का आश्रय लेती है। बालक का जन्म होने पर चावल द्वारा निर्मित एक कागज को भिगोकर अत्यन्त सावधानी से और कुशलतापूर्वक उसे बालक के मुंह पर लपेट दिया जाताहै। वह अबोधशिशु मर जाता है किन्तु आप हिंसा का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकते। वर्तमान स्थिति में इसी की आवृत्ति की जा रही है। हिंसा के कोई चिन्ह नहीं है, उसे भूखों मारा जा रहा है। वित्त के अभाव में नव राज्य की सृष्टि की जा रही है।

अब अस्थायी राजधानी का प्रश्न लीजिये। अस्थायी राजधानी कब तक रहेगी? स्थायी राजधानी कौन सी है? डा० काटजू का कथन है कि इस का निर्णय विधान मंडल करेगा।

यहां श्री संजीव रेड्डी नामक एक महानुभाव हैं। जहां तक मुझे स्मरण है वह किसी निर्वाचन में पराजित हो गये थे किन्तु बाद में वह कुछ बन गये। वह आंध्र में कुछ हैं। श्री संजीव रेड्डी ने कहा था, "वे सब शिवाल आंध्र की कल्पना से अभिभूत हैं जिस में हैदराबाद राज्य भी सम्मिलित है और अस्थायी राजधानी का चुनाव करते समय उक्त सम्भावना उन के मस्तिष्क में अवस्थित है। कुरनूल हैदराबाद नगर के निकट है जो कि बाद में

[डा० जयसूर्य]

बृहत्तर आंध्रराज्य का एक भाग बनेगा।" क्या यह बाप का माल है ! बिना हमारी मंत्रणा के यह सब क्यों किया जा रहा है ? हैदराबाद की जनता भी कुछ कहने का अधिकार रखती है ? तेलंगाना भी उस का एक भाग है। उसे भी कुछ कहने का अधिकार है। संजीव रेड्डी कौन है ? इस के लिए जनमत होना चाहिये।

यह पागलपन की झलक है। संजीव रेड्डी ने हमें यह नहीं बताया है कि इस विषय में श्री नेहरू के क्या विचार हैं।

गृह मंत्रालय का यह अनुमान है कि तीन वर्षों तक वहां स्थायी मंत्रिमण्डल नहीं बन सकता और इसीलिये यह संकेत है कि सन् १९५६ तक आंध्र उच्च न्यायालय मद्रास में रहेगा। यदि ऐसी बात है तो अस्थायी राजधानी भी मद्रास में रखी जा सकती थी।

इसी समय एक आश्चर्यजनक बात हो गई। श्री वांचू का प्रतिवेदन उस रूप में लिया गया जिस में कि वह राज्य मंत्रालय के लिये उपयुक्त था। इसी बीच श्री मिश्र वहां गये और उन्हों ने उस सामग्री का अध्ययन करने के पश्चात जो उन्हें दी गई थी और जो उन के अनुसार अस्पष्ट और अनिर्णायक थी, कहा कि जनमत के अभाव में यह मालूम करना असम्भव है कि बहुमत का समर्थन किस ओर है। किन्तु यह जानते हुए भी कि सामग्री अनिर्णायक और अविश्वसनीय थी श्री मिश्र अप्रकाशित मतदाता सूची में से सांख्यकी उद्धरित कर रहे हैं। उन के पास मतदाता सूची की एक अग्रिम प्रति भेज दी जाती है और वह उसे सही मान लेते हैं। मेरा इन सब से विरोध नहीं है। किन्तु प्रत्येक कार्य के लिये सिद्धान्त होना चाहिये। मैं नहीं जानता कि गृह मंत्रालय को क्या कहा जाय। मुझे एक आख्यायिका याद आ रही है जिस में दुष्टा महारानी कैकयी की हीन मंत्रणा के परिणाम-स्वरूप महाराज दशरथ को हानि उठानी पड़ी थी।

श्री जे० बी० कृपालानी : कैकयी का जन्म काश्मीर में हुआ था।

पंडित बालकृष्ण शर्मा (ज़िला कानपुर दक्षिण व ज़िला इटावा–पूर्व) : आप को इतिहास का अच्छा ज्ञान नहीं है।

डा० जयसूर्य : यदि आप को मेरे कथन में सन्देह हो तो आप खंड ४७, ४८, ४९, ५०, ६५, ५१ देखिये ; ये सब भयानक हो सकते हैं। आप प्रत्येक कार्य राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। इस का अर्थ यह नहीं है कि हमें राष्ट्रपति पर विश्वास नहीं है। वह एक भव्य व्यक्ति हैं। किन्तु हमें मंथरा और कैकयी जैसे व्यक्तियों पर निस्सन्देह ही सन्देह है। बाइबिल की पुरानी कहावत है कि पिता के पाप बालकों पर भी प्रभाव प्रकट करते हैं। तीसरी अथवा चौथी पीढ़ी तक यही होने वाला है। यह गृह मंत्रालय पर स्पष्ट रूप से लागू है। मैं श्री जवाहरलाल नेहरू का एक उद्धरण देता हूं :

"लोक प्रिय सरकार को सदैव जनता की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिये और उसे यह भी जानना चाहिये कि जनता क्या अनुभव करती है और किन कठिनाईयों का सामना करती है।"

जब हम यह कहते हैं कि काश्मीर समस्या का एकमात्र हल जनमत संग्रह है तो फिर हैदराबाद में क्यों इस से इन्कार किया जा रहा है। जनता को इस बात का आश्वासन दिया गया था कि वह स्वयं अपने भविष्य की निर्णायक है। किन्तु पीछे से निज़ाम से करार कर एक पुस्तक प्रकाशित की जाती है, 'शासक से राजप्रमुख; सप्तम निज़ाम'। बिच्छू को रख कर आप यह उम्मीद करते हैं कि वह डंक नहीं मारेगा।

अतः मेरी चेतावनी है कि भले ही आप आंध्र को मृदु व्यवहार करते रहे किन्तु यह याद रखिये कि यह आन्दोलन उस ने या मैं ने नहीं चलाया है, यह जन आन्दोलन है। आंध्र में भीषण असन्तोष प्रारम्भ हो गया है। मैं देख रहा हूं कि राज्य-मंत्रालय और गृह-मंत्रालय इस दिशा में क्या करते हैं हैदराबाद अधिक दिनों प्रतीक्षा नहीं करेगा। वह अपना कार्य स्वयं करेगा।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): अन्तिम भाषण के अतिरिक्त जिसे हम ने अभी अभी सुना है मैं यह कह सकता हूं कि श्रेष्ठ सद्भावनाओं के साथ विधेयक का स्वागत किया गया है। यत्र तत्र कतिपय विपरीत टीका की गई है और विशेषतः सदन के आंध्र सदस्यों की ओर से, फिर भी जिन अकथनीय प्रयत्नों के साथ इस विधेयक को तैयार किया गया है और जिस महती भावना के साथ आंध्र सदस्यों ने, जिन का कि इस से निकटतम सम्बन्ध है, इस का स्वागत किया है उस के लिये मैं सदन और हम सब को बधाई देता हूं। इस के समर्थन के लिये मैं आंध्र सदस्यों की वक्तृताओं पर ही निर्भर नहीं हूं किन्तु आंध्र-सदस्यों की गरिमामय मौन पर भी मुझे आस्था है। आंध्र के अनेक संसद सदस्यों ने यह स्वीकार किया है कि आंध्र राज्य को सबल और दृढ़ नींव पर स्थापित करने के लिये भारत सरकार ने प्रत्येक सम्भव कार्य किया है।

डा० लंका सुन्दरम्: आप ने काबुली की भांति ४० लाख रुपया उधार दिया है।

श्री दातार: मैं विभिन्न स्थलों से उद्भुत इन्हीं अशोभनीय और संसद् की दृष्टि से अनियमित आलोचना का उत्तर देने के लिये खड़ा हुआ हूं। किन्तु ऐसा करने के पूर्व मैं सम्पूर्ण सदन और प्रमुख रूप से आंध्र सदस्यों को भारत सरकार की ओर से इस लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्हों ने आंध्र विधेयक का इस श्रेणी तक समर्थन किया।

यह सत्य है कि इस विधेयक के लिये हमें अनेक सीढ़ियां पार करनी पड़ी हैं। यह भी सत्य है कि इस कार्य में कुछ विलम्ब हो गया है किन्तु आप को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे पास समय की कमी थी और इस अल्प समय में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और भारत के दो महत्वपूर्ण राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों ने परिश्रम किया जिसकी कभी निन्दा नहीं की जा सकती और यहां उन की निन्दा कदापि नहीं की जानी चाहिये थी।

डा० जयसूर्य: क्यों नहीं ?

श्री दातार: जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है उन्हों ने दिसम्बर, १९५२ में इस आशय की घोषणा कर दी थी कि वे आंध्र प्रान्त का निर्माण करने जा रहे हैं और उन्हों ने इस के लिये समस्त कार्यवाही सम्पन्न कर ली है, और जब उन्हें विदित हुआ कि कुछ मामलों में अधिक जांच की आवश्यकता है उन्हों ने कतिपय मित्रों के वक्तव्यों की स्थिति में भी इन कार्यों की जांच अत्यन्त निष्पक्ष और निस्पृह माध्यमों द्वारा कराई। अतः यह कहना सर्वथा अनुचित है कि केन्द्रीय सरकार का व्यवहार सौतेली मां की नाईं रहा है। केन्द्रीय सरकार कभी सौतेली मां की तरह नहीं हो सकती। यदि आप उपमा ही देना चाहते हैं तो यह कहना उचित होगा कि यह सब राज्यों की माता है। हमें इसे केवल उपमा की दृष्टि से देखना है इसे तथ्य नहीं माना जा सकता क्योंकि केन्द्रीय सरकार की सत्ता सीमित है और राज्यों की सरकारों में भी कुछ सत्ता निहित है। अन्त में आप सब इस तथ्य से सहमत होंगे कि केन्द्रीय सरकार लोकप्रिय सरकार है और उस के लिये जनमत को स्वीकार कर उत्तम विधि से कार्य करना आवश्यक है। जब केन्द्रीय सरकार को यह मालूम हुआ कि भारत के आंध्र विभाग इस आशय का प्रबल जनमत व्याप्त है कि उन्हें किसी भी मूल्य पर

[श्री दातार]

उन्हें अपना अलग राज्य चाहिये तो उन्हें अलग राज्य देने के लिये उचित कार्यवाही की गई। जो विधेयक आप के समक्ष प्रस्तुत है वह भारत सरकार के विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्रियों और दो राज्य सरकारों, मद्रास सरकार और मैसूर सरकार के श्रम की उपज है।

कुछ माननीय सदस्यों ने अत्यन्त चुने हुए विशेषणों का प्रयोग किया है। मुझे डा० लंका सुन्दरम् से इस कथन की आशा नहीं थी कि केन्द्रीय सरकार ने सौतेली माता अथवा पक्षपातपूर्ण प्रवृत्ति से काम लिया है।

मैं ज़ोर दे कर यह कह सकता हूं कि उन्हों ने कभी भी पक्षपातपूर्ण भावना के साथ कार्य नहीं किया गया है। उन्हों ने आंध्रजनों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की हैं और इस नवीन राज्य को सबल धरातल पर आसीन करने के लिये जो भी आवश्यक होगा वे करेंगे। आज सवेरे ही माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि उन्हों ने इस के वित्तीय पहलू का अध्ययन किया है। आंध्र राज्य किसी भी समय सहायता की मांग कर सकता है और उसे यह सदैव ही ईर्ष्याहीन एवं उदारतापूर्वक दी जायगी।

इन सब मामलों में हम जनमत पर निर्भर हैं। संसद के कतिपय सदस्यों ने मद्रास सरकार और केन्द्रीय सरकार की नीयत में शंका प्रकट की है। किन्तु जैसा मैं ने पहले कहा था इन समस्त वार्ताओं में हमें सब से अधिक सहायता श्री राजाजी की सरकार से प्राप्त हुई है और एक सदस्य की यह उक्ति सर्वदा गलत और असंसदीय थी कि श्री राजगोपालाचारी दुर्योधन की भांति कार्य कर रहे हैं। मैं अपनी समस्त ईमानदारी के साथ और भारत सरकार की ओर से उक्त कथन का विरोध करता हूं। इन वार्ताओं में मद्रास सरकार और मैसूर सरकार और उन के विधान मंडलों ने समस्त संलग्न हितों को ध्यान में रख कर अत्यन्त सन्तोषजनक पद्धति के अनुसार कार्य किया है। अतः इस ओर तथा विरोधी पक्ष की ओर बैठे हुए कुछ सदस्यों के लिये, इस तरह के विचार प्रकट करना उचित नहीं था।

जहां तक मैसूर सरकार का सम्बन्ध है हम से कहा गया है कि वह तृतीय दल है अर्थात् बेलारी के जो भाग उसे दिये गये हैं उन पर उस का अधिकार नहीं है। मैसूर की स्थिति हमें भली भांति समझ लेना चाहिये। मैसूर सरकार ने कभी हम से बेलारी का कोई भाग अथवा आंध्र का भाग अथवा किसी भी क्षेत्र को देने के लिये नहीं कहा। प्रारम्भ से ही मैसूर सरकार का दृष्टिकोण पुराणपंथी रहा है। किन्तु यह प्रवृत्ति बिल्कुल गलत नहीं कही जा सकती और इसीलिये उन में पिपासा नहीं थी।

डा० लंका सुन्दरम् : लेकिन आप निस्पृह दलाल हैं।

श्री दातार : आप इस बात को समझेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने ही मैसूर सरकार को इन भागों को लेने के लिये प्रार्थना की थी क्योंकि उक्त भाग में कन्नड़ वृत्ति विपुल परिमाण में व्याप्त है। दूसरे, सदन को इस तथ्य की परिचिति होगी कि बेलारी पहले मैसूर राज्य का ही भाग था और अतः आप कह सकते हैं कि आज की प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुसार मूल रूप में मैसूर से सम्बन्धित भाग पुनः मैसूर में मिल गया है। यह इसलिये नहीं किया गया है कि मैसूर इस के लिये क्षुधित था किन्तु भारत सरकार ने शासन की दृष्टि से उक्त भाग को उस में सम्मिलित कर देना ही श्रेयस्कर समझा है।

आंध्र विधेयक के विषय में दोनों ओर के कुछ सदस्यों के विचार किन्हीं दृष्टि से निराशाजनक रहे हैं। उदाहरणार्थ, मेरे माननीय

मित्र श्री मूर्ति का यह कथन है जिस के अनुसार हम ऐसे राज्य का निर्माण कर रहे हैं जो रक्ताभाव से आग्रस्त, अपंग आदि आदि है।

क्या हम रक्तहीन राज्य का निर्माण करने के लिये इतना प्रयत्न कर रहे थे ? प्रधान मंत्री ने दिसम्बर १९५२ की अपनी घोषणा में यह बात स्पष्ट कर दी थी कि वर्तमान प्रयत्न मद्रास राज्य में से आंध्र राज्य की सीमा रेखा निर्धारित करने तक ही सीमित है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

श्री दातार : दूसरी बात यह है....

श्री बी० एस० मूर्ति : आप ने उसे कर्ज के भारी बोझ से लाद दिया है। उसे कोई धन नहीं दिया गया है। क्या यह रुधिर हीन होना नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न और उत्तर क्योंकर किये जाने चाहिये ? माननीय सदस्य को पहले यथेष्ट अवसर दिया गया था।

श्री दातार : दूसरे, अब जब कि आंध्रों को केन्द्र और तामिल जनों तथा अन्य व्यक्तियों की सद्भावना सहित अपना अलग राज्य मिल गया है क्या सदैव उन समस्याओं पर विचार करते रहना उचित और स्वस्थ मानसिक स्थिति का परिचायक है जो विपरीत तथा उन के रुचि अनुसार नहीं हैं ? उदाहरण के लिये मद्रास को लीजिये। ऐतिहासिक कारण कुछ भी रहे हों यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि वर्तमान व्यवस्था में वे आंध्र राज्य के निर्माण के लिये उत्सुक हैं तो उन्हें मद्रास को राजधानी के रूप में न लेकर ही उसे स्वीकार करना पड़ेगा। इस सिद्धान्त की स्पष्ट स्वीकृति के पश्चात ही आंध्र के निर्माण के लिये श्रम किया जा कर उस की घोषणा की गई। तब क्या वर्तमान स्थिति में नराश्यमय दृष्टि अपनाये रहना उचित है जब कि हम नये युग में पदार्पण कर रहे हैं।

इसी तरह विपक्षी दल के मेरे एक मित्र ने, जिन्हें मैं गंभीर एवं संतुलित विवेक से युक्त मानता हूं। दुर्भाग्य से न्यायाधीश मिश्र के विषय में अनुचित टीका की।

न्यायाधीश वांचू ने अपना निर्णय किसी प्रभाव या दबाव में आ कर नहीं दिया था। न्यायाधीश मिश्र भी वहां इसलिये गये क्योंकि केन्द्रीय सरकार को ऐसा अनुभव हुआ कि जांच के लिए एक प्रत्यक्ष मामला विद्यमान है। वास्तव में यदि केन्द्रीय सरकार केलकर पंच-निर्णय के अनुसार कार्यवाही करती तो यह एक बिल्कुल न्यायपूर्ण बात होती—यद्यपि उस निर्णय के सम्बन्ध में १९२० से बड़ा विवाद चलता आ रहा है। १९४९ में जब आंध्र राज्य की स्थापना होने ही वाली थी तथा इसी प्रकार के प्रबन्ध तब भी दिए गए थे तो उन पर करनाटक के लोगों ने आपत्ति की थी। फिर भी यदि सरकार को सम्भव जान पड़ता तो वे सीधे ही ७ तालुकों को मैसूर को दे देती तथा ३ को आंध्र राज्य को, और वह भी बिना किसी जांच के। परन्तु जब उन्हों ने देखा कि स्पष्ट रूप से ऐसा मामला आन पड़ा है जिस में जांच की आवश्यकता है तो उन्हों ने न्याय तथा तटस्थता के हेतु हैदराबाद के मुख्य न्यायाधिपति को नियुक्त किया। उन्हों ने उस अधिकारी को आप की सम्मति से नियुक्त किया था तथा आप ने उस नियुक्ति का स्वागत किया था। आप ने उन के सामने गवाहियां दिलाईं तथा आप के शिष्टमण्डलों की बातों को उन्हों ने सुना.....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री कृपया अध्यक्षीय आसन को सम्बोधित करें;

दातार : .....यह देखा गया कि उन का निर्णय एक पक्ष विशेष के अनुकूल नहीं था। सदन भली प्रकार से जानता है कि सभी प्रकार की कार्यवाहियों के अन्त का होना ज़रूरी है तथा सार्वजनिक समस्याओं के बारे में भी यह बात सत्य है।

[श्री दातार]

अतएव, यदि न्यायाधीश मिश्र—जिन की नियुक्ति को आंध्र पत्रों तथा संसद् के आंध्र सदस्यों ने बड़ा सराहा था—पूरी जांच तथा सभी सम्बन्धित हितों को सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि जनसंख्या के बहुत अधिक सीमा तक कन्नड़ भाषी होने से बेल्लारी तालुक को आंध्र देश में शामिल नहीं किया जाना चाहिये—केवल भाषा स्थिति से, अपितु और भी कई एक विचारों से—तो क्या इस परिस्थिति में उदासीन हो कर यह कहना उचित होगा कि "हम ने बेल्लारी को खो दिया है", यह एक बिल्कुल ग़लत दृष्टिकोण है। यह केवल एक प्रशासनीय ढंग का ही हल नहीं था, बल्कि इसे पक्षपात से रहित एक बड़े न्यायिक अधिकारी की सहायता से निकाला गया था। अतएव जहां तक बेल्लारी के प्रश्न का सम्बन्ध है, इस पर निरन्तर चर्चा करते चला जाना एक ग़लत बात होगी। ऐसे प्रश्नों को सदैव चालू नहीं रखना चाहिये। किसी लोकतंत्र में तथा एक ठोस और स्थिर सरकार के होते हुए हम किसी ऐसी स्थिति में आ सकते हैं जो हमें पसन्द न हो, परन्तु अन्त में हमें उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। इसी भावना से मैं आंध्र राज्य के सभी सदस्यों से सादर निवेदन करना चाहता हूं कि वह ऐसा रुख न अपनाये रखें कि कोई ऐसी वस्तु जो उन की थी, उन्हें नहीं दी गई है अथवा उन्हें उस से वञ्चित रखा गया है।

अब मैं सीमा आयोग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सीमा आयोग सम्बन्धी खण्ड को वर्तमान आंध्र विधेयक में इसलिए नहीं रखा गया है कि संविधान के अनुच्छेद ३ के अन्तर्गत जब कभी किसी क्षेत्र का हस्तान्तरण करना पड़े तो उस सम्बन्ध में जांच का करना आवश्यक है तथा उस के बाद कुछ प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है तथा अन्त में संसद् द्वारा यदि किसी विधेयक का नहीं तो कम से कम किसी संकल्प का पारित किया जाना आवश्यक है। अतएव यदि इस क्रम पर ऐसे खण्ड को विधेयक में रखा जाता तो यह एक असंवैधानिक तथा अनियमित बात होती। इसी कारण गृह-कार्य मंत्री ने अपने भाषण के आरम्भ में यह वचन दिया था कि एक सीमा आयोग की स्थापना की जायगी।

राजधानी के प्रश्न की स्थिति भी यही है। विरोधी बेंचों पर बैठे मेरे एक माननीय मित्र ने कहा था कि निर्देश अस्थायी राजधानी की ओर था तथा कि स्थायी राजधानी की ओर कदापि नहीं किया गया। जहां तक अस्थायी तथा स्थायी राजधानियों में अन्तर का सम्बन्ध है, मैं पूरी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि यह अन्तर हमारा अथवा भारत सरकार का बनाया हुआ नहीं, अपितु स्वयं आंध्र लोगों का बनाया हुआ है क्योंकि उन का विचार है कि कुछ समय बाद उन्हें हैदराबाद या तेलंगाना मिल सकता है। यह एक बहुत बड़ा तथा विवादग्रस्त प्रश्न है जिस में मैं इस क्रम पर नहीं जाना चाहता। बाद में समय मिलने पर मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहूंगा, परन्तु जहां तक आन्ध्र लोगों के दावे का सम्बन्ध है, आरम्भ में उन की स्थिति यह थी कि पहले पहल उन की कोई अस्थाई राजधानी होनी चाहिये क्योंकि बाद में उन का हैदराबाद को स्थायी राजधानी बनाने का विचार है जिसे वे 'हैदराबाद के विघटन' के नाम से पुकारते हैं। अतएव जब आंध्र लोगों ने केवल अस्थायी राजधानी की ही मांग की तो हम ने उन्हें ऐसी अनुमति दे दी। बात यह नहीं है कि स्थायी राजधानी के बनाने में हम उन्हें सहायता देने को तयार नहीं जिस की उन्हें आवश्यकता है। उन्होंने मांग ही यही की थी, और उन की मांग पूरी हो गई है।

जहां तक कुरनूल का सम्बन्ध है, यह फैसला पूर्णतः उन पर छोड़ दिया गया है तथा,

श्रीमान्, आप जानते हैं कि जब मद्रास विधान सभा के आंध्र सदस्यों ने एक बार यह फैसला कर लिया हो कि कुरनूल को अस्थायी राजधानी बनाया जाय तो इस सरकार ने भरसक प्रयत्न का करना आरम्भ कर दिया है कि चाहे कितनी भी असुविधा क्यों न हो, आंध्र राज्य की स्थापना प्रथम अक्तूबर को हो जाय। जनता की इच्छा को अन्त में सर्वप्रभावी मानना पड़ता है तथा हम ने उस प्रत्येक कार्यवाही का करना आरम्भ कर दिया है जिस से आंध्र राज्य कुरनूल को राजधानी बना कर १ अक्तूबर, १९५३ के दिन से कार्य करना आरम्भ कर दे। वे स्वयं चाहते हैं कि कुरनूल अस्थायी राजधानी हो। उचित समय के आने पर भारत सरकार उनकी न केवल इस प्रश्न के सम्बन्ध में बल्कि राज्य के आर्थिक विकास के बड़े प्रश्न के सम्बन्ध में पूरी सहायता करेगी। इस सम्बन्ध में एक दो बातें इस अभिप्राय की कही गई हैं कि आंध्र क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। अब रियालसीमा भारत का एक अभागा क्षत्र है। वह क्षेत्र बारम्बार अकाल का शिकार हो जाता है तथा मद्रास सरकार यथासम्भव इस बारे में कार्यवाही करती रही है। श्रीमान्, ऐसी परिस्थिति में उपेक्षा के सारे दोष को मद्रास राज्य पर मढ़ना बिल्कुल ग़लत बात होगी।

श्री रघुरामय्या (तेनालि) : श्रीमान्, सूचना के हेतु, मैं यह पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने अपने भाषण के आरम्भ से ही जो आंध्र लोगों के विरुद्ध आक्षेप शुरू किया है, इस में वह अपनी ओर से बोल रहे हैं या मद्रास सरकार की ओर से अथवा भारत सरकार की ओर से जिस के बारे में तटस्थ होने का हमें यह विश्वास दिलाया जा रहा है ?

श्री दातार : मैं अपनी ओर से तथा भारत सरकार की ओर से बोल रहा हूं। भारत सरकार का रुख बिल्कुल तटस्थ है। मेरा अपना रुख भी बिल्कुल तटस्थ है। यह कहना कि मैं आंध्र विरोधी तथा तामिल भाषियों के पक्ष में हूं, बिल्कुल ग़लत होगा। आप इस बात को स्पष्ट रूप में समझ लें कि मैं आंध्र लोगों के विरुद्ध नहीं हूं। वास्तव में यदि आंध्र राज्य की स्थापना हो गई तो उचित समय के आने पर ऐसे दूसरे राज्यों के बनने की भी सम्भावना हो सकती है। इस कारण मैं आंध्र राज्य के अच्छे ढंग से बन जाने की कामना करता हूं जिस से उसे सभी पड़ौसी राज्यों की सद्भावनायें प्राप्त रहें।

कुछ ही समय पहले मैं आंध्र राज्य के भाषा सम्बन्धी आंकड़ों को देख रहा था। मैं ने देखा कि २ करोड़ तथा ५ लाख की कुल जन संख्या में से लगभग २० लाख व्यक्ति दूसरी भाषाओं के बोलने वाले हैं। इसी प्रकार के प्रश्नों में रुचि रखने के कारण मेरी इच्छा है कि जब एक बार ऐसे राज्य बन जायें तो उन में परस्पर मित्रता और पड़ौस की भावनाएं बनी रहें। आखिरकार तेलगू भाषा के न बोलने वाले लोगों के लिए सुरक्षा के भाव का पैदा करना आवश्यक है। इसी प्रयोजन से विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि जहां तक राज्य में लाये जाने वाले नागरिक सेवकों (सिविल सर्वेन्टस) का सम्बन्ध है, आंध्र राज्य में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को अधिमान दिया जायगा तथा उन व्यक्तियों को नहीं जिन की मातृ भाषा तेलगू है। अन्त में जहां तक भाषावार प्रान्तों का सम्बन्ध है, यह बात हमें अगले प्रश्न पर ले जाती है। हम लगभग बिल्कुल विरोधी विचारों को सुन चुके हैं। हमारे सामने एक अनुभवी कांग्रेसमैन श्री कृपलानी के विचार हैं तथा उन्हीं जैसे और विख्यात व्यक्तियों का दृष्टिकोण भी हमें मालूम है।

एक माननीय सदस्य : उन्हों न अपना परामर्श भी आप को दिया है।

श्री दातार : जी हां, मैं इस का वर्णन भी करूंगा। इस मामले में भारत सरकार एक तीसरा पक्ष है। वह न तो भाषावार प्रान्तों के पक्ष में ही है तथा न ही वह ऐसे प्रान्तों के बनाए जाने का निरन्तर विरोध करेगी। वास्तव में सभी आंध्र सदस्यों को भारत सरकार को बधाई देनी चाहिये थी क्योंकि यह ऐसा प्रान्त बनेगा जो लगभग भाषा के आधार पर बना प्रान्त समझा जायगा ; ऐसे विचारों के होने की अवस्था में सरकार को सारे निष्कर्षों तथा उन के परिणामों पर ध्यान देना पड़ता है। अतएव मैं भाषावार प्रान्तों के समस्त समर्थकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे प्रान्तों के बनाते समय सावधानी के नाते हमें कई एक प्रबन्ध करने पड़ते हैं। सावधानी का एक प्रबन्ध यह है कि भारत की एकता पर कोई आंच न आए। तथा उस की कभी उपेक्षा न की जाय। दूसरी बात यह कि हमें संस्कृति के ऐक्य को स्वीकार करना चाहिये। मैं श्री एन० सी० चटर्जी का पूरा सम्मान करते हुए उन के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि भारत में विभिन्न संस्कृतियां हैं। भारत की केवल एक संस्कृति है जो सब की सांझी है तथा उस सांझी संस्कृति का उन्नत करना हम सब का कर्तव्य है।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : श्रीमान्, बार बार हम यह सुन रहे हैं कि भारतीय एकता को इन भाषावार प्रान्तों की स्थापना से धक्का पहुंचता है। हम तो केवल यह मांग करते हैं कि भारतीय नागरिकता के अन्तर्गत भाषावार प्रान्त बनाये जायं। हम भारत से पृथक किसी प्रान्त के बनाए जाने की मांग को तो नहीं कर रहे हैं।

श्री दातार : मेरे माननीय मित्र मेरे दृष्टिकोण को स्वीकार कर रहे हैं। अतएव इस में कोई कठिनाई नहीं है। यह सदैव अत्यावश्यक है। हो सकता है कि कभी कभी हम ग़लत हों, अतएव हमें भारतीय एकता पर ज़ोर देना ही चाहिये।

एक और बात यह है कि हमें बेल्लारी में उत्पन्न हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पर ध्यान देना चाहिये। कई बार तो इतनी उत्तेजना बढ़ गई थी कि एक कन्नड़ भाषी आंध्र व्यक्ति को अपना शत्रु समझता था तथा आंध्र कन्नड़ भाषी व्यक्ति को अपना शत्रु। मैं चाहता हूं कि अब इन सब बातों को समाप्त कर दिया जाय। जो विभाजन हम इस समय करने जा रहे हैं, वह दो जातियों का विभाजन नहीं है; यह विभाजन तो भारत संघ के ढांचे के अन्तर्गत ही है तथा, इस कारण हमें सभी लोगों को अपने ही नागरिक समझना चाहिए चाहे वे किसी विशेष भाषा के बोलने वाले भी क्यों न हों।

मुझे प्रसन्नता है कि विधेयक का स्वागत किया गया है तथा मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि भारत सरकार प्रत्येक सम्भव प्रयत्न करेगी कि जहां तक इन 'नवजात' राज्य का सम्बन्ध है, यह फले फूले तथा इसे ठोस आधार पर लाया जाय। मेरी आंध्र सदस्यों से प्रार्थना है कि वे भी इसे उसी भावना से स्वीकार करें जिस में हम इसे स्वीकार कर रहे हैं तथा मुझे विश्वास है कि आंध्र राज्य बहुत उन्नत होगा। आज से २००० वर्ष पहले आंध्र लोगों का क्रियात्मक रूप से सारे दक्षिण भारत तथा बम्बई के कुछ भागों पर राज्य था। बम्बई राज्य में हम अभी तक आन्ध्र वर्ष-पत्री का अनसरण कर रहे हैं। व्यक्तिगतरूप से मैं भारत सरकार तथा आन्ध्र राज्य के लिए पूरी पूरी सद्भावना रखते हैं तथा शुभ कामनाएं करते ह तथा मुझे पूरा विश्वास

है कि यह अपनी प्राचीन महान परम्परा को बनाए रखेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में माननीय सदस्य को बहुत कुछ कहना है । अब सदन स्थगित हो जायगा तथा ८–१५ बजे कल को फिर समवेत होगा ।

इस के बाद सदन की बैठक मंगलवार, १८ अगस्त, १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।